जून, 2020
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2020 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जून, 2020 अंक - 6

प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक

असलम खान

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2020) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

कभी-कभी हत्या के मामले में प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से जब यह प्रश्न उठता है कि अन्वेषण अधिकारी ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन घटना घटित होने के काफी समय बाद अभिलिखित किए जबकि वे सभी साक्षी घटनास्थल पर मौजूद होते हैं और यह भी दलील दी जाती है कि अपीलार्थी की मृतक के साथ दुश्मनी होने के कारण उसे मिथ्या फंसाने के लिए इन व्यक्तियों को बाद में साक्षी बनाया गया है ताकि अभियोजन पक्ष की इच्छानुसार मिथ्या कथन दिया जा सके, ऐसी स्थिति में यह समझ लेना चाहिए कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में साक्षियों के तुरंत कथन अभिलिखित किया जाना संभव नहीं होता है । कभी-कभी साक्षियों की घटनास्थल पर उचित समय तक निरंतर उपस्थिति का बने रहना संभव नहीं होता है और अन्वेषण अधिकारी को घटनास्थल पर उपलब्ध समस्त सामग्री और अपराध से संबद्ध वस्तुओं को भी विधि के अनुसार अपने कब्जे में लेना होता है । थोड़े समय बाद जब ऐसे साक्षियों के कथन अभिलिखित किए जाते हैं और अन्य साक्षियों के कथनों से मेल खाते हैं तथा चिकित्सीय साक्ष्य से इनकी संपुष्टि भी होती है तब ऐसी स्थिति में विलंब से अभिलिखित किए गए कथनों को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता । इस अंक में प्रकाशित **माशूक और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (2020) 1 दा. नि. प. 749 वाला मामला इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करता है ।

कभी-कभी यह भी प्रश्न सामने आता है कि जिस वस्तु या हथियार के प्रयोग से हत्या की गई है वह बरामद नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति को समझने के लिए हमें इस अंक में प्रकाशित **अंसार** बनाम **केरल राज्य** (2020) 1 दा. नि. प. 805 वाला मामला देखना होगा जिसमें प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से यह दलील दी गई है कि जिस तकिए से मृतका का दम घोंटा गया है वह बरामद नहीं किया गया है । यह तर्क चलने वाला नहीं है क्योंकि यदि चिकित्सा रिपोर्ट का गहन परिशीलन किया जाए तो पता चलता है कि मृतका का श्वास केवल बाहर से, हाथ से या किसी मुलायम वस्तु से दबाव डालकर अवरुद्ध किया गया है अत: कई तरीकों से गला दबाकर

मृत्यु कारित की जा सकती है । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा किया गया यह अभिवाक् भी चलने योग्य नहीं है कि मृतका की कंठास्थि और थायरॉइड उपास्थि में कोई भी अस्थिभंग नहीं पाया गया है । वास्तव में इस मामले में बाहर से गला दबाकर श्वासावरोध के परिणामस्वरूप हत्या की गई है और इस स्थिति में गर्दन में किसी प्रकार का अस्थिभंग होना आवश्यक नहीं है और इस संबंध में साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी हुई है ।

दहेज मृत्यु के कुछ मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा यह दलील दी जाती है कि पत्नी पर पति द्वारा इतनी क्रूरता कारित की गई कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी । ऐसे मामले में अपराध को दहेज मृत्यु की कोटि में लाने से पहले हमें यह देखना होगा कि पति द्वारा पत्नी के साथ यदि साधारण और तुच्छ मामलों में अर्थात् घरेलू काम-काज को लेकर झगड़ा हुआ है तो उसे आत्महत्या के लिए उकसाने की कोटि में नहीं रखा जा सकता भले ही मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर क्यों न हुई हो । इस स्थिति को **महेश कुमार गौंड और अन्य** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** (2020) 1 दा. नि. प. 828 वाला मामला बखूबी स्पष्ट करता है ।

इस अंक में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 के अतिरिक्त अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं । इस अंक में सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जून, 2020

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अंसार **बनाम** केरल राज्य	805
एक्स **बनाम** महाराष्ट्र राज्य	849
चन्द्र शेखर पुत्र श्री बाबू लाल **बनाम** राजस्थान राज्य	862
प्रदीप मोटर्स हायर परचेज कारपोरेशन (मैसर्स) और अन्य **बनाम** जगदीश राज और अन्य	844
महेश कुमार गौंड और अन्य **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	828
माशूक और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	749
सुनील दुआ **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	737

संसद् के अधिनियम

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	25 – 61

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34)

– धारा 5 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और 506] – गर्भ के चिकित्सीय समापन हेतु बलात्संग की आहत अप्राप्तवय कन्या द्वारा रिट याचिका – अनुज्ञा – 20 सप्ताह से अधिक अवधि का गर्भ – गर्भ के बनाए रखने से आहत को शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचने की आशंका – बलात्संग के परिणामस्वरूप गर्भवती हुई आहत के लिए गर्भ का बना रहना उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकर है अत: भ्रूण को डी. एन. ए. परीक्षण की पुष्टि के लिए परिरक्षित किए जाने की शर्त के साथ गर्भ के चिकित्सीय समापन की अनुज्ञा दी जा सकती है ।

एक्स बनाम **महाराष्ट्र राज्य** 849

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 147, 148, 302/149 – पुरानी दुश्मनी के कारण अभियुक्तों द्वारा मृतक पर देशी पिस्तौल, तलवार, चाकू और सरिये से हमला – अस्पताल ले जाते हुए मार्ग में ही मृतक का दम तोड़ देना – घटना के तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, जिनमें से एक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराना – जिसके आधार पर रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में देशी पिस्तौल और गोली चलने का उल्लेख न होना – पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनसे हथियारों और उस यान की बरामदगी, जिसमें बैठकर वे घटनास्थल से फरार हुए थे

पृष्ठ संख्या

– विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य और बरामदगियों के आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय – आदेश और निर्णय के विरुद्ध मुख्यत: निम्न आधारों पर चुनौती – तीनों प्रत्यक्षदर्शियों की घटनास्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद – मृतक का आपराधिक पृष्ठभूमि होने के कारण उसकी हत्या उसके किन्हीं अज्ञात दुश्मनों द्वारा किया जाना – हथियारों आदि की बरामदगी का स्वतंत्र साक्षी न होना – हथियारों से मिले रक्त का विघटन हो जाने के कारण उसका स्रोत अभिनिश्चित करने में असफल रहना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में पिस्तौल और मृतक पर गोली चलाए जाने का उल्लेख न होना – न्यायालय ने विचारण न्यायालय की अभिपुष्टि करते हुए यह स्पष्ट किया कि तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की घटनास्थल पर उपस्थिति को अभियोजन पक्ष द्वारा समुचित रूप से साबित किया गया है – रक्त का विघटन होने के कारण पांच में से दो वस्तुओं पर लगे रक्त के स्रोत को अभिनिश्चित करने में असफलता इसलिए अभियोजन के पक्षकथन को धराशायी नहीं करती क्योंकि अन्य वस्तुओं पर लगे रक्त का स्रोत निश्चित हो गया है इसलिए इसका फायदा अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता – बरामदगियों का स्वतंत्र साक्षी न होना भी अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है क्योंकि बरामदगियों को अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भली-भांति स्थापित किया गया है – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य में कतिपय विरोधाभास और विसंगतियां अवश्य हैं किंतु उनका अभिसाक्ष्य अन्यथा विश्वसनीय और चिकित्सीय

पृष्ठ संख्या

रिपोर्टों द्वारा समुचित रूप से समर्थित है – अत: अभियुक्तों की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

माशूक और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 749

– धारा 302 और 392 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 14 और 114क] – हत्या और लूट – घटना के पूर्व और पश्चात् अभियुक्त का आचरण – घटना के दिन अभियुक्त का प्रतिदिन की भांति दूध लेने न जाना – घटना के पश्चात् अभियुक्त के कब्जे से मृतका के आभूषणों का बरामद होना – बरामदगी के संबंध में अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण न दिया जाना – मुंह पर तकिया रखकर श्वासावरोध करना – कंठास्थि में अस्थिभंग का पाया जाना आवश्यक नहीं – अपीलार्थी के कब्जे से मृत्यु के समय मृतका द्वारा पहने हुए आभूषणों की बरामदगी की गई है जिसके संबंध में उसके द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य से श्वासावरोध के कारण मृत्यु की पुष्टि की गई है और यह अपराधजन्य परिस्थिति अभियुक्त के आचरण से मेल खाती है, अत: अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

अंसार बनाम **केरल राज्य** 805

– धारा 302, 457 और 380 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 27] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा इत्तिलाकर्ता के सास-श्वसुर की हत्या किए जाने का अभिकथन – मृतकों द्वारा अभियुक्तों को नौकरी से निकाल देने के साक्ष्य का अभाव – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में मृतकों के मोबाइल फोनों के लापता होने का उल्लेख

पृष्ठ संख्या

न किया जाना – अवसर होने के बावजूद अभियुक्त द्वारा मृतकों के आभूषणों का चोरी न किया जाना – अपराधजन्य सामग्री की बरामदगी का संदिग्ध पाया जाना – घटनास्थल पर पाए गए अंगुलियों के निशानों की न्यायालयिक जांच न कराना – किसी भी साक्षी का यह कथन नहीं है कि मृतकों ने अभियुक्तों को नौकरी से निकाल दिया था अत: अभियुक्त के मन में मृतकों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और उसने किसी भी मूल्यवान वस्तु की चोरी नहीं की है तथा मृतकों के मोबाइल फोन की कॉल-डिटेल से अभियुक्त के मोबाइल नम्बर की पुष्टि नहीं होती है और अपराध में प्रयोग किए गए आयुधों की बरामदगी भी विलंबित होने के कारण संदिग्ध पाई गई है, अत: अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है और वह दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

चन्द्र शेखर पुत्र श्री बाबू लाल बनाम **राजस्थान राज्य** 862

– धारा 376(2)(च)(झ)(ढ) और 506 [सपठित बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 5/6] – कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक बालिका का उसके निजी शिक्षक द्वारा लगभग एक वर्ष तक यौन उत्पीड़न – बालिका का अवसादग्रस्त होना और मनोचिकित्सक द्वारा उपचार – निजी शिक्षक को हटाया जाना, जिसके पश्चात् उसके द्वारा पीड़ित लड़की का पीछा किया जाना, फोन पर धमकी तथा ब्लैकमेल किया जाना – पीड़ित लड़की द्वारा वयस्कता प्राप्त करने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – गिरफ्तारी – पोक्सो विशेष न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज

पृष्ठ संख्या

किया जाना – अभियुक्त का कर्क रोग से पीड़ित होने के आधार का अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जाना – न्यायालय के अनुसार शिक्षक और शिष्य के न्यासीय संबंध को कलंकित करने वाले और एक तरुण बालिका का यौन उत्पीड़न करने वाले अभियुक्त को उसके असाध्य रोग के प्रति सहानुभूति दर्शित करते हुए जमानत मंजूर नहीं की जा सकती – यद्यपि उसके मामले के शीघ्र निपटान का निदेश दिया जा सकता है ।

सुनील दुआ बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 737

– धारा 498क और 304ख – क्रूरता और दहेज मृत्यु – पति और सास-श्वसुर द्वारा धन की मांग – पति द्वारा घर के काम-काज को लेकर मृतका के साथ मारपीट – मृतका का अपने मायके से प्रसन्नतापूर्वक ससुराल जाना – धन की मांग के संबंध में साक्ष्य का अभाव – मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग या क्रूरता न किया जाना - मृतका से धन की मांग मकान के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु की गई थी न कि दहेज के रूप में, अत: यह सिद्ध नहीं होता है कि मृतका की मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग की गई थी, ऐसी स्थिति में दहेज मृत्यु या क्रूरता के अपराध के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है और वे दोषमुक्ति के हकदार हैं ।

महेश कुमार गौंड और अन्य बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 828

रणबीर दंड संहिता, 1989 (सम्वत् 1989 का 12)

– धारा 341/383 – [सपठित जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 (सम्वत् 1989 का 23) की धारा 561क] –

पृष्ठ संख्या

– प्रथम इत्तला रिपोर्ट और पारिणामिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने हेतु दांडिक प्रकीर्ण आवेदन – पक्षकारों के बीच किसी यान के क्रय के संबंध में करार – विवाद उत्पन्न होने के पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निदेश द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – पक्षकारों द्वारा स्वेच्छया और सौहार्दपूर्वक तथा बिना किसी प्रपीड़न के विवाद का समझौता किया जाना – दोषसिद्धि की संभावना अति निम्न होना – अभिकथित आरोप का जघन्य अपराधों या मानसिक दुराचारिता वाले अपराधों की श्रेणी में न आना – दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखने से पक्षकारों के प्रति घोर अन्याय की आशंका है अतः, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियां अभिखंडित की जानी चाहिएं ।

प्रदीप मोटर्स हायर परचेज कारपोरेशन (मैसर्स) और अन्य बनाम **जगदीश राज और अन्य** 844

सुनील दुआ

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2019 का दांडिक जमानत आवेदन सं. 30621)

तारीख 7 नवंबर, 2019

न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(च)(झ)(ढ) और 506 [सपठित बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 5/6] – कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक बालिका का उसके निजी शिक्षक द्‌वारा लगभग एक वर्ष तक यौन उत्पीड़न – बालिका का अवसादग्रस्त होना और मनोचिकित्सक द्‌वारा उपचार – निजी शिक्षक को हटाया जाना, जिसके पश्चात् उसके द्‌वारा पीड़ित लड़की का पीछा किया जाना, फोन पर धमकी तथा ब्लैकमेल किया जाना – पीड़ित लड़की द्‌वारा वयस्कता प्राप्त करने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – गिरफ्तारी – पोक्सो विशेष न्यायालय द्‌वारा जमानत अर्जी खारिज किया जाना – अभियुक्त का कर्क रोग से पीड़ित होने के आधार का अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जाना – न्यायालय के अनुसार शिक्षक और शिष्य के न्यासीय संबंध को कलंकित करने वाले और एक तरुण बालिका का यौन उत्पीड़न करने वाले अभियुक्त को उसके असाध्य रोग के प्रति सहानुभूति दर्शित करते हुए जमानत मंजूर नहीं की जा सकती – यद्‌यपि उसके मामले के शीघ्र निपटान का निदेश दिया जा सकता है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, तारीख 14 अप्रैल, 2019 को पीड़िता ने स्वयं एकमात्र अभियुक्त

सुनील दुआ के विरुद्ध वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी जिसमें उसने उसके द्वारा उसके बाल्यकाल में हुए यौन शोषण की कहानी सामने रखी थी । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना की तारीखों के रूप में तारीख 1 जनवरी, 2012 से 1 जनवरी, 2013 के बीच की अवधि को उपदर्शित करती है । तथापि, यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 14 अप्रैल, 2019 को, अर्थात् छह वर्षों के अवसान के पश्चात् उस समय रजिस्टर की गई थी जब पीड़िता ने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली थी । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दंड संहिता की धारा 376(2)(च)(झ)(ढ), 506 तथा बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 5/6 के अधीन पुलिस थाना सिविल लाइन्स, जिला इलाहाबाद में रजिस्टर की गई थी । इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि नामित अभियुक्त व्यक्ति उसका निजी शिक्षक था और उसे फरवरी, 2013 में उसके कार्य से हटा दिया गया था और उसके पश्चात् से ही वह निरंतर पीड़ित लड़की का पीछा कर रहा था और साथ ही टेलीफोन पर उसे धमकियां भी दे रहा था और पीड़िता/सूचना देने वाले व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हुए मानसिक तथा भावनात्मक रूप से उस हद तक प्रताड़ित कर रहा था कि वह आत्म-हत्या करने की कगार पर पहुंच गई थी । वस्तुतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में संक्षिप्त रूप से यह आरोप लगाया गया है कि पीड़िता के बाल्यकाल के दौरान, जब वह कक्षा 7 की छात्रा थी तब अभियुक्त-आवेदक सुनील दुआ द्वारा उस पर लैंगिक रूप से हमला किया गया था जो उस समय उसका निजी शिक्षक था । इस निरंतर शारीरिक/मनोवैज्ञानिक हमले के कारण पीड़िता गहरे सदमे में चली गई और उसने अत्यधिक मानसिक पीड़ा का सामना किया जिसके लिए वह उस समय से ही एक मनोचिकित्सक से उपचार प्राप्त कर रही है । उसके पश्चात् जब उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली तो उसने अपने बाल्यकाल के दौरान अपनी प्रताड़ना और व्यथा की दुखभरी कहानी बताते हुए वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी । पूर्वोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के अगले दिन ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया गया था जिसमें उस अवधि को निर्दिष्ट किया गया था जब वह कक्षा 7 की छात्रा थी और

साथ ही उन तरीकों और साधनों को भी उल्लिखित किया गया था जिनके द्वारा पूर्वोक्त अभियुक्त-आवेदक ने उसका यौन शोषण किया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । तदुपरांत उसने विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम न्यायालय सं. 8 में जमानत आवेदन फाइल किया जिसे उपरोक्त न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर आवेदक ने प्रोस्टेट ग्रंथि के कर्क रोक से पीड़ित होने के आधार पर उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना, संबद्ध शपथ-पत्रों के साथ संलग्न अनुलग्नकों का परिशीलन किया तथा उनके अपने-अपने शपथ-पत्रों में किए गए प्रकथनों के समर्थन में दिए गए दस्तावेजों का भी परिशीलन किया । स्वीकार्य रूप से सुसंगत समय पर सूचना देने वाले व्यक्ति/पीड़िता तथा आवेदक के बीच का संबंध एक शिक्षक और शिष्य के रूप में एक पवित्र संबंध था । छह वर्षों के अवसान के पश्चात् पीड़िता ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण प्रताड़ना की कहानी सामने रखी है और उसके पश्चात् से ही आवेदक उसे प्रताड़ित कर रहा है तथा टेलीफोन पर उससे दुर्व्यवहार कर रहा है या विद्यालय अथवा बाजार जाते समय उसका पीछा कर रहा है । किसी भी शिक्षक के लिए इस प्रकार का आचार शर्मनाक है । आवेदक की विद्वान् काउंसेल सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव ने यह दलील दी है कि चूंकि आवेदक एक कठोर शिक्षक था, केवल इस कारण और उद्देश्य से उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है । यह तर्क पूर्णतया असंगत है क्योंकि हमारे समाज में हम सभी जीवन के इन चरणों से गुजरे हैं और हम अपने बाल्यकाल को अभी भी प्रसन्नतापूर्वक स्मरण करते हैं और इसलिए हम अपनी बाल्यावस्था में किए गए अच्छे और बुरे कार्यों को कभी प्रसन्नतापूर्वक याद करते हैं और कभी-कभी हमें उनके लिए ग्लानि भी होती है । वर्तमान मामले में आवेदक द्वारा किए गए दुष्कृत्य अभी भी पीड़िता को एक बुरे स्वप्न के रूप में स्मरण हैं । जहां तक आवेदक की संपत्ति को हड़पने का संबंध है, यह तर्क भी कोई बल नहीं रखता है ।

दोनों परिवारों की वित्तीय पृष्ठ-भूमि संतोषजनक है और इस प्रकार धन ऐंठने के लिए आवेदक को मिथ्या रूप से इस मामले में फंसाए जाने की दलील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । शपथ-पत्र के पैरा 14, 15 और 16 में यह प्रकथन किया गया है कि पीड़िता प्रत्येक दिन आवेदक से जेब खर्च के रूप में धन (1,000-2,000/- रुपए) की मांग करती थी और उसके पश्चात् उसने आवेदक से 10,000/- रुपए की मांग की और जब आवेदक ने इस अयुक्तियुक्त मांग को मानने से इनकार किया तो उसने उसे एक दांडिक मामले में मिथ्या रूप से फंसाने की धमकी दी । अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया संपूर्ण परिदृश्य असत्य प्रतीत होता है क्योंकि उसके द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक अप्राप्तवय लड़की अपने माता-पिता की बजाय अपने अध्यापक से धन की मांग करेगी । सभी दलीलों को विस्तारपूर्वक सुनने और उन पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय को इस बात में कोई युक्तियुक्त औचित्य प्रतीत नहीं होता है कि पीड़िता अभियुक्त-आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से क्यों फंसाने की चेष्टा करेगी, वह भी छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् । निस्संदेह रूप से घटना की तारीखों और समय के संबंध में कतिपय विरोधाभास विद्यमान हैं किंतु विशिष्ट रूप से एक युवा लड़की का यह आरोप सत्य प्रतीत होता है कि उसका बलात्कार एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया, जिसके साथ वह न्यासीय संबंध रखती थी और यह बात यह सिद्ध करती है कि अभियुक्त व्यक्ति एक गिद्ध जैसे नीच, कुत्सित और बुरे चरित्र का व्यक्ति है । जहां तक आवेदक के निजी स्वास्थ्य का संबंध है, आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वह प्रोस्टेट ग्रंथि के मैटास्टेटिक कर्क रोग से पीड़ित है और डा. बी. पॉल द्वारा दी गई रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है । उक्त रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि उसका उपचार एम्स, नई दिल्ली में चल रहा है और वर्तमान में उसका स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है । तारीख 2 अक्तूबर, 2019 की उसकी पीएसए की रिपोर्ट भी यह दर्शित करती है कि वह सामान्य रेंज में है । न्यायालय को आवेदक के स्वास्थ्य के संबंध में उससे सभी प्रकार की सहानुभूति है किंतु दूसरी ओर यह तथ्य भी विद्यमान है कि उस पर

ऐसी लड़की से, जो उसकी शिष्या थी और उससे न्यासीय संबंध रखती थी, छेड़खानी, दुर्व्यवहार करने तथा न्यासभंग का आरोप लगाया गया है । अत: विद्यमान परिस्थितियों के अधीन मुझे ऐसा कोई उत्तम कारण प्रतीत नहीं होता है जिसके लिए मैं आवेदक के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का उपयोग करूं । इसलिए आवेदक के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है । तथापि, आवेदक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायाधीश को यह निदेश दिया जाता है कि विचारण का शीघ्र निपटारा करें और तारीख 15 मई, 2020 तक पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करें परंतु यह कि अभियोजन और प्रतिपक्ष पर्याप्त रूप से सहयोग दें और विचारण का शीघ्र निपटारा करने के लिए मामले में कोई अवांछित स्थगन न लें ।

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 का दांडिक जमानत आवेदन सं. 30621.

2019 के दांडिक मामला सं. 147 में 2019 के जमानत आवेदन सं. 2657 में अपर सेशन न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम न्यायालय सं. 8 द्वारा तारीख 2 जुलाई, 2019 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री अरविंद वर्मा और सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव

प्रति पक्षकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता और श्री चेतन चटर्जी

न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी – आवेदक की विद्वान् काउंसेल सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव, शिकायतकर्ता के विद्वान् काउंसेल श्री चेतन चटर्जी और विद्वान् सरकारी अधिवक्ता श्री एस. के. पाल को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. दोनों पक्षकारों के बीच अभिवाकों का आदान-प्रदान हुआ है तथा यह मामला अंतिम तर्कणा हेतु सामने रखा गया है ।

3. इस न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसरण में आज इस न्यायालय को कारागार अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज से

तारीख 7 नवंबर, 2019 का एक सीलबंद पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ डा. पॉल थलियथ, अपर निदेशक, चिकित्सा और मुख्य परामर्शी, प्रादेशिक कर्क रोग केंद्र, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद द्वारा दी गई रिपोर्ट को संलग्न किया गया है, जो अभियुक्त-आवेदक के अभिकथित "असाध्य रोग" से संबंधित है और साथ ही हमने संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन भी किया है ।

4. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के अनुसार जैसा कि आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा भी कथन किया गया है, तारीख 14 अप्रैल, 2019 को पीड़िता ने स्वयं एकमात्र अभियुक्त सुनील दुआ के विरुद्ध वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी जिसमें उसने उसके द्वारा उसके बाल्यकाल में हुए यौन शोषण की कहानी सामने रखी थी । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना की तारीखों के रूप में तारीख 1 जनवरी, 2012 से 1 जनवरी, 2013 के बीच की अवधि को उपदर्शित करती है । तथापि, यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 14 अप्रैल, 2019 को, अर्थात् छह वर्षों के अवसान के पश्चात् उस समय रजिस्टर की गई थी जब पीड़िता ने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली थी । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दंड संहिता की धारा 376(2)(च)(झ)(ढ), 506 तथा बालकों का यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 5/6 के अधीन पुलिस थाना सिविल लाइन्स, जिला इलाहाबाद में रजिस्टर की गई थी ।

5. इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि नामित अभियुक्त व्यक्ति उसका निजी शिक्षक था और उसे फरवरी, 2013 में उसके कार्य से हटा दिया गया था और उसके पश्चात् से ही वह निरंतर पीड़ित लड़की का पीछा कर रहा था और साथ ही टेलीफोन पर उसे धमकियां भी दे रहा था और पीड़िता/सूचना देने वाले व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हुए मानसिक तथा भावनात्मक रूप से उस हद तक प्रताड़ित कर रहा था कि वह आत्म-हत्या करने की कगार पर पहुंच गई थी । वस्तुत: प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में संक्षिप्त रूप से यह आरोप लगाया गया है कि पीड़िता के बाल्यकाल के दौरान, जब वह कक्षा 7 की छात्रा थी तब अभियुक्त-आवेदक सुनील दुआ द्वारा उस पर लैंगिक रूप से हमला किया गया था जो उस समय उसका निजी शिक्षक था । इस

निरंतर शारीरिक/मनोवैज्ञानिक हमले के कारण पीड़िता गहरे सदमे में चली गई और उसने अत्यधिक मानसिक पीड़ा का सामना किया जिसके लिए वह उस समय से ही एक मनोचिकित्सक से उपचार प्राप्त कर रही है । उसके पश्चात् जब उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली तो उसने अपने बाल्यकाल के दौरान अपनी प्रताड़ना और व्यथा की दुखभरी कहानी बताते हुए वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी । पूर्वोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने के अगले दिन ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया गया था जिसमें उस अवधि को निर्दिष्ट किया गया था जब वह कक्षा 7 की छात्रा थी और साथ ही उन तरीकों और साधनों को भी उल्लिखित किया गया था जिनके द्वारा पूर्वोक्त अभियुक्त-आवेदक ने उसका यौन शोषण किया था । दी गई शेष दलीलें लगभग वही हैं और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के तत्समान हैं ।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किया गया कथन, जिसे तारीख 18 अप्रैल, 2019 को लेखबद्ध किया गया था, स्वयं अभियोजिका द्वारा दिया गया एक लंबा कथन है जिसमें एक बालिका की दुर्भाग्यपूर्ण व्यथा का कथन किया गया है जिसे सभी प्रकार के यौन शोषण का सामना करने हेतु इस हद तक मजबूर किया गया जिसमें उसके गुप्तांगों को वासना से भरे एक विषयासक्त व्यक्ति जो इस मामले में अभियुक्त है, के कामुक हाथों द्वारा छुआ गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दिए गए अपने कथन में पीड़िता ने उसके द्वारा उस समय जब वह कक्षा 7 की एक अवयस्क छात्रा थी, झेली गई यौन प्रताड़ना के गहन ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं ।

7. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह अभिकथन करते हुए अपनी दलीलों को आरंभ किया कि पीड़िता ने स्वयं डाक्टर द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा कराने से इनकार कर दिया था जिसके कारण उसके ऊपर हुए यौन हमले के आरोपों को सुस्थापित नहीं किया जा सका था । आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह और दलील दी गई है कि किसी पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिकथित पीड़ित लड़की के कथन पर बिना कोई शक-शुब्हा किए

विश्वास करना अत्यंत जोखिमपूर्ण होगा । यह और कथन किया गया है कि उसके द्वारा झेले जा रहे गहरे मानसिक अवसाद का आरोप भी पूर्णतया झूठा प्रतीत होता है क्योंकि उसने वर्ष 2017 में अपनी कक्षा 10 की आईसीएससी की परीक्षा में 'ए' ग्रेड प्राप्त किया था और इस प्रकार ऐसी कोई लड़की जो गहन मानसिक अवसाद से पीड़ित हो अपनी माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में उच्च ग्रेड प्राप्त नहीं कर सकती । आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह और कथन किया गया है कि यौन उत्पीड़न की तारीखों/अवधि में भी कतिपय विरोधाभास हैं जो एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं और इस प्रकार वे अभियोजनपक्ष की कहानी के प्रति गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं । इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दिए गए कथन में बलात्संग का कोई आरोप नहीं लगाया गया है । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह और दलील दी गई है कि चूंकि आवेदक अपनी वृत्ति के अनुसार एक सख्त और मेहनती शिक्षक था इसलिए छह वर्ष की अवधि के पश्चात् शिकायतकर्ता आवेदक को मिथ्या रूप से संलिप्त करने वाली एक झूठी कहानी के साथ सामने आई है । इसके अतिरिक्त, यह भी दलील दी गई है कि चूंकि आवेदक एक संपन्न कुटुंब से संबंध रखता है इसलिए उसकी संपत्ति को हासिल करने के लिए लड़की द्वारा उसे इस दुर्भाग्यपूर्ण और गंदे मामले में संलिप्त करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी तैयार की गई है । अंत में यह कथन किया गया है कि आवेदक प्रोस्टेट ग्रंथि के मैटास्टेटिक कर्क रोग से पीड़ित है जो काफी अग्रिम प्रक्रम पर है और इसलिए इस न्यायालय द्वारा उसके संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए ।

8. इसके विपरीत श्री चेतन चटर्जी, परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई प्रत्येक दलील के प्रति प्रबल रूप से इनकार किया है । परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कोई अति व्यापक विश्वकोष नहीं है जिसमें किसी घटना के छोटे से छोटे ब्यौरे उपलब्ध कराए जा सकें । वर्तमान मामले में लड़की, जो घटना के समय कक्षा 7 की छात्रा थी, ने पूरे छह वर्ष तक विक्षोभ का सामना किया है जिसमें वह अपने शिक्षक द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न का सामना करती रही जिसने उसको इस

प्रकार अश्मीभूत कर दिया कि वह इस संपूर्ण अवधि के दौरान अपने माता-पिता तक को इस घटना के बारे में नहीं बता सकी । वस्तुत: आवेदक ने प्रारंभ में ही पीड़ित लड़की को उस सीमा तक आतंकित कर दिया था कि वह अपने माता-पिता के समक्ष भी अपना मुंह नहीं खोल सकी और आवेदक इन कमजोर क्षणों का लाभ उठाते हुए पीड़ित लड़की के साथ अपनी पाश्विक प्यास को बुझाता रहा । सत्य यह है कि आवेदक एक मनोवैज्ञानिक रोग से पीड़ित है जिसे पीड़ोफीला कहा जाता है (इस रोग में कोई व्यक्ति तरुण लड़का-लड़की के प्रति लैंगिक रूप से सम्मोहित होता है । इस रोग को एक ऐसे मनौवैज्ञानिक रोग के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कोई वयस्क व्यक्ति या कोई बड़ी आयु का किशोर तरुण बालक/बालिकाओं के प्रति लैंगिक रूप से आकर्षण/सम्मोहन को महसूस करता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के कथन से यह प्रकट होता है कि पीड़ित लड़की ने निश्चित रूप से ही अपनी बाल्यावस्था में झेले गए इस बुरे अनुभव और बुरे समय से स्वयं को उबार लिया है । आवेदक शिक्षा देने की आड़ में अपनी शिष्या (पीड़िता) के साथ अकेले समय व्यतीत करता था जिस दौरान वह उसे थपथपाते हुए उसके गुप्तांगों को बुरी नियत से छूता था । आवेदक के इस दुर्व्यवहार और अनिष्ट कार्यों ने पीड़िता के मन पर अत्यधिक प्रतिकूल छाप छोड़ी है ।

9. जहां तक पीड़िता की वित्तीय और पारिवारिक पृष्ठ-भूमि का संबंध है वह संतोषजनक है । उसकी माता सैम हिगिनबोटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय (एसएचयूएटीएस), नैनी, इलाहाबाद में सहबद्ध प्रोफेसर हैं जबकि उसके पिता वाराणसी स्थित बेसेंट विद्यालय में अध्यापक हैं । इसके अतिरिक्त उसके माता-पिता सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में एक प्रतिष्ठित रेस्तरां भी चलाते हैं और वित्तीय रूप से समृद्ध हैं ।

10. परिवादी के विद्वान् काउंसेल ने, आवेदक के अस्थिर स्वास्थ्य की स्थिति को स्थापित करने वाले शपथ-पत्र के साथ संलग्न चिकित्सीय नुस्खे को गंभीरतापूर्वक चुनौती दी है और आवेदक द्वारा दिए गए जमानत संबंधी आवेदन का प्रबल रूप से विरोध किया है ।

11. इस न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना, संबद्ध शपथ-पत्रों के साथ संलग्न अनुलग्नकों का परिशीलन किया तथा उनके अपने-अपने शपथ-पत्रों में किए गए प्रकथनों के समर्थन में दिए गए दस्तावेजों का भी परिशीलन किया ।

12. स्वीकार्य रूप से सुसंगत समय पर सूचना देने वाले व्यक्ति/पीड़िता तथा आवेदक के बीच का संबंध एक शिक्षक और शिष्य के रूप में एक पवित्र संबंध था । छह वर्षों के अवसान के पश्चात् पीड़िता ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण प्रताड़ना की कहानी सामने रखी है और उसके पश्चात् से ही आवेदक उसे प्रताड़ित कर रहा है तथा टेलीफोन पर उससे दुर्व्यवहार कर रहा है या विद्यालय अथवा बाजार जाते समय उसका पीछा कर रहा है । किसी भी शिक्षक के लिए इस प्रकार का आचार शर्मनाक है ।

13. आवेदक की विद्वान् काउंसेल सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव ने यह दलील दी है कि चूंकि आवेदक एक कठोर शिक्षक था, केवल इस कारण और उद्देश्य से उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है ।

14. यह तर्क पूर्णतया असंगत है क्योंकि हमारे समाज में हम सभी जीवन के इन चरणों से गुजरे हैं और हम अपने बाल्यकाल को अभी भी प्रसन्नतापूर्वक स्मरण करते हैं और इसलिए हम अपनी बाल्यावस्था में किए गए अच्छे और बुरे कार्यों को कभी प्रसन्नतापूर्वक याद करते हैं और कभी-कभी हमें उनके लिए ग्लानि भी होती है । वर्तमान मामले में आवेदक द्वारा किए गए दुष्कृत्य अभी भी पीड़िता को एक बुरे स्वप्न के रूप में स्मरण हैं ।

15. जहां तक आवेदक की संपत्ति को हड़पने का संबंध है, यह तर्क भी कोई बल नहीं रखता है । दोनों परिवारों की वित्तीय पृष्ठ-भूमि संतोषजनक है और इस प्रकार धन ऐंठने के लिए आवेदक को मिथ्या रूप से इस मामले में फंसाए जाने की दलील में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । शपथ-पत्र के पैरा 14, 15 और 16 में यह प्रकथन किया गया है कि पीड़िता प्रत्येक दिन आवेदक से जेब खर्च के रूप में धन (1,000-2,000/- रुपए) की मांग करती थी और उसके पश्चात् उसने आवेदक से

10,000/- रुपए की मांग की और जब आवेदक ने इस अयुक्तियुक्त मांग को मानने से इनकार किया तो उसने उसे एक दांडिक मामले में मिथ्या रूप से फंसाने की धमकी दी । अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया संपूर्ण परिदृश्य असत्य प्रतीत होता है क्योंकि उसके द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक अप्राप्तवय लड़की अपने माता-पिता की बजाय अपने अध्यापक से धन की मांग करेगी ।

16. सभी दलीलों को विस्तारपूर्वक सुनने और उन पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय को इस बात में कोई युक्तियुक्त औचित्य प्रतीत नहीं होता है कि पीड़िता अभियुक्त-आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से क्यों फंसाने की चेष्टा करेगी, वह भी छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् ।

17. निस्संदेह रूप से घटना की तारीखों और समय के संबंध में कतिपय विरोधाभास विद्यमान हैं किंतु विशिष्ट रूप से एक युवा लड़की का यह आरोप सत्य प्रतीत होता है कि उसका बलात्कार एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया, जिसके साथ वह न्यासीय संबंध रखती थी और यह बात यह सिद्ध करती है कि अभियुक्त व्यक्ति एक गिद्ध जैसे नीच, कुत्सित और बुरे चरित्र का व्यक्ति है ।

18. जहां तक आवेदक के निजी स्वास्थ्य का संबंध है, आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वह प्रोस्टेट ग्रंथि के मैटास्टेटिक कर्क रोग से पीड़ित है और डा. बी. पॉल द्वारा दी गई रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है । उक्त रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि उसका उपचार एम्स, नई दिल्ली में चल रहा है और वर्तमान में उसका स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है । तारीख 2 अक्तूबर, 2019 की उसकी पीएसए की रिपोर्ट भी यह दर्शित करती है कि वह सामान्य रेंज में है ।

19. न्यायालय को आवेदक के स्वास्थ्य के संबंध में उससे सभी प्रकार की सहानुभूति है किंतु दूसरी ओर यह तथ्य भी विद्यमान है कि उस पर ऐसी लड़की से, जो उसकी शिष्या थी और उससे न्यासीय संबंध रखती थी, छेड़खानी, दुर्व्यवहार करने तथा न्यासभंग का आरोप लगाया गया है ।

20. हमारे शास्त्रों के अनुसार किसी भी शिक्षक को अपना नैतिक चरित्र सर्वोपरि रखना चाहिए और उसमें सांसारिक सुखों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए तथा उसे अपने शिष्यों के समक्ष मिथ्या कथनों से बचना चाहिए । इस संबंध में हमारे शास्त्रों में एक श्लोक का उल्लेख किया गया है, जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है :-

सर्वाभिलाषिण: सर्वभोजिन: सपरिग्रहा: । अब्रह्मचारिणों मिथ्योपदेशा गुरुवो न तु ।।

भावार्थ :

अभिलाषा रखने वाले, सब भोग करने वाले, संग्रह करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले और मिथ्या उपदेश करने वाले, गुरु नहीं हैं ।

21. अत: विद्यमान परिस्थितियों के अधीन मुझे ऐसा कोई उत्तम कारण प्रतीत नहीं होता है जिसके लिए मैं आवेदक के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का उपयोग करूं । इसलिए आवेदक के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है ।

22. तथापि, आवेदक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायाधीश को यह निदेश दिया जाता है कि विचारण का शीघ्र निपटारा करें और तारीख 15 मई, 2020 तक पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करें परंतु यह कि अभियोजन और प्रतिपक्ष पर्याप्त रूप से सहयोग दें और विचारण का शीघ्र निपटारा करने के लिए मामले में कोई अवांछित स्थगन न लें ।

23. यह और निदेश दिया जाता है कि वरिष्ठ कारागार अधीक्षक, नैनी आवेदक के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और जब कभी अपेक्षित हो, आवेदक को उसकी आवधिक चिकित्सीय जांच के लिए, केवल विचारण की अवधि के दौरान सरकारी खर्च पर एम्स, नई दिल्ली भेजने की व्यवस्था करेंगे ।

आवेदन खारिज किया गया ।

पु.

माशूक और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2009 की दांडिक अपील सं. 5018 इसके साथ 2009 की दांडिक अपील सं. 4699)

तारीख 29 नवंबर, 2019

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 147, 148, 302/149 – पुरानी दुश्मनी के कारण अभियुक्तों द्वारा मृतक पर देशी पिस्तौल, तलवार, चाकू और सरिये से हमला – अस्पताल ले जाते हुए मार्ग में ही मृतक का दम तोड़ देना – घटना के तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, जिनमें से एक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराना – जिसके आधार पर रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में देशी पिस्तौल और गोली चलने का उल्लेख न होना – पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनसे हथियारों और उस यान की बरामदगी, जिसमें बैठकर वे घटनास्थल से फरार हुए थे – विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य और बरामदगियों के आधार पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय – आदेश और निर्णय के विरुद्ध मुख्यत: निम्न आधारों पर चुनौती – तीनों प्रत्यक्षदर्शियों की घटनास्थल पर उपस्थिति संदेहास्पद – मृतक का आपराधिक पृष्ठभूमि होने के कारण उसकी हत्या उसके किन्हीं अज्ञात दुश्मनों द्वारा किया जाना – हथियारों आदि की बरामदगी का स्वतंत्र साक्षी न होना – हथियारों से मिले रक्त का विघटन हो जाने के कारण उसका स्रोत अभिनिश्चित करने में असफल रहना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में पिस्तौल और मृतक पर गोली चलाए जाने का उल्लेख न होना – न्यायालय ने विचारण न्यायालय की अभिपुष्टि करते हुए यह स्पष्ट किया कि तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की घटनास्थल पर

उपस्थिति को अभियोजन पक्ष द्वारा समुचित रूप से साबित किया गया है – रक्त का विघटन होने के कारण पांच में से दो वस्तुओं पर लगे रक्त के स्रोत को अभिनिश्चित करने में असफलता इसलिए अभियोजन के पक्षकथन को धराशायी नहीं करती क्योंकि अन्य वस्तुओं पर लगे रक्त का स्रोत निश्चित हो गया है इसलिए इसका फायदा अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता – बरामदगियों का स्वतंत्र साक्षी न होना भी अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं है क्योंकि बरामदगियों को अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भली-भांति स्थापित किया गया है – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य में कतिपय विरोधाभास और विसंगतियां अवश्य हैं किंतु उनका अभिसाक्ष्य अन्यथा विश्वसनीय और चिकित्सीय रिपोर्टों द्वारा समुचित रूप से समर्थित है – अतः अभियुक्तों की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं – अरशद, पुत्र सादिक, निवासी सरसवा, जिला सहारनपुर द्वारा एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) प्रस्तुत की गई थी जिसे किसी गुलजारी लाल नामक व्यक्ति द्वारा अभिलिखित किया गया था और उसमें यह कथन किया गया था कि तारीख 28 अप्रैल, 2007 को रात्रि लगभग 8.00 बजे जब उसका भाई गय्यूर, पुत्र सगीर मस्जिद में नमाज अदा करने के पश्चात् अपने घर वापस लौट रहा था और जब वह अपने घर के द्वार में प्रवेश करने लगा तो सभी अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात् माशूक, महफूज, सोनू पुत्र महबूब **उर्फ** बॉबी, शफीक, पुत्र हफीज़, बाबर पुत्र शफीक और इलियास पुत्र मुमताज, जो सभी मोहल्ला मीरधन, कस्बा और पुलिस थाना सरसवा, जिला सहारनपुर के निवासी हैं और जो तलवार और सरिया जैसे हथियारों से लैस थे उसके सामने आ गए और पुरानी दुश्मनी के कारण उसे जान से मारने के एकसमान उद्देश्य से उन्होंने गय्यूर की गर्दन, चेहरे और पेट पर हमला किया, गय्यूर इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया । गय्यूर द्वारा चिल्लाने तथा शोर मचाने पर गालिब, उस्मान, अशरफ, नईम और गय्यूर की बहन निशा तथा गय्यूर की पत्नी रजिया घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने टॉर्च की रोशनी में उक्त घटना को देखा । उसके पश्चात् गय्यूर को घायल

अवस्था में जिला अस्पताल सहारनपुर ले जाया गया किंतु रास्ते में ही उसे हुई क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । मृतक के शव को अस्पताल में रखा गया । लिखित रिपोर्ट अभि. सा. 1 अरशद द्वारा पुलिस थाना सरसवा में अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु प्रस्तुत की गई । अभि. सा. 1 अरशद द्वारा तारीख 28 अप्रैल, 2007 को प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट के अनुसरण में उसी दिन रात्रि 10.40 बजे पुलिस थाना सरसवा में अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) दर्ज की गई । इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 302/34 के अधीन अपराधों के लिए वर्ष 2007 के अपराध मामला सं. 138 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रात्रि 10.40 बजे जी. डी. सं. 43 (प्रदर्श क-3) में भी पृष्ठांकित किया गया । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा तारीख 28 अप्रैल, 2007 को कराई गई थी जो प्रदर्श क-20 के रूप में है । पुलिस की कार्यवाही से संबंधित अन्य प्रपत्रों जैसे कि पुलिस प्ररूप सं. 13 (प्रदर्श क-31), चालान लाश (प्रदर्श क-21), फोटो लाश (प्रदर्श क-23), आर.आई. को लिखा गया पत्र (प्रदर्श 23), मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखा गया पत्र (प्रदर्श क-24) आदि को तैयार किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का स्थल निरीक्षण किया तथा स्थल-नक्शा तैयार किया जो प्रदर्श क-25 के रूप में है तथा उसने घटनास्थल से मिट्टी तथा रक्त से सनी मिट्टी का नमूना प्राप्त किया जो प्रदर्श क-4 और क-5 पर हैं । मृतक के शव की शव-परीक्षा तारीख 29 अप्रैल, 2007 को की गई थी जो प्रदर्श क-19 के रूप में है । अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के बयान लेखबद्ध किए तथा 10 अभियुक्त-व्यक्तियों, अर्थात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित 6 अभियुक्त-व्यक्तियों, अर्थात् 4 अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों के साथ राशिद, साजिद, इंतेजार और साबेज के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302/34 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रदर्श क-39 के रूप में है । तारीख 7 मई, 2007 को पुलिस ने अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ को गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से

हमले में प्रयुक्त हथियार, अर्थात् चाकू तथा एक मारुति वैन जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक एच आर 01 एच 8925 है, को बरामद किया तथा उनसे संबंधित फर्द बरामदगी ज्ञापन तैयार किया जो प्रदर्श क-27 के रूप में है । उक्त फर्द बरामदगी ज्ञापन के आधार पर तारीख 7 मई, 2007 को इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जो प्रदर्श क-12 के रूप में है और साथ ही उसे जी. डी. सं. 15 में पृष्ठांकित किया गया, जिसे प्रदर्श क-13 के रूप में साबित किया गया है । अन्वेषण अधिकारी ने बरामदगी का स्थल-नक्शा तैयार किया जो प्रदर्श क-37 के रूप में है । अभियुक्त इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25/4 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रदर्श क-18 के रूप में है । तारीख 8 मई, 2007 को पुलिस ने अपीलार्थी माशूक, महफूज और सोनू को गिरफ्तार किया तथा माशूक के कब्जे से 315 बोर की एक देशी पिस्तौल 2 कारतूसों के साथ बरामद की, इसके अतिरिक्त महफूज और सोनू के कब्जे से एक तलवार भी बरामद हुई थी । उक्त अभियुक्तों से बरामद हुए हथियारों का फर्द बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया जो प्रदर्श क-20 के रूप में है । उसे भी तारीख 8 मई, 2007 को अपराह्न 4.30 बजे जी. डी. में पृष्ठांकित किया गया जो प्रदर्श क-14 के रूप में है । उक्त बरामदगी ज्ञापन के आधार पर 3 पृथक् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, अर्थात् 2007 का अपराध मामला सं. 153, 2007 का अपराध मामला सं. 154 और 2007 का अपराध मामला सं. 155, को तीनों अपीलार्थियों के विरुद्ध क्रमश: आयुध अधिनियम की धारा 25 और धारा 4/25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया उन्हें जी. डी. सं. 32 में पृष्ठांकित किया गया जो प्रदर्श क-16 के रूप में है । बरामदगी के स्थान का स्थल-नक्शा भी अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार किया गया जो प्रदर्श क-31 के रूप में है । उक्त तीन अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के पश्चात् अभियुक्त माशूक के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25/4 के अधीन आरोप पत्र जो प्रदर्श क-34 के रूप में है, प्रस्तुत किया गया । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त महफूज के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन आरोप पत्र, जो प्रदर्श क-35 के रूप में है, प्रस्तुत

किया गया तथा अभियुक्त सोनू के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन आरोप पत्र, जो प्रदर्श क-36 के रूप में है, प्रस्तुत किया गया तथा उनके विरुद्ध आयुध अधिनियम के अधीन अभियोजन चलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर से अपेक्षित अनुमति भी प्राप्त की गई, जो क्रमश: प्रदर्श क-29 और प्रदर्श क-30 के रूप में है । इसके पश्चात् मामले को सेशन न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया । विचारण न्यायालय ने तारीख 11 दिसंबर, 2007 को अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 302 के अधीन आरोप विरचित किए । तारीख 11 जनवरी, 2008 को अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन अपराध के लिए भी आरोप विरचित किए गए और इन आरोपों में सह-अभियुक्त राशिद, साजिद, इंतेजार और साबेज को भी सम्मिलित किया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को सिद्धदोष ठहराते हुए उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में दांडिक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों की दलीलों और तर्कों को सुना और अभिलेख का भी ध्यानपूर्वक परिशीलन किया । स्वीकार्य रूप से मृतक एक आपराधिक पूर्ववृत्त वाला व्यक्ति था और वह पुलिस थाना सरसवा में अपराध सूची सं. 31क के अनुसार एक आदतन अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत था और इस तथ्य को अभि. सा. 4 कांस्टेबल प्रमोद कुमार के कथन द्वारा साबित किया गया है । इस प्रकार मृतक की हत्या किसी अन्य रीति से हुई हो सकती है न कि उस रीति से जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथन किया गया है और इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 1 अरशद, अभि. सा. 2 निशा और अभि. सा. 3 मोहम्मद उस्मान की उपस्थिति संदेहास्पद है जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है जैसा कि तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 1 अरशद, अभि. सा. 2 निशा और अभि. सा. 3 मोहम्मद उस्मान द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि उनका घटना के संबंध में दिया गया अभिसाक्ष्य संगत है क्योंकि उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष यह

कथन किया है कि उन्होंने अपीलार्थी माशूक को तलवार से, अपीलार्थी महफूज और सोनू को 315 बोर की देशी पिस्तौल, अपीलार्थी शफीक और बाबर (जिसकी अब मृत्यु हो गई है) को सरिए से तथा अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ को चाकू से (तलवारनुमा चाकू) लैस होकर मृतक पर उस समय हमला करते हुए देखा था जब वह मस्जिद में नमाज अदा करने के पश्चात् अपने घर के द्वार में प्रवेश कर रहा था और उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर सभी साक्षी जिनके अंतर्गत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित साक्षी और उक्त तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी थे, घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना को देखा और उसके पश्चात् उन्होंने अपीलार्थियों को एक मारुति वैन में बैठकर भागते हुए भी देखा । मृतक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया किंतु मार्ग में ही क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । यद्यपि तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 1 अरशद, अभि. सा. 2 निशा और अभि. सा. 3 मोहम्मद उस्मान मृतक के निकट संबंधी हैं किंतु घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति को पूर्णतया स्थापित किया गया है और उनके साक्ष्य की परीक्षा लेने वाले विचारण न्यायालय ने उनके साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया है तथा उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया है । अभि. सा. 2 श्रीमती निशा, पत्नी गालिब, जो मृतक की सगी बहन है, ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह मृतक के, जो अपने अन्य भाइयों के साथ रह रहा था, घर आई थी क्योंकि उसके एक अन्य भाई अर्थात् मरगूब की सगाई की रस्म घटना से अगले दिन जिला मेरठ में संपन्न की जानी थी और उक्त रस्म के लिए वह अन्य नातेदारों के साथ मृतक के घर में एकत्रित हुए थे । अभि. सा. 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह घटना की तारीख और समय पर मृतक गय्यूर के घर उपस्थित था और उसने अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साथ पूरी घटना को देखा था । यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना के तुरंत पश्चात् जब मृतक ने अपनी क्षतियों के कारण दम तोड़ दिया तो अभि. सा. 1 ने गुलजारी लाल नामक एक व्यक्ति, जो उसे पुलिस थाने में मिला था, के माध्यम से लिखी गई एक लिखित रिपोर्ट

के आधार पर रात्रि लगभग 10.40 बजे घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । इसी प्रकार अभि. सा. 3 मोहम्मद उस्मान ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि वह गालिब के साथ घर की ओर लौट रहा था और जब वे मृतक गय्यूर के घर के समीप पहुंचे तो उसने बिजली के बल्ब की रोशनी में इस सारी घटना को देखा । मृतक उसके ताऊ का पुत्र था और वह घटना के समय गालिब के साथ बाजार से वापस लौट रहा था । यद्यपि अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेलों ने इन तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए कथनों में कुछ विरोधाभासों को दर्शित किया है किंतु ये विरोधाभास ऐसे नहीं हैं जो संपूर्ण अभियोजन के पक्षकथन को नकार सकें । अपीलार्थियों द्वारा मृतक गय्यूर की हत्या करने के लिए हेतुक भी थीं, सुदृढ़ है क्योंकि तीनों अपीलार्थी, अर्थात् माशूक, महफूज और सोनू आपस में सगे भाई हैं और उनके एक चौथे सगे भाई महबूब **उर्फ** भूरे की हत्या मृतक गय्यूर द्वारा अभिकथित रूप से की गई थी और वह घटना से लगभग 16-17 माह पहले से सहारनपुर के एक न्यायालय में विचारण का सामना कर रहा था जिसमें वह घटना के समय जमानत पर छूटा हुआ था । अन्य अपीलार्थी, अर्थात् शफीक, बाबर और इलताफ **उर्फ** अल्ताफ भी तीनों अपीलार्थियों के निकट के नातेदार हैं जैसा कि अभि. सा. 1, 2 और 3 के साक्ष्य से स्पष्ट है और उन्होंने घटना के दिन गय्यूर की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य से मृतक पर हमला किया था और इस प्रकार उसकी हत्या में भागीदारी की थी । यदि यह मान भी लिया जाए कि मृतक एक आदतन अपराधी था और वह एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था तब भी घटना के तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अपीलार्थी उसकी हत्या में संलिप्त थे । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का अभिसाक्ष्य पूर्ण रूप से अभियोजन के पक्षकथन की पुष्टि करता है और यह बात दर्शित करने के लिए कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है कि मृतक की, उसके एक आपराधिक पूर्ववृत्त वाला व्यक्ति होने के कारण हत्या किन्हीं अन्य अज्ञात अपराधियों द्वारा की

गई थी या वह घटना किसी अन्य रीति में घटित हुई थी न कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथित रीति में जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए हैं । एक अन्य परिस्थिति, जो यह दर्शित करती है कि अपीलार्थी ही मृतक की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं, यह है कि जब पुलिस ने उन्हें क्रमश: तारीख 7 मई, 2007 और 8 मई, 2007 को गिरफ्तार किया था तब उनके कब्जे से हथियारों की बरामदगी भी हुई थी । अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने जोर-शोर से यह तर्क रखा है कि उक्त अपीलार्थी को वर्तमान मामले में केवल इस तथ्य के कारण झूठा फंसाया गया है कि वह अपीलार्थी शफीक का नातेदार है और इसके अतिरिक्त उसकी गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से बरामद हुए चाकू पर सीरम विशेषज्ञ द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार लगा हुआ रक्त विघटित हो चुका था जिससे यह उपदर्शित होता है कि उसके कब्जे से बरामदगी का दावा मिथ्या है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा सामने रखा गया उक्त तर्क अधिक संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सीरम विशेषज्ञ की तारीख 17/18 अगस्त, 2007 की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा जांच हेतु भेजी गई सभी वस्तुओं, जिनके अंतर्गत हमले में प्रयुक्त तलवार, चाकू जैसे हथियार, कपड़े और घटनास्थल की सामान्य मिट्टी और रक्त से सनी मिट्टी भी थी, पर रक्त के निशान पाए गए थे और तलवार तथा मृतक के कपड़ों पर पाया गया रक्त मानव-रक्त था जबकि चाकू और रक्त से सनी मिट्टी पर जो रक्त पाया गया था वह विघटित हो चुका था और इस संबंध में विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील संगत प्रतीत होती है । विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने अपीलार्थियों से विद्वान् काउंसेलों द्वारा चाकू और रक्त से सनी मिट्टी पर पाए गए विघटित रक्त के संबंध में दिए गए तर्कों के उत्तर में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का अवलंब लिया है और उसके आधार पर उन्होंने यह तर्क सामने रखा है कि कभी-कभार रक्त के निशान अपर्याप्त होने पर या उसमें रक्त विज्ञान संबंधी कतिपय परिवर्तन होने पर या प्लाज्मा संबंधी स्कंदन होने के कारण किसी सीरम विशेषज्ञ को रक्त का स्रोत पता लगाने में

असफलता प्राप्त हो सकती है । अतः अपीलार्थियों के विद्‌वान् काउंसेलों द्‌वारा दिया गया यह तर्क अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ की दोषसिद्धि और पारिणामिक दंडादेश को अपास्त करने का आधार नहीं हो सकता, विशेषकर तब जब घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य अभिलेख पर विद्‌यमान हैं जो कि अभि. सा. 1, 2 और 3, जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा था, के कथनों के रूप में हैं और जिन पर विश्वास करते हुए तथा जिनके आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया तथा उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । इसके अतिरिक्त वर्तमान मामले में सीरम विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार वस्तु मद सं. 1 से 5, जिसमें चाकू और रक्त से सनी मिट्टी भी सम्मिलित थे, पर रक्त पाया गया था किंतु सीरम विशेषज्ञ ने आगे यह और राय दी कि मद सं. 2 और 5, जो क्रमशः चाकू और रक्त से सनी मिट्टी हैं, पर पाया गया रक्त विघटित हो चुका था और इस प्रकार यह नहीं पता लगाया जा सका था कि प्रश्नगत रक्त का स्रोत क्या है जबकि वस्तु मद सं. 1, 3 और 4 पर मानव-रक्त पाया गया था । अतः उक्त मामला तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पूर्वोक्त मामले से भिन्न है और उक्त मामले में स्थापित मामला विधि को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त अपीलार्थियों के विद्‌वान् काउंसेलों ने इस संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है कि मामले का अन्वेषण दूषित था और मामले के अन्वेषण अधिकारी के विरुद्ध उक्त अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ से की गई बरामदगी को मिथ्या साबित करने के लिए कोई असद्भाव उपदर्शित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेख करना भी संगत होगा कि जब पुलिस ने तारीख 7 मई, 2007 को अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ को गिरफ्तार किया था उस समय अपीलार्थी महफूज की मारुति वैन उसके कब्जे से बरामद हुई थी जिसके संबंध में उक्त अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया है जो स्वयं में एक अन्य ऐसी परिस्थिति है जो यह दर्शित करती है कि वह वर्तमान मामले में संलिप्त है । जहां तक अपीलार्थियों के विद्‌वान् काउंसेल के इस तर्क का संबंध है कि बरामदगी का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है अतः यह बरामदगी संदेहास्पद है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

अन्वेषण अधिकारी और अन्य पुलिस कार्मिकों के साक्ष्य से यह तथ्य सामने आया है कि स्वतंत्र साक्षी बनाने हेतु प्रयास किए गए थे किंतु कोई भी व्यक्ति उक्त बरामदगी का साक्षी बनने हेतु तैयार नहीं हुआ था । इसके अतिरिक्त, बरामदगी ज्ञापन पर अपीलार्थियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिसके संबंध में उन्होंने कोई विवाद नहीं उठाया है । जहां तक अपीलार्थी माशूक से की गई बरामदगी का संबंध है तारीख 8 मई, 2007 को उसके कब्जे से तलवार बरामद की गई थी जिस पर रक्त के निशान पाए गए थे जिनकी सीरम विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई थी और इसकी रिपोर्ट के अनुसार वह मानव-रक्त था । अत: मृतक की हत्या में उक्त अपीलार्थी का संलिप्त होना इस तथ्य को विचार में लेते हुए साबित हो गया है कि तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में उसका नाम सामने आया है । इसी प्रकार अपीलार्थी महफूज और सोनू से, पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय 315 बोर की देशी पिस्तौल भी बरामद की गई थी और उस पिस्तौल को मृतक के शव से बरामद कारतूस के साथ जांच हेतु प्राक्षेपिकी विज्ञानी के पास भेजा गया था जिसके संबंध में प्राक्षेपिकी विज्ञानी ने यह राय प्रस्तुत की है कि उस कारतूस को अपीलार्थियों के कब्जे से बरामद हुई देशी पिस्तौल से चलाया गया था । यह तथ्य स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि अपीलार्थी महफूज और सोनू वर्तमान मामले में पूर्णतया संलिप्त थे । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा जोर-शोर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि गुलजारी लाल, जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने हेतु लिखित रिपोर्ट को लेखबद्ध किया था, हरियाणा राज्य के जिला यमुना नगर का निवासी है और विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी परीक्षा नहीं की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसने अपीलार्थियों द्वारा मृतक पर तलवार और सरिए से हमला किए जाने संबंधी केवल एक साधारण भूमिका का उल्लेख किया है और उक्त रिपोर्ट में मृतक पर किसी अग्न्यायुध से गोली चलाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है जिसके कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की वास्तविकता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल का यह प्रतिवाद संगत नहीं प्रतीत होता है क्योंकि अभि. सा. 1 अरशद जो मृतक का चचेरा भाई है और जिसने प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी, के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के तुरंत पश्चात् जब वह उस घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाने गया था तो वहां वह गुलजारी नामक एक व्यक्ति से मिला था और उसने उससे रिपोर्ट को लेखबद्ध करने का अनुरोध किया था । उसने संपूर्ण घटना का ब्यौरेवार वर्णन उसके समक्ष किया था जिसमें उसने अपीलार्थियों के नामों और हमले में प्रयुक्त हथियारों और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के नामों का उल्लेख किया था किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घटना का वर्णन जल्दी-जल्दी किया गया था और इस कारण से भूलवश प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति उक्त रिपोर्ट में अग्न्यायुध के प्रयोग के संबंध में उल्लेख करना भूल गया था । उस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को उसे लिखने वाले व्यक्ति गुलजारी लाल ने अरशद को पढ़कर नहीं सुनाया था और उसने भी जल्दबाजी में और घटना से प्रभावित विक्षुब्ध मनोस्थिति में उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे । यह सत्य है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अग्न्यायुध का प्रयोग किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है किंतु यह स्थिति इतनी गंभीर प्रकृति की नहीं है कि अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन को धराशायी कर दे क्योंकि अभि. सा. 1 द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में घटना के व्यापक ब्यौरे दिए गए हैं और उस पर विश्वास न करने अथवा उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा आगे यह और तर्क दिया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन घटना से संबंधित कथनों को काफी समय पश्चात् लेखबद्ध किया था जबकि वे सब लोग घटनास्थल पर उपस्थित थे जिससे यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षियों को, अपीलार्थियों की मृतक से दुश्मनी होने के कारण मिथ्या रूप से उसकी हत्या में फंसाए जाने के लिए बाद में तैयार किया गया था । किंतु उक्त तर्क में भी कोई बल नहीं है क्योंकि यदि अन्वेषण अधिकारी की ओर से कथनों को तुरंत लेखबद्ध करने में कोई चूक हुई थी तो केवल इस कारण से अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन को झूठा नहीं कहा जा सकता । विशेष

रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष तीन-तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी अपने-अपने हथियारों के साथ मृतक पर किए गए हमले में शामिल थे । घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य सहित अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा करने और साथ ही मृतक के शव और उसके कटे हुए अंगों की शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलार्थियों ने मृतक की हत्या में भाग लिया था और यह बात प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्णतया साबित हो जाती है । विधि की ऊपर निर्दिष्ट सुस्थापित प्रतिपादना को ध्यान में रखते हुए अभि. सा. 1, 2 और 3 जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, के अभिसाक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दिए गए उनके साक्ष्य को विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक पाया है और छोटे-मोटे विरोधाभास अभियोजन के पक्षकथन को प्रभावित नहीं करते हैं और इसलिए वे साक्षियों की विश्वसनीयता के संबंध में संदेह करने का आधार नहीं हो सकते । यह भी सुस्थापित विधि है कि मृतक के कुटुंब के सदस्यों या उसके नातेदारों के साक्ष्य को केवल इसलिए अभित्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वे मृतक के नातेदार हैं और यद्यपि निःसंदेह रूप से उनका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण हो सकता है किंतु इसके लिए न्यायालय को अत्यंत सावधानीपूर्वक उनके साक्ष्य पर विचार करना चाहिए और यदि उनका साक्ष्य अन्यथा विश्वासोत्पादक और विश्वसनीय पाया जाता है तो उसे नकारा नहीं जा सकता । वर्तमान मामले में इस घटना के तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, जिनमें से दो मृतक के चचेरे भाई हैं जबकि एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक की सगी बहन है और अपीलार्थियों के विरुद्ध दिए गए उनके साक्ष्य के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि उनके कथन के अनुसार अपीलार्थियों ने उनकी उपस्थिति में मृतक की हत्या की है और उन्होंने संपूर्ण घटना को देखा था इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराने और उन्हें दंडादिष्ट करने के लिए लेखबद्ध किए गए निष्कर्ष पूर्णतया

न्यायोचित हैं क्योंकि अभियोजन ने अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित किया है । (पैरा 42, 43, 44, 48, 49 और 52)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 0 सुप्रीम (एस. सी.) 826 : **बलवान सिंह** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य** ;	35
[2019]	(2019) 8 एस. सी. सी. 359 : **मल्लिकार्जुन** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	50
[2012]	(2012) 11 एस. सी. सी. 768 : **जगरूप सिहं** बनाम **पंजाब राज्य** ;	45
[2011]	(2011) 11 एस. सी. सी. 111 : **रमेशभाई मोहनभाई** बनाम **गुजराज राज्य** ;	51
[1999]	1999 ला सूट (एस. सी.) 333 : **राजस्थान राज्य** बनाम **तेजा राम** ।	38

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 5018 इसके साथ 2009 की दांडिक अपील सं. 4699.

2007 के सेशन विचारण सं. 738 में अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 7, सहारनपुर द्वारा तारीख 29 जुलाई, 2009 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अनुराग पाठक, इमरान मबूद खान, इंद्र भान यादव, नूर मोहम्मद, संतोष त्रिपाठी और त्रिपुरारी पाल

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव (अपर सरकारी अधिवक्ता) और संजय मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया ।

न्या. सिन्हा – चूंकि दोनों अपीलें एक ही निर्णय और आदेश से उद्भूत हुई हैं इसलिए दोनों अपीलों का विनिश्चय इस समान निर्णय और आदेश द्वारा किया जा रहा है ।

2. वर्तमान अपीलें वर्ष 2007 के सेशन विचारण सं. 738, राज्य बनाम माशूक और अन्य के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 7, सहारनपुर द्वारा तारीख 29 जुलाई, 2009 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं । इस निर्णय और आदेश द्वारा सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 147 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है और उन्हें एक वर्ष के कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया है । इसके अतिरिक्त, सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 148 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है और उन्हें दो वर्ष के कठिन कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया है और सभी अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है और उन्हें आजीवन कारावास और 15,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया था जबकि अपीलार्थी सं. 1 और 4 को आयुध अधिनियम की धारा 25/4 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया था और उन्हें एक वर्ष के कारावास और 2,000/- रुपए के जुर्माने से तथा अपीलार्थी सं. 2 और 3 को आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया था और उन्हें एक वर्ष के कारावास और 2,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया है । अपीलार्थी शफ़ीक और बाबर को भी दंड संहिता की धारा 147 के अधीन सिद्धदोष ठहराते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया था और साथ ही इन्हें दंड संहिता की धारा 148 के अधीन भी सिद्धदोष ठहराते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया है । इन सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाने का आदेश किया गया है ।

3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की तारीख 13 सितंबर, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी शफ़ीक की मृत्यु इस अपील के लंबित रहने के दौरान तारीख 19 दिसंबर, 2009 को हो गई थी । अत:

उसके निमित्त अपील का उपशमन कर दिया गया है तथा न्यायालय ने अन्य अपीलार्थियों की ओर से इस अपील की सुनवाई की है ।

4. अभियोजन का पक्षकथन संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि अरशद, पुत्र सादिक, निवासी सरसवा, जिला सहारनपुर द्वारा एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) प्रस्तुत की गई थी जिसे किसी गुलजारी लाल नामक व्यक्ति द्वारा अभिलिखित किया गया था और उसमें यह कथन किया गया था कि तारीख 28 अप्रैल, 2007 को रात्रि लगभग 8.00 बजे जब उसका भाई गय्यूर, पुत्र सगीर मस्जिद में नमाज अदा करने के पश्चात् अपने घर वापस लौट रहा था और जब वह अपने घर के द्वार में प्रवेश करने लगा तो सभी अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात् माशूक, महफूज, सोनू पुत्र महबूब **उर्फ** बॉबी, शफीक, पुत्र हफीज़, बाबर पुत्र शफीक और इलियास पुत्र मुमताज, जो सभी मोहल्ला मीरधन, कस्बा और पुलिस थाना सरसवा, जिला सहारनपुर के निवासी हैं और जो तलवार और सरिया जैसे हथियारों से लैस थे उसके सामने आ गए और पुरानी दुश्मनी के कारण उसे जान से मारने के एकसमान उद्देश्य से उन्होंने गय्यूर की गर्दन, चेहरे और पेट पर हमला किया, गय्यूर इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया । गय्यूर द्वारा चिल्लाने तथा शोर मचाने पर गालिब, उस्मान, अशरफ, नईम और गय्यूर की बहन निशा तथा गय्यूर की पत्नी रजिया घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने टॉर्च की रोशनी में उक्त घटना को देखा । उसके पश्चात् गय्यूर को घायल अवस्था में जिला अस्पताल सहारनपुर ले जाया गया किंतु रास्ते में ही उसे हुई क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । मृतक के शव को अस्पताल में रखा गया । लिखित रिपोर्ट अभि. सा. 1 अरशद द्वारा पुलिस थाना सरसवा में अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु प्रस्तुत की गई ।

5. अभि. सा. 1 अरशद द्वारा तारीख 28 अप्रैल, 2007 को प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट के अनुसरण में उसी दिन रात्रि 10.40 बजे पुलिस थाना सरसवा में अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) दर्ज की गई । इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 302/34 के अधीन अपराधों के

लिए वर्ष 2007 के अपराध मामला सं. 138 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रात्रि 10.40 बजे जी. डी. सं. 43 (प्रदर्श क-3) में भी पृष्ठांकित किया गया । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा तारीख 28 अप्रैल, 2007 को कराई गई थी जो प्रदर्श क-20 के रूप में है । पुलिस की कार्यवाही से संबंधित अन्य प्रपत्रों जैसे कि पुलिस प्ररूप सं. 13 (प्रदर्श क-31), चालान लाश (प्रदर्श क-21), फोटो लाश (प्रदर्श क-23), आर.आई. को लिखा गया पत्र (प्रदर्श 23), मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखा गया पत्र (प्रदर्श क-24) आदि को तैयार किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का स्थल निरीक्षण किया तथा स्थल-नक्शा तैयार किया जो प्रदर्श क-25 के रूप में है तथा उसने घटनास्थल से मिट्टी तथा रक्त से सनी मिट्टी का नमूना प्राप्त किया जो प्रदर्श क-4 और क-5 पर हैं । मृतक के शव की शव-परीक्षा तारीख 29 अप्रैल, 2007 को की गई थी जो प्रदर्श क-19 के रूप में है । अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के बयान लेखबद्ध किए तथा 10 अभियुक्त-व्यक्तियों, अर्थात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित 6 अभियुक्त-व्यक्तियों, अर्थात् 4 अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों के साथ राशिद, साजिद, इंतेजार और साबेज के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302/34 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रदर्श क-39 के रूप में है ।

6. तारीख 7 मई, 2007 को पुलिस ने अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ को गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से हमले में प्रयुक्त हथियार, अर्थात् चाकू तथा एक मारुति वैन जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक एच आर 01 एच 8925 है, को बरामद किया तथा उनसे संबंधित फर्द बरामदगी ज्ञापन तैयार किया जो प्रदर्श क-27 के रूप में है । उक्त फर्द बरामदगी ज्ञापन के आधार पर तारीख 7 मई, 2007 को इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जो प्रदर्श क-12 के रूप में है और साथ ही उसे जी. डी. सं. 15 में पृष्ठांकित किया गया, जिसे प्रदर्श क-13 के रूप में साबित किया गया है । अन्वेषण अधिकारी ने बरामदगी का स्थल-नक्शा तैयार किया जो प्रदर्श क-37 के रूप में है । अभियुक्त

इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25/4 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जो प्रदर्श क-18 के रूप में है । तारीख 8 मई, 2007 को पुलिस ने अपीलार्थी माशूक, महफूज और सोनू को गिरफ्तार किया तथा माशूक के कब्जे से 315 बोर की एक देशी पिस्तौल 2 कारतूसों के साथ बरामद की, इसके अतिरिक्त महफूज और सोनू के कब्जे से एक तलवार भी बरामद हुई थी । उक्त अभियुक्तों से बरामद हुए हथियारों का फर्द बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया जो प्रदर्श क-20 के रूप में है । उसे भी तारीख 8 मई, 2007 को अपराह्न 4.30 बजे जी. डी. में पृष्ठांकित किया गया जो प्रदर्श क-14 के रूप में है । उक्त बरामदगी ज्ञापन के आधार पर 3 पृथक् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, अर्थात् 2007 का अपराध मामला सं. 153, 2007 का अपराध मामला सं. 154 और 2007 का अपराध मामला सं. 155 को तीनों अपीलार्थियों के विरुद्ध क्रमश: आयुध अधिनियम की धारा 25 और धारा 4/25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया उन्हें जी. डी. सं. 32 में पृष्ठांकित किया गया जो प्रदर्श क-16 के रूप में है । बरामदगी के स्थान का स्थल-नक्शा भी अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार किया गया जो प्रदर्श क-31 के रूप में है ।

7. उक्त तीन अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के पश्चात् अभियुक्त माशूक के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25/4 के अधीन आरोप पत्र जो प्रदर्श क-34 के रूप में है, प्रस्तुत किया गया । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त महफूज के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन आरोप पत्र, जो प्रदर्श क-35 के रूप में है, प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्त सोनू के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन आरोप पत्र, जो प्रदर्श क-36 के रूप में है, प्रस्तुत किया गया तथा उनके विरुद्ध आयुध अधिनियम के अधीन अभियोजन चलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर से अपेक्षित अनुमति भी प्राप्त की गई, जो क्रमश: प्रदर्श क-29 और प्रदर्श क-30 के रूप में है । इसके पश्चात् मामले को सेशन न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया । विचारण न्यायालय ने तारीख 11 दिसंबर, 2007 को अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 302 के अधीन आरोप

विरचित किए । तारीख 11 जनवरी, 2008 को अभियुक्त- अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन अपराध के लिए भी आरोप विरचित किए गए और इन आरोपों में सह-अभियुक्त राशिद, साजिद, इंतेजार और साबेज को भी सम्मिलित किया गया । अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और अपने विचारण का दावा किया ।

8. अभियुक्त माशूक और इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25/4 तथा अभियुक्त महफूज और सोनू के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन तारीख 14 नवंबर, 2009 को आरोप विरचित किए गए और उक्त मामले को भी सेशन न्यायालय को सौंप दिया गया था । अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और उन्होंने अपने विचारण का दावा किया ।

9. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में अभि. सा. 1 अरशद, जो मामले की इत्तिला देने वाला व्यक्ति है, अभि. सा. 2 निशा पत्नी श्री गालिब, अभि. सा. 3 मोहम्मद उस्मान, अभि. सा. 4 कांस्टेबल प्रमोद कुमार, अभि. सा. 5 कांस्टेबल पीपन सिंह, अभि. सा. 6 डा. आर. के. गोयल, अभि. सा. 7 उप निरीक्षक श्रीपाल राणा, अभि. सा. 8 इरफान और अभि. सा. 9 ऋषिराम कथेरिया की परीक्षा की ।

10. अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए अपने कथनों में अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया । उन्होंने यह कथन किया कि साक्षियों ने उनके विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है और उन्होंने आपसी दुश्मनी के कारण उन्हें इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया है ।

11. अभि. सा. 1 अरशद ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि अपीलार्थी माशूक, महफूज, सोनू, शफीक, बाबर और इलताफ **उर्फ** अल्ताफ, जो वर्तमान मामले में अभियुक्त हैं, उसके परिचित हैं क्योंकि वे सभी मुहल्ला मीरधन सरसवा के निवासी हैं और एक-दूसरे के नातेदार हैं । मृतक गय्यूर महमूद **उर्फ** भूरे की हत्या के एक मामले में अभियुक्त था और वह घटना से लगभग 16-17 मास पहले से ही सहारनपुर के एक न्यायालय में विचारण का

सामना कर रहा था और घटना के समय वह जमानत पर था । महमूद एक पेशेवर अपराधी था और उसकी मृतक गय्यूर से पुरानी दुश्मनी थी । तारीख 28 अप्रैल, 2017, अर्थात् घटना के दिन साक्षी गय्यूर के घर में मौजूद थे और रात्रि 8.00 बजे मृतक गय्यूर मस्जिद में नमाज अदा करने के पश्चात् अपने घर लौट रहा था और जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तो अभियुक्त माशूक, महफूज, सोनू, बाबर इलताफ **उर्फ** अल्ताफ उसके सामने आ गए, जिनमें से अभियुक्त सोनू और महफूज एक देशी पिस्तौल से लैस थे तथा अभियुक्त माशूक और इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के हाथों में तलवार थी तथा अभियुक्त शफीक और बाबर के हाथ में तेजधार वाले सरिए थे और उन्होंने गय्यूर की हत्या करने के इरादे से अपने-अपने हाथों में पकड़े हथियारों से उस पर हमला किया जिसके कारण गय्यूर के शरीर को गंभीर क्षतियां हुईं । उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर साक्षी, अर्थात् गालिब, उस्मान, अशरफ, निशा, गय्यूर की बहन, रजिया, गय्यूर की पत्नी और मरगूब, गय्यूर का भाई घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने सारी घटना इलैक्ट्रिक लाइट में देखी । उसके पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति एक मारुति वैन, जिसे पास में ही पार्क किया गया था, में बैठकर फरार हो गए । घटनास्थल पर रक्त बिखरा हुआ था । गंभीर क्षतियां होने के कारण गय्यूर की हालत काफी बिगड़ गई थी । उसे सहारनपुर अस्पताल ले जाया गया किंतु रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया । उसके शव को अस्पताल में रखा गया । उसे एक लड़के द्वारा अभिलिखित घटना की रिपोर्ट प्राप्त हुई । उसने उस रिपोर्ट में वही लिखा था जो उसे बताया गया था । उसके पश्चात् उसने उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए और उसे पुलिस थाने सरसवा में सौंप दिया । पत्र सं. 5 को देखने के पश्चात् उसने साबित किया कि उक्त लिखित रिपोर्ट प्रदर्श 1 पर है । उसने विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने इस तथ्य के बारे में रिपोर्ट लिखने को कहा था कि गय्यूर पर अग्न्यायुध से हमला किया गया था किंतु जल्दी-जल्दी में रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति इस बात का उल्लेख करना भूल गया था । अत: उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित उसके बयान में पुलिस थाने में उप निरीक्षक के समक्ष इस बात का उल्लेख किया था ।

12. अपनी प्रतिपरीक्षा में, साक्षी ने यह कथन किया है कि वह तीसरी-चौथी कक्षा तक पढ़ा है । उसने लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) पर उसे पढ़े बिना ही हस्ताक्षर कर दिए थे और उस लिखित रिपोर्ट को लिखने वाले व्यक्ति ने उस रिपोर्ट को उसके समक्ष नहीं पढ़ा था । उसने रात्रि 10.30-10.40 बजे के आस-पास पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । उस समय थाना अधिकारी पुलिस थाने में मौजूद था । उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने उसके कथन को लेखबद्ध किया था । साक्षी ने यह कथन किया है कि वह ग्राम कुंदा का निवासी है जो सरसवा से लगभग 3 किलोमीटर दूर है । वह अपना कृषि संबंधी कार्य कुंदा से ही करता है और उसके कुटुंब के बुजुर्ग व्यक्ति कुंदा में ही निवास करते थे । उसने सरसवा में कोई आवास किराए पर नहीं लिया है । वह अभी भी अविवाहित है । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि अभियुक्त शफीक, अभियुक्त महफूज और अन्य व्यक्तियों का नातेदार नहीं था । उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि क्या इलताफ **उर्फ** अल्ताफ का नाम सरसवा की मतदाता सूची में सम्मिलित था अथवा नहीं और साथ ही उसे इस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी कि उसके पास कोई राशन कार्ड था अथवा नहीं । इलताफ **उर्फ** अल्ताफ सरसवा में किराए के आवास में रहता था । वर्तमान घटना से पूर्व मृतक गय्यूर किसी महमूद नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दांडिक विचारण का सामना कर रहा था और गय्यूर पर डा. कामिल और उनकी पत्नी की हत्या से संबंधित एक अन्य मामला भी चल रहा था जिसमें पक्षकारों के बीच कोई समझौता हुआ था । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि गय्यूर पुलिस थाना सरसवा के अंतर्गत चोटी के 10 अपराधियों में से एक था । गय्यूर पर डा. कामिल के पुत्र, पप्पू की हत्या का विचारण भी चला था, पक्षकारों के बीच समझौता हो गया था । डा. कामिल के दूसरे पुत्र का नाम अरशद था । गय्यूर के पास 100 बीघा जमीन थी जिसमें साक्षी कृषि संबंधी कार्य करने के लिए नियोजित किया गया था । गय्यूर के क्रमश: 2 और 5 वर्ष की आयु के 2 बालक हैं । उसने यह कथन किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसने यह लिखा था कि वह घर में मौजूद था और यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं

किया गया होता तो वह यह नहीं बता सकता था कि उसके लिए क्या कारण था किंतु उसने इस तथ्य का उल्लेख पुलिस थाने में अन्वेषण अधिकारी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने बयान को लेखबद्ध किए जाने के समय किया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसने यह और उल्लेख किया था कि अभियुक्त शफीक और बाबर तेजधार वाले हथियारों से लैस थे और यदि इसका उल्लेख प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं किया गया है तो वह इसका कारण बताने में असमर्थ था । सरिए की मोटाई लगभग 3 इंच की थी और वह तेजधार वाला नहीं था । तलवार लगभग 3 फुट लंबी थी । अभियुक्त इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के पास एक छोटी तलवार भी थी । अभियुक्त इलताफ **उर्फ** अल्ताफ तथा माशूक, दोनों ने ही अपने-अपने हथियारों से मृतक पर चार बार हमला किया था । घटना के समय वह घटनास्थल से लगभग 10-12 कदम की दूरी पर था । मस्जिद घटनास्थल के पश्चिम की ओर लगभग 150 कदम की दूरी पर स्थित है । सभी साक्षी शोर की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे और वह घटनास्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था । उसके पश्चात् गय्यूर की बहन, अर्थात् निशा, रजिया, गय्यूर की पत्नी एक-साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और उसके पश्चात् अशरफ, नइम, उस्मान, गालिब और अन्य साक्षी घटनास्थल पर पहुंचे थे । उन सबके पश्चात् मरगूब भी घटनास्थल पर पहुंचा था । उस्मान का घर मृतक गय्यूर के घर के निकट स्थित है । साक्षी ने मृतक को बचाने की चेष्टा की किंतु अभियुक्त ने एक देशी पिस्तौल उसकी ओर तान दी । रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति उसे अचानक ही मिल गया था और वह व्यक्ति उसका जानकार था । वह यमुनानगर का निवासी था । उसने रिपोर्ट में वही तथ्य लिखे थे, जो उसे बताए गए थे । किंतु रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उस व्यक्ति ने रिपोर्ट को उसके लिए नहीं पढ़ा था चूंकि वह जल्दी में था और इस घटना के कारण वह थोड़ा विक्षुब्ध हो गया था ।

13. अभि. सा. 2, निशा, पत्नी गालिब जो मृतक गय्यूर की बहन है, ने भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । जैसा कि अभि. सा. 1 द्वारा कथन किया गया है और उसने विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 अप्रैल, 2007 को वह

अपने भाई के घर आई थी क्योंकि अगले दिन उसके भाई मरगूब की सगाई संबंधी समारोह का आयोजन जिला मेरठ में संपन्न किया जाना था और उसके अतिरिक्त अनेक अन्य नातेदार भी उक्त प्रयोजन हेतु मृतक के घर एकत्रित हुए थे घटना की रात वह अपनी भाभी रजिया और उसकी बुआ के भाई, अर्थात् अरशद के साथ बरामदे (सेहन) में बैठकर कुछ बातचीत कर रही थी । उसी समय उसका भाई मस्जिद में नमाज अदा करने के पश्चात् जब घर की ओर लौट रहा था तो अभियुक्त माशूक, महफ़ूज़, सोनू, बाबर और इलताफ **उर्फ** अल्ताफ एक-साथ उसके समक्ष आए और उन्होंने अपने-अपने हथियारों से उसके भाई गय्यूर पर हमला किया । अभियुक्त सोनू और महफूज देशी पिस्तौल से लैस थे, अभियुक्त माशूक और इलताफ **उर्फ** अल्ताफ तलवारों से लैस थे तथा अभियुक्त शफीक और बाबर सरिए से लैस थे । इस हमले में उसके भाई गय्यूर को गंभीर क्षतियां हुई थीं । उसके द्वारा शोर मचाने पर गालिब, उस्मान, मरगूब और अशरफ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इनवर्टर की रोशनी में पूरी घटना को देखा । अभियुक्त व्यक्ति एक मारुति वैन में बैठकर घटनास्थल से फरार हो गए और जब उसने अपने भाई को लहुलुहान हालत में देखा तो वह अत्यधिक डर गई थी तथा उसकी तबियत भी खराब हो गई थी । घटनास्थल पर अत्यधिक मात्रा में रक्त बिखरा हुआ था । घायल अवस्था में उसके भाई को सहारनपुर अस्पताल ले जाया गया किंतु मार्ग में ही उसने उसे हुई क्षतियों के कारण दम तोड़ दिया ।

14. अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने यह कथन किया है कि वह घटना से तीन दिन पूर्व गय्यूर के घर आई थी । अन्वेषण अधिकारी ने गय्यूर के घर पर ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसका बयान लेखबद्ध किया था । पुलिस घटना के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंची थी । उसने अन्वेषण अधिकारी को यह बताया था कि उसके भाई मरगूब की सगाई किसी सादिक की पुत्री के साथ अगले दिन मेरठ में अनुष्ठापित की जानी थी । घर के मुख्य द्वार और घटनास्थल के बीच की दूरी लगभग 10 कदम है । गोली की आवाज सुनकर हम सभी घटनास्थल पर पहुंचे थे ।

15. अभि. सा. 3 मोहम्मद उस्मान ने विचारण न्यायालय के

समक्ष लेखबद्ध किए गए अपने कथन में अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है और उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 अप्रैल, 2007 को रात्रि लगभग 8.00 बजे वह गालिब के साथ बाजार से घर की ओर लौट रहा था और जब वे गय्यूर के घर के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभियुक्त महफूज और सोनू गय्यूर पर गोली चला रहे थे जबकि अभियुक्त माशूक और इलताफ **उर्फ** अल्ताफ जो तलवारों से लैस थे तथा अभियुक्त शफीक और बाबर जो सरिए से लैस थे, अपने-अपने हथियारों से गय्यूर पर निर्ममतापूर्वक हमला कर रहे थे जिसके कारण गय्यूर बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसकी हालत अत्यंत गंभीर हो गई थी । उसके अतिरिक्त उक्त घटना को अशरफ, अरशद, नइम तथा मृतक की बहन निशा तथा मृतक की पत्नी रजिया द्वारा भी बिजली की रोशनी में देखा गया था । सभी अभियुक्त व्यक्ति अपने-अपने हथियारों के साथ घटनास्थल के समीप खड़ी एक मारुति वैन में बैठकर फरार हो गए । गय्यूर को अत्यंत गंभीर हालत में सहारनपुर अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया ।

16. अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने यह कथन किया है कि वह गय्यूर के सगे ताऊ का बेटा है और घटना के समय वह गालिब के साथ बाजार से लौट रहा था । साक्षी मस्जिद में इमामत करता था । मस्जिद बाजार में स्थित है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसके बयान को घटना के एक माह पश्चात् अन्वेषण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया गया था । उसके कथन के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने गालिब के बयान को भी लेखबद्ध किया था । वह गय्यूर के साथ ही बाजार आया था । मृतक को बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया क्योंकि अभियुक्त ने उनकी ओर एक देशी पिस्तौल तान रखी थी जिसके कारण वे सब लोग डर गए थे और इसलिए उन्होंने अभियुक्त-व्यक्तियों को रोकने का प्रयास नहीं किया । उसने तेजधार वाले सरिए शफीक और बाबर के हाथ में देखे थे जो लगभग डेढ़ इंच मोटे थे और लगभग 3 फुट लंबे थे । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि चूंकि वह मृतक गय्यूर का भाई था इसलिए वह अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दे रहा है ।

17. अभि. सा. 4 कांस्टेबल प्रमोद कुमार जो एक औपचारिक साक्षी है, ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि तारीख 28 अप्रैल, 2007 को अरशद द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर उसने अपने स्वयं के हाथों से चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की थी और उसने यह साबित किया कि वह प्रदर्श क-2 पर स्थित है और इसके अतिरिक्त उसने अपने स्वयं के लेख में जी. डी. में उसका पृष्ठांकन किया था और उसकी मूल प्रति तथा उसकी कार्बन प्रति को उसने प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया है । उसने नियमित अंतरालों पर रखे गए प्रदर्श 4 से प्रदर्श 18 के रूप में विभिन्न पुलिस दस्तावेजों को भी साबित किया है ।

18. अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मृतक एक अभ्यस्त मुजरिम था और पुलिस थाने में वह इसी रूप में रजिस्ट्रीकृत था । उसके द्वारा किए गए अपराधों को अंतर्विष्ट करने वाली एक अपराध सूची सं. 31 ए मृतक के विरुद्ध पुलिस थाने में बनाई गई है । उसने यह और अभिसाक्ष्य दिया कि थाना अधिकारी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के तुरंत पश्चात् घटनास्थल की ओर रवाना हो गए थे । पुलिस थाने से घटनास्थल की दूरी लगभग 700-800 मीटर है ।

19. अभि. सा. 5 कांस्टेबल पीपन सिंह ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 28 अप्रैल, 2007 और 29 अप्रैल, 2007 को वह कांस्टेबल के रूप में पुलिस थाना सरसवा में तैनात था और मृतक गय्यूर के मृत शरीर की मृत्युसमीक्षा उप निरीक्षक, श्रीपाल राणा द्वारा उसकी उपस्थिति में की गई थी, जिसे पंच साक्षी के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके पश्चात् मृतक गय्यूर के शव को जिला अस्पताल सहारनपुर में स्थित शव गृह को भेज दिया गया था । वहां मृतक के शरीर को सीलबंद किया गया और पुलिस के अन्य दस्तावेजों के साथ नमूना सील भी तैयार की गई और उसे अन्य दस्तावेजों के साथ उसे तथा कांस्टेबल प्रमोद कुमार को सौंप दिया गया था ताकि वे उन दस्तावेजों को शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर को सौंप सकें ।

20. अभि. सा. 6 डाक्टर आर. के. गौतम ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि तारीख 29 अप्रैल, 2007 को वह जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी (चेस्ट अधिकारी) के रूप में तैनात था और अपराह्न लगभग 12.30 बजे उसने मृतक की शव-परीक्षा की थी और उसने उसके शव पर निम्नलिखित क्षतियों को पाया था :–

"1. बाएं आगे के भाग में अस्थि तक गहरा 8 सें. मी. × 1.5 सें. मी. छिन्न घाव, नीचे की अस्थि के अस्थि भंग सहित ।

2. जबड़े के भाग और गर्दन की बाईं पार्श्विक सतह पर 15 सें. मी. × 3 सें. मी. छिन्न घाव और जबड़े का अस्थि भंग ।

3. गर्दन की बाईं ओर पार्श्विक सतह पर 6 सें. मी. × 2 सें. मी. छिन्न घाव ।

4. बाईं ओर ग्रसनी क्षेत्र की पार्श्विक सतह पर 3 सें. मी. × 1 सें. मी. छिन्न घाव ।

5. गर्दन की दाईं ओर की पश्च सतह पर 10 सें. मी. × 4 सें. मी. छिन्न घाव ।

6. दाएं जबड़े पर 14 सें. मी. × 4 सें. मी. छिन्न घाव, दाएं जबड़े के अस्थि भंग सहित ।

7. दाहिनी बाजू के ऊपरी हिस्से में त्रिकोणिका मांसपेशी की पार्श्विक सतह पर 3 सें. मी. व्यास का गोली के शरीर में प्रविष्ट होने की क्षति, दाएं स्कंध के अस्थि भंग सहित ।

8. दाहिनी बाजू के ऊपरी हिस्से की अभिमध्य सतह पर 2 सें. मी. व्यास का गोली शरीर से बाहर निकलने की क्षति ।

9. दाईं ओर की छाती पार्श्विक सतह में 1.5 सें. मी. व्यास की शरीर में गोली प्रविष्ट होने की क्षति, जिससे त्वचा की सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है ।

10. नाभि से 5 सें. मी. ऊपर उदर की त्वचा की बाहरी सतह पर 8 सें. मी. × 1 सें. मी. छिन्न घाव ।

11. नाभि से 4 सें. मी. नीचे उदर की त्वचा की बाहरी सतह पर 7 सें. मी. × 1 सें. मी. छिन्न घाव, घाव के किनारे साफ हैं ।

12. खोपड़ी के आधारिक भाग में 2.5 सें. मी. व्यास की गोली प्रविष्ट होने की क्षति ।

13. जंघा के ऊपरी भाग की बाहरी सतह पर 23 सें. मी. × 3 सें. मी. का छिन्न घाव ।

14. बाईं जंघा के 1/3 हिस्से के मध्य में बाहरी सतह पर 8 सें. मी. × 3 सें. मी. का छिन्न घाव ।

15. दाएं घुटने के जोड़ के 20 सें. मी. नीचे दाईं टांग की बाहरी सतह पर 2 सें. मी. × 2 सें. मी. का छिन्न घाव ।

16. दांये घुटने के जोड़े के 30 सें. मी. नीचे दाईं टांग की बाहरी सतह पर 5 सें. मी. × 1 सें. मी. का छिन्न घाव ।

17. दाईं जंघा के ऊपरी भाग की पार्श्विक सतह पर 3 सें. मी. व्यास की गोली प्रविष्ट होने की क्षति ।"

21. उसने प्रदर्श क-19 के रूप में शव-परीक्षा रिपोर्ट को साबित किया है ।

22. आंतरिक परीक्षा के दौरान उसने यह पाया कि शव की विभिन्न अस्थियों, जिनके अंतर्गत पैरीएटल अस्थि भी है, में अस्थि भंग हुआ है । फेफड़े और छाती भी विदीर्ण थी । बाईं ओर के फेफड़े में धातु की एक गोली भी मिली थी । इसके अतिरिक्त, मस्तिष्क के ऊत्तकों में एक अन्य धातु की गोली भी धंसी हुई थी ।

23. उसने यह कथन किया है कि मृतक की मृत्यु तारीख 28 अप्रैल, 2007 को रात्रि लगभग 8.00 बजे हुई थी । मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियों में क्षति सं. 1 से 6 और 10, 11, 14 और 16 तलवार, चाकू और तेजधार वाले सरिए द्वारा कारित की गई क्षतियां हैं जबकि क्षति सं. 7, 8, 12 और 17 किसी अग्न्यायुध द्वारा कारित की गई क्षतियां हो सकती हैं ।

24. अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि गोली से हुई क्षतियों वाला स्थान काला नहीं पड़ा था या वह जला हुआ नहीं था । वह उस दूरी के बारे में कुछ नहीं बता सकता था जिससे मृतक पर गोली चलाई गई थी । मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियां किसी तेजधार वाले हथियार द्वारा कारित की गई हो सकती हैं ।

25. अभि. सा. 7 उप निरीक्षक श्रीपाल राणा ने विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षा किए जाने पर यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 28 अप्रैल, 2007 को वह पुलिस थाना सरसवा में उप निरीक्षक के रूप में तैनात था और उक्त थाने के थाना अधिकारी के अनुदेश पर उसने मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट अपने स्वयं के हस्तलेख में तैयार की थी जिसे उसने प्रदर्श क-20 के रूप में साबित किया है । उसने अन्य पुलिस संबंधी दस्तावेज भी तैयार किए हैं जैसे कि चालान लाश (प्रदर्श क-21), चालान फोटो लाश (प्रदर्श क-22), आरआई को लिखा गया पत्र (प्रदर्श क- 23), मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखा गया पत्र (प्रदर्श क-24) आदि । उसने घटनास्थल से मिट्टी का नमूना भी प्राप्त किया था और उसके पश्चात् उसने मृतक के शव को शव-परीक्षा हेतु ले जाए जाने के लिए कांस्टेबल पीपन सिंह और कांस्टेबल प्रमोद कुमार को सौंप दिया था ।

26. अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने यह कथन किया है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में मृतक को हुई क्षतियों से संबंधित स्तंभ में उसने किसी पिस्तौल की गोली से होने वाली क्षति का उल्लेख नहीं किया है । उसने यह कथन किया है कि यदि शव पर पिस्तौल की गोली का कोई निशान होता तो उसने अवश्य ही उसका उल्लेख किया होता । उसने यह कथन किया कि मृत्युसमीक्षा के साक्षियों ने उसे घटना के कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए थे ।

27. उक्त साक्षी को तारीख 23 मार्च, 2009 को पुन: बुलाया गया और उसके कथन को लेखबद्ध किया गया जिसमें उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त महफूज और सोनू के आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन अभियोजन से संबंधित मंजूरी तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त की गई थी और उसने यह भी साबित किया है कि अभियुक्त महफूज के अभियोजन से संबंधित मंजूरी प्रदर्श क-29 पर है तथा

अभियुक्त सोनू के अभियोजन से संबंधित मंजूरी प्रदर्श क-30 के रूप में है । उसने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है और स्थल नक्शा भी तैयार किया है । स्थल नक्शे की मूल प्रति माशूक की फाइल में है और उसकी कार्बन प्रति महफूज की फाइल में है । उसने इन दोनों को क्रमश: प्रदर्श क-31 और प्रदर्श क-32 के रूप में साबित किया । उसने अभियुक्त सोनू से संबंधित स्थल नक्शे को प्रदर्श क-33 के रूप में साबित किया । अन्वेषण के पश्चात् उक्त तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जो प्रदर्श क-34 से प्रदर्श क-36 के रूप में चिह्नित हैं । उसने इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत वर्ष 2007 के अपराध मामला सं. 151 से संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के संबंध में भी अन्वेषण किया है । अन्वेषण के दौरान उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और जी. डी. की प्रतियां तैयार कीं, ऋषिराम कथेरिया, जो इस मामले की सूचना देने वाला व्यक्ति है तथा अन्य पुलिस कार्मिकों के कथनों को लेखबद्ध किया, घटनास्थल का स्थल-नक्शा तैयार किया तथा उसे प्रदर्श क-31 के रूप में चिह्नित किया तथा आयुध अधिनियम की धारा 25/4 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किए जो प्रदर्श क-38 के रूप में हैं ।

28. थाना अधिकारी बृजेश कुमार भी उसी थाने में उसके साथ तैनात थे और उन्होंने उसे इस मामले से संबंधित कार्य करते हुए देखा है और वह उसके हस्तलेख और हस्ताक्षर से भी भली-भांति परिचित हैं और इस प्रकार उसने उसके द्वारा दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302/34 और धारा 120ख के अधीन वर्ष 2007 के अपराध मामला सं. 738 के अधीन प्रस्तुत आरोप पत्र (प्रदर्श क-39) को साबित किया है ।

29. अभि. सा. 8, जो इस तथ्य का साक्षी है, पक्षद्रोही हो गया है और उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

30. उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अन्वेषण अधिकारी ने उसके कथन को लेखबद्ध नहीं किया है । यदि उसके कथन को लेखबद्ध किया गया है तो वह उसके संबंध में कोई कारण नहीं बता सकता है ।

31. अभि. सा. 9 ऋषिराम कथेरिया की परीक्षा विचारण न्यायालय

द्वारा की गई और उसने यह कथन किया है कि वह तारीख 28 अप्रैल, 2007 को पुलिस थाना सरसवा में थाना अधिकारी के रूप में तैनात था और तारीख 28 अप्रैल, 2007 को ही वर्तमान मामले में उसकी उपस्थिति में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । उसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और जी. डी. की प्रति और सीडी, दोनों प्राप्त की हैं । उसने हैड मुहर्रिर प्रमोद कुमार और सूचना देने वाले अरशद के कथनों को पुलिस थाने में लेखबद्ध किया और उसके पश्चात् वह उप निरीक्षक श्रीपाल राणा और अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुआ था । उसने उप निरीक्षक श्रीपाल राणा को मृतक गय्यूर के शव की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार करने का भी अनुदेश दिया था । उसने मृतक गय्यूर के घर में इनवर्टर को देखा था, जिससे उसके घर में ट्यूब लाइट और बल्ब जल रहे थे । उसने सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा इंगित घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपने हस्तलेख में स्थल-नक्शा तैयार किया तथा उस पर अपने हस्ताक्षर किए और उसने उसे प्रदर्श क-25 के रूप में साबित किया है । उसने घटनास्थल से सामान्य और रक्त से सनी मिट्टी के नमूने भी एकत्रित किए तथा उसने अपने स्वयं के हस्तलेख में नमूना सील तैयार की तथा उस पर अपने हस्ताक्षर भी किए और उसे प्रदर्श क-26 के रूप में चिन्हित किया । इसके अतिरिक्त उसने मृतक के भाइयों, अर्थात् मरगूब और नइम के कथनों को भी रात्रि 12.00 बजे के लगभग लेखबद्ध किया । तारीख 29 अप्रैल, 2007 को वह अस्पताल गया जहां उप निरीक्षक श्रीपाल राणा पहले से ही उपस्थित था जिसने आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लिए थे और मृतक के शव को सीलबंद करा दिया था । उसने अस्पताल में उपस्थित इरफान, साजिद और जुल्फिकार के कथनों को भी लेखबद्ध किया जिन्होंने उसे मृतक की हत्या से संबंधित षड्यंत्र के बारे में बताया । उन्होंने उसे बताया कि महमूद **उर्फ** भूरे और गय्यूर के बीच किसी निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद था और इसलिए पूर्व में महमूद **उर्फ** भूरे ने गय्यूर पर हमला किया था किंतु भाग्यवश गय्यूर बच गया था और उसके पश्चात् गय्यूर ने महमूद की हत्या कर दी थी । उन्होंने यह भी कथन किया कि तारीख 25 अप्रैल, 2007 को राशिद ने अपने घर में एक बैठक बुलाई थी जिसके दौरान उसने माशूक, महफूज, सोनू और इलताफ **उर्फ** अल्ताफ को

देशी पिस्तौलें और चाकू दिए थे जिन्हें साजिद और इंतेजार के माध्यम से प्राप्त किया गया था और तारीख 28 अप्रैल, 2007 को यह आपराधिक घटना घटित हुई । गय्यूर की हालत घटना के पश्चात् काफी गंभीर थी क्योंकि उसे देशी पिस्तौल, चाकू और तलवार से क्षतियां पहुंची थीं जिनके द्वारा अभियुक्तों ने उस पर हमला किया था और जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने क्षतियों के कारण मार्ग में ही दम तोड़ दिया था । साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अरशद के कथन को भी लेखबद्ध किया है और उसने दंड संहिता की धारा 120ख के अधीन अपराध को भी आरोप पत्र में जोड़ा था । साक्षी तारीख 3 मई, 2007 को सूचना देने वाले व्यक्ति के घर गया और वहां उसने श्रीमती रजिया और निशा के कथनों को लेखबद्ध किया । उसके पश्चात् उसने तारीख 7 मई, 2007 को पूर्वाह्न 8.15 बजे अभियुक्त इलताफ **उर्फ** अल्ताफ को चिलकाना रोड से गृहमिन मोड़ के समीप से गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से एक मारुति वैन बरामद की जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. एच आर 01 एच 8925 है । उसके कब्जे से एक चाकू भी बरामद हुआ था जिसका वर्णन पहले ही फर्द बरामदगी ज्ञापन में दे दिया गया है । जब उससे हथियार को कब्जे में रखने संबंधी अनुज्ञप्ति के बारे में प्रश्न किया गया तो वह उसका उत्तर नहीं दे सका था । साक्षी ने अपने स्वयं के हस्तलेख में फर्द बरामदगी ज्ञापन तैयार किया और उसे प्रदर्श क-27 के रूप में चिह्नित किया । उसने चाकू को माल खाने में जमा किया तथा अभियुक्त को लॉक-अप में डाला तथा उसके विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25/4 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । उसने तारीख 8 मई, 2007 को अभियुक्त महफूज, माशूक और सोनू को गिरफ्तार किया तथा उसने माशूक के कब्जे से एक तलवार को बरामद किया तथा अभियुक्त महफूज और सोनू में से प्रत्येक के कब्जे से एक-एक 315 बोर की देशी पिस्तौल और साथ ही एक-एक चला हुआ तथा न चला हुआ कारतूस भी बरामद किया । तीनों अभियुक्त-व्यक्तियों से बरामद किए गए हथियारों को स्थल पर ही सीलबंद कर दिया गया और वहीं स्थल पर ही उनकी फर्द बरामदगी को तैयार किया गया तथा उन पर अभियुक्त-व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए । उक्त फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-28 के रूप में साबित

किया गया है । अभियुक्त-व्यक्तियों को पुलिस थाने ले जाया गया जहां अभियुक्त माशूक के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25/4 के अधीन तथा अभियुक्त महफूज और सोनू के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । तारीख 19 मई, 2007 को साक्षी ने सह-अभियुक्त साजिद को गिरफ्तार किया । साक्षी ने न्यायालय के आदेश पर तारीख 27 मई, 2007 को अभियुक्त राशिद, इंतेजार और साबेज से पूछताछ की और उसके पश्चात् उसका उस पुलिस थाने से स्थानांतरण हो गया । न्यायालय के बाहर खड़े यान अर्थात् मारुति वैन एचआर 01 एच 8925 को, जिसे अभियुक्त इलताफ **उर्फ** अल्ताफ से बरामद किया गया था, प्रदर्श क-1 के रूप में चिह्नित किया गया है । साक्षी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अन्य ऐसी बरामदगियों को भी साबित किया है जिसे उसके समक्ष सारवान् प्रदर्श क-2 से प्रदर्श क-24 के रूप में खोला गया था ।

32. अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने यह कथन किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति अरशद के कथन को उसके द्वारा पुलिस थाने में रात्रि लगभग 11.00 बजे लेखबद्ध किया गया था । साक्षी अरशद ने उसे यह नहीं बताया था कि वह घटना के समय अपने घर में न होकर गय्यूर के घर में मौजूद था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दिए गए अपने कथन में निशा ने उसे यह बात नहीं बताई थी कि घटना से अगले दिन मरगूब की सगाई तय की गई थी । उसने उस्मान के कथन को तारीख 30 मई, 2007 को अपराह्न लगभग 2.00-2.30 बजे मृतक के घर पर लेखबद्ध किया था । साक्षी ने उसे यह नहीं बताया था कि शफीक और बाबर ने सरिए से गय्यूर पर हमला किया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में देशी पिस्तौल से हमला किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । सूचना देने वाले व्यक्ति ने उसे यह बताया था कि उसने देशी पिस्तौल के उपयोग के संबंध में रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति को बताया था किंतु रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति रिपोर्ट में उसका उल्लेख भूल गया । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्त शफीक एक राजनैतिक व्यक्ति है और मृतक गय्यूर एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था और उसे एक हत्या के मामले

में कारागार भी भेजा गया था । उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि क्या मृतक कोई अभ्यस्त मुजरिम था अथवा नहीं । मारुति वैन को बरामद किए जाने के समय उस स्थान पर कोई साधारण साक्षी उपस्थित नहीं था । उक्त यान को स्वयं इलताफ **उर्फ** अल्ताफ द्वारा चलाया जा रहा था । उसके द्वारा बरामद की गई तलवारों/चाकुओं पर रक्त के कोई निशान नहीं पाए गए थे । इस साक्षी की आगे और प्रतिपरीक्षा की गई थी और उसने यह स्वीकार किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त व्यक्ति किसी यान द्वारा घटनास्थल पर आए थे और उसके पश्चात् उसमें बैठकर फरार हो गए थे । इसके अतिरिक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किसी देशी पिस्तौल का भी उल्लेख नहीं किया गया है । पंचनामा किए जाने के समय वह वहां उपस्थित था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि अभियुक्त माशूक, महफूज और सोनू के संबंध में एक संयुक्त बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने अभियुक्त-व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया था और न ही फर्द बरामदगी ज्ञापन तैयार किया था ।

33. विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की परीक्षा करने और प्रतिरक्षा पक्ष के पथकथन पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थियों को प्रश्नगत अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया था और उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने वर्तमान अपील फाइल की है ।

34. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल श्री नूर मोहम्मद, श्री त्रिपुरारी पाल और श्री सुधीर अग्रवाल तथा परिवादियों के विद्वान् काउंसेल श्री संजय मिश्रा और साथ ही राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता, श्री जी. प्रताप सिंह को सुना तथा आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा अभिलेख का परिशीलन किया ।

35. अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने जोर-शोर से यह तर्क दिया है कि इलताफ **उर्फ** अल्ताफ को वर्तमान मामले में केवल इस तथ्य के कारण मिथ्या रूप से फंसाया गया है कि वह सह-अभियुक्त शफीक का नातेदार है । उन्होंने यह दलील दी कि अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के पास गय्यूर की

हत्या करने के लिए कोई भी हेतुक नहीं है क्योंकि यदि किसी के पास कोई हेतु है तो वह सह अभियुक्त महफूज, माशूक और सोनू के पास है, जो शफीक के सगे भाई हैं और जिनके भाई महमूद की हत्या आपसी दुश्मनी के कारण गय्यूर द्वारा की गई थी । उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि गय्यूर एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था और उसके नाम से अपराधों की एक सूची पुलिस थाना सरसवा में खोली गई है, जिसका अपराध सूची सं. 31-ए है जैसा कि अभि. सा. 4 कांस्टेबल प्रमोद कुमार के कथन से स्पष्ट है और वह एक आपराधिक पूर्ववृत्त रखने वाला व्यक्ति था । उसकी मृत्यु किसी अन्य रीति से कारित की गई थी न कि उस रीति से जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथन किया गया है । उसके पश्चात् उन्होंने यह दलील दी कि सूचना देने वाला व्यक्ति अभि. सा. 1 अरशद मृतक गय्यूर का चचेरा भाई है । घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है क्योंकि उसके पास घटनास्थल पर उपस्थित होने का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है और मूलत: वह ग्राम कुंदा का निवासी है और घटना ग्राम सरसवा में घटित हुई थी जो कि उसके निवास स्थान से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है । यह भी उल्लेख किया गया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति, अर्थात् गुलजारी लाल, जिसके द्वारा लिखित रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले का निवासी था और वह वहां किसी से परिचित भी नहीं था और साथ ही उसका किसी भी प्रकार से अभि. सा. 1 से कोई संबंध नहीं था । इसलिए इस बात की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती कि वह उक्त रिपोर्ट को लेखबद्ध करने के लिए गुलजारी लाल की सहायता लेगा जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है । उन्होंने आगे यह और दलील दी कि अभि. सा. 1 का अभिसाक्ष्य विश्वास करने योग्य नहीं है । अत: विचारण न्यायालय द्वारा उसके साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है । इसी प्रकार उन्होंने अभि. सा. 2 श्रीमती निशा, जो मृतक गय्यूर की सगी बहन है और जिसने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है, के साक्ष्य को भी चुनौती दी है क्योंकि उसका साक्ष्य विश्वासोत्पादक नहीं है और उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता और

ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस के कहने पर अपीलार्थियों और अन्य सह-अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध यह सारा मामला मिथ्या रूप से तैयार किया गया है । जहां तक अभि. सा. 3 उस्मान के साक्ष्य का संबंध है, वह साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वह स्वयं हत्या के मामले में मृतक गय्यूर के साथ एक अभियुक्त था और वह इस अपराध के लिए कारागार भी गया था और यह तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए उसके साक्ष्य से बिल्कुल स्पष्ट है । उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ये तीनों साक्षी हितबद्ध और एकपक्षीय साक्षी हैं और वे मृतक गय्यूर के नातेदार हैं इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ का दंडादेश विधि के अनुसार सही नहीं है और अपास्त किए जाने के लिए दायी है । जहां तक अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ से एक चाकू बरामद होने और घटनास्थल से रक्त से सनी मिट्टी के नमूने के साक्ष्य का संबंध है, उन्होंने यह तर्क दिया है कि सीरम वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार चाकू पर पाया गया रक्त विघटित हो चुका था और यह तथ्य यह दर्शित करता है कि अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के कब्जे से घटना के 9 दिन पश्चात् दिखाई गई चाकू की बरामदगी नितांत रूप से मिथ्या है और इसके अतिरिक्त उस मिट्टी में भी कोई रक्त नहीं पाया गया था जो अभिकथित रूप से पुलिस द्वारा घटनास्थल से एकत्रित की गई थी, जो आगे यह और दर्शित करता है कि घटनास्थल की सत्यता भी संदेहास्पद है । इसके अतिरिक्त उक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है अत: उक्त बरामदगी संदेहास्पद प्रतीत होती है । अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान् काउंसेल ने **बलवान सिंह** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है । विद्वान् काउंसेल ने न्यायालय का ध्यान उक्त निर्णय के पैरा 8 की ओर आकर्षित किया है जिसे नीचे उद्धृत किया गया है :–

"8. अभियोजन ने भी लाठियों और तब्बल की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य का अवलंब लिया है, जो रक्त से सने थे । वर्तमान मामले में ऐसा साक्ष्य अभियोजन के पक्षकथन के लिए सहायक

[1] (2019) 0 सुप्रीम (एस. सी.) 826.

नहीं हो सकता क्योंकि यह दर्शित करने वाला कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि इस प्रकार बरामद की गई वस्तुएं मानव-रक्त से सनी थीं और विशिष्ट रूप से उस रक्त समूह के रक्त से सनी थी जो मृतक का रक्त समूह था । न्यायालयीय विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार रक्त का विघटन हो चुका था और उसके मूल स्रोत का निर्धारण नहीं किया जा सकता था ।

सत्ततिया **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(2008) 3 एस. सी. सी. 210] वाले मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक यह था कि बरामदगी में जब्त की गई वस्तुओं पर पाए रक्त को मृतक के रक्त से संबद्ध नहीं किया जा सका था और केवल इस कारण से इस न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय को उलट दिया था । इस कारक को अभियोजन के पक्षकथन के संबंध में एक गंभीर दोष माना गया था ।

इसी प्रकार शांताबाई और अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(2008) 16 एस. सी. सी. 354] वाले मामले में अभियुक्त से हुई बरामदगी में जब्त किए गए कुछ कपड़ों पर पाए गए रक्त का रक्त समूह, मृतक के कपड़ों पर पाए रक्त के रक्त समूह से भिन्न था और इसके अतिरिक्त अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल से लिए गए मिट्टी, कुल्हाड़ी पत्थरों आदि के नमूनों पर पाया गया रक्त भी अभियुक्त के कपड़ों से पाए गए रक्त से भिन्न था और इस प्रकार रक्त समूह का मिलान न होने के परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह परिस्थितिक साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं हो सका था ।

यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय की एक सांविधानिक पीठ ने राघव प्रोपन्ना त्रिपाठी और अन्य **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 74) वाले मामले में निम्नानुसार संप्रेक्षण किए –

> 21. इस संबंध में घर से बरामद की गई रक्त से सनी मिट्टी से संबंधित परिस्थितिजन्य साक्ष्य 9 और 10 का भी संदर्भ लिया जा सकता है ।

रक्त से सनी मिट्टी के बारे में यह सिद्ध नहीं किया गया है कि वह मानव-रक्त से सनी है । पुन: हमारी राय यह है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा कि मात्र रक्त से सनी मिट्टी का होना यह साबित करता है कि वह मिट्टी मानव-रक्त से सनी थी और वह मानव-रक्त कमला और मधुसूदन का था ।

अत: इन परिस्थितियों का कोई साक्ष्य संबंधी मूल्य नहीं है ।

अत: 5 न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह विनिर्णय दिया था कि उस मामले में अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक था कि वह यह साबित करता कि मिट्टी या हथियारों पर पाया गया रक्त मानव-रक्त था और उसका रक्त समूह वही था जो मृतकों का है ।"

36. शेष तीन अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री त्रिपुरारी पाल ने घटनास्थल पर तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की उपस्थिति को भी चुनौती दी है और यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में सूचना देने वाले व्यक्ति ने इस बारे में एक साधारण आरोप अभिकथित किया है कि अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा तलवार और सरिए से मृतक पर हमला किया गया । उन्होंने यह दलील दी कि जहां तक अभियुक्त-अपीलार्थी महफूज और सोनू द्वारा देशी पिस्तौल चलाए जाने का संबंध है उसका उल्लेख प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं किया गया है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि क्रमश: अभियुक्त महफूज और सोनू द्वारा उक्त हथियारों का उपयोग किया गया था । उन्होंने यह दलील दी कि हथियारों के संबंध में ब्यौरेवार विनिर्देश साक्षियों द्वारा पहली बार विचारण न्यायालय के समक्ष ही प्रस्तुत किए गए थे और यहां तक कि अन्वेषण के अनुक्रम में भी उनका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है । उन्होंने इलताफ **उर्फ** अल्ताफ की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री नूर मोहम्मद, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क को अन्य अभियुक्त-

व्यक्तियों के संदर्भ में भी दोहराया और यह कथन किया कि मृतक एक आपराधिक पूर्ववृत्त वाला व्यक्ति था और उसकी हत्या किसी अन्य रीति में की गई थी न कि उस रीति में जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथन किया गया है । जहां तक देशी पिस्तौल, कारतूसों और तलवार की बरामदगी का संबंध है, जिन्हें अभिकथित रूप से पुलिस द्वारा अपीलार्थी महफूज, माशूक और सोनू को गिरफ्तार किए जाने के समय बरामद किया गया था, उन्होंने यह कथन किया है कि उक्त बरामदगियों का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, अतः ये बरामदगियां संदेहास्पद हैं । उन्होंने आगे यह और तर्क दिया कि जहां तक अपीलार्थी माशूक, महफूज और सोनू द्वारा मृतक गय्यूर की हत्या किए जाने के पीछे हेतुक का संबंध है यह सुझाव दिया गया है कि उनके भाई महमूद **उर्फ** भूरे की हत्या गय्यूर द्वारा की गई थी जिसके लिए वह विचारण का सामना भी कर रहा था और इस कारण से अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उक्त अभियुक्त तीनों भाइयों ने अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों के साथ मिलकर गय्यूर की हत्या की है, नितांत रूप से मिथ्या है क्योंकि मृतक स्वयं एक आदतन अपराधी था और जब किन्हीं अज्ञात अपराधियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई तो मृतक के चचेरे भाई और सूचना देने वाले व्यक्ति अरशद तथा दो अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् निशा, जो मृतक की सगी बहन है और उस्मान जो मृतक का चचेरा भाई है, द्वारा यह कथन करते हुए कि अपीलार्थियों ने अन्य अभियुक्त-व्यक्तियों के साथ मिलकर मृतक की हत्या की है, अपीलार्थियों को मिथ्या रूप से इस मामले में फंसाया है ।

37. सहबद्ध अपील में अपीलार्थी बाबर की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री सुधीर अग्रवाल ने भी उक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि और पारिणामिक दंडादेश को चुनौती दी है और अन्य अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन किया है और उन्होंने यह दलील दी कि अपीलार्थी के कब्जे से किसी सरिए की बरामदगी नहीं की गई थी और इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि वर्तमान मामले में उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है । इस प्रकार अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा यह

तर्क सामने रखा गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समुचित रूप से समर्थित नहीं है और उसे अपास्त किया जाए तथा अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया जाए ।

38. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री गौरव प्रताप सिंह ने अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा सामने रखे गए तर्कों का जोर-शोर से विरोध किया और यह कथन किया कि घटना से संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मृतक के चचेरे भाई अभि. सा. 1 अरशद द्वारा घटना के तुरंत पश्चात् उसी दिन रात्रि लगभग 10.40 बजे दर्ज की गई थी । यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटनास्थल से आधा किलो मीटर दूर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज की गई थी । उन्होंने यह कथन किया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् अरशद-अभि. सा. 1, सूचना देने वाला व्यक्ति और मृतक का चचेरा भाई, निशा-अभि. सा. 2, मृतक की सगी बहन और उस्मान, मृतक के चचेरे भाई की घटनास्थल पर उपस्थिति के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि अभि. सा. 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतक के सगे भाई, अर्थात् मरगूब की सगाई की रस्म घटना से अगले दिन संपन्न की जानी थी और इसलिए कुटुंब के सभी सदस्य और अन्य नातेदार मृतक के घर एकत्रित हुए थे । इसके अतिरिक्त अभियुक्त, जो तीनों सगे भाई हैं और अन्य दो अभियुक्त, अर्थात् इलताफ **उर्फ** अल्ताफ और बाबर भी उक्त तीन अभियुक्तों के निकट संबंधी हैं, जिनके सगे भाई महमूद **उर्फ** भूरे की हत्या मृतक गय्यूर द्वारा की गई थी और वे अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए घटना के दिन मृतक की हत्या करने के इरादे से मृतक के घर आए थे क्योंकि उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि अपने भाई मरगूब की सगाई की रस्म होने के कारण मृतक अपने घर पर ही होगा और वे दोनों पक्षकारों के बीच पुरानी दुश्मनी के कारण उसे आसानी से मार सकेंगे । उन्होंने यह और दलील दी कि मामले के संबंध में कुछ विरोधाभास हैं जिन्हें अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा उल्लिखित किया गया है और उनके संबंध में उन्होंने अपने-अपने तर्क भी प्रस्तुत किए हैं कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध

साधारण रूप से यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने तलवार और तेजधार वाले सरिए से मृतक पर हमला किया था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किसी भी अग्न्यायुध से गोली चलाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और अग्न्यायुध का उपयोग करने का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख पहली बार विचारण न्यायालय के समक्ष साक्षियों द्वारा अभिसाक्ष्य दिए जाने के समय किया गया था किंतु यह तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि यह अभियोजन पक्ष के पूर्ण पक्षकथन को झूठा साबित कर दे । उन्होंने न्यायालय का ध्यान अभि. सा. 1 के कथन की ओर आकर्षित किया है, जिसमें उसने यह स्पष्ट किया है तथा यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक को, जो उसका चचेरा भाई था और जिस पर अपीलार्थियों द्वारा निर्ममतापूर्वक तलवारों, देशी पिस्तौलों और सरिए से हमला किया गया था और जिसके कारण उसके शरीर पर 17 क्षतियां हुई थीं, सूचना देने वाले व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक वाहन के माध्यम से तुरंत अस्पताल ले जाया गया था किंतु उसने रास्ते में ही अपनी क्षतियों के कारण दम तोड़ दिया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को लिखने में गुलजारी लाल नामक व्यक्ति की सहायता ली थी जिसने उसके द्वारा घटना के ब्यौरे बताए जाने पर लिखित रिपोर्ट को लेखबद्ध किया था क्योंकि घटना के पश्चात् वह व्यथित था और उक्त रिपोर्ट को उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था और उसने उस लिखित रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए थे तथा उसे अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने हेतु संबद्ध पुलिस थाने में प्रस्तुत कर दिया था । यद्यपि उसने यह और कथन किया है कि उसने अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों के उपयोग के संबंध में रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति को बताया था किंतु किसी कारणवश रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति उसका उल्लेख करना भूल गया था । उन्होंने आगे यह और दलील दी कि श्रीमती निशा, जो मृतक की सगी बहन है, एक सामान्य साक्षी है जिसकी घटनास्थल पर उपस्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता और वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद थी और उसने उसके द्वारा देखी गई संपूर्ण घटना का ब्यौरा दिया है जिसकी पुष्टि मृतक की चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा हो गई है । इसी प्रकार उस्मान (अभि. सा. 3) ने भी अभियोजन के

पक्षकथन का समर्थन किया है और वह भी एक नैसर्गिक साक्षी है जो उस समय बाजार से वापस आ रहा था जब उसने इस घटना को देखा और उक्त साक्षी के प्रत्यक्षदर्शी अभिसाक्ष्य से भी चिकित्सा रिपोर्ट की संपुष्टि होती है । उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियुक्त महफूज से तलवार, अभियुक्त माशूक से देशी पिस्तौल और अभियुक्त सोनू से सरिया, जिसका उपयोग बाबर द्वारा भी किया गया था, की बरामदगी यह दर्शित करती है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि वे पूर्णतया चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्टि प्राप्त करते हैं । 315 बोर की देशी पिस्तौल को बैलेस्टिक विशेषज्ञ के पास जांच हेतु भेजा गया था और उसकी रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया था कि उसका उपयोग मृतक पर गोली चलाने के लिए किया गया था । इस प्रकार इस साक्ष्य की भी पुष्टि की गई है क्योंकि मृतक के शव से निकाली गई तीन धातु की गोलियां उक्त अग्न्यायुध से चलाई गई गोलियों से पूरी तरह मिलती है जिससे यह दर्शित होता है कि इस अपराध में उसका उपयोग किया गया था और यह तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है कि दोनों अपीलार्थियों ने उक्त अपराध में भाग लिया था । इसके अतिरिक्त अभियुक्त माशूक, सोनू और अल्ताफ से हुई अन्य बरामदगियां भी उनके उपयोग को साबित करती हैं क्योंकि अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य के दौरान स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अल्ताफ और महफूज ने अपने-अपने हथियारों से चार बार मृतक पर हमला किया था और मृतक के शव पर 12 छिन्न घाव पाए गए थे जिन्हें सह-अभियुक्त बाबर द्वारा तेजधार वाले सरिए का उपयोग करते हुए कारित किया गया था । उन्होंने न्यायालय का ध्यान आगे इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया कि अपीलार्थी महफूज के स्वामित्व वाली मारुति वैन अल्ताफ **उर्फ** इलताफ की पुलिस द्वारा तारीख 8 मई, 2007 को की गई गिरफ्तारी के समय बरामद हुई थी और चूंकि उक्त बरामदगियां किसी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष नहीं की गई थीं । इसलिए केवल इस कारण मात्र से उन्हें मिथ्या कहकर नकारा नहीं जा सकता । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 8 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि पुलिस ने स्वतंत्र साक्षियों की व्यवस्था करने का प्रयास किया था किंतु कोई भी व्यक्ति उक्त बरामदगियों का लोक साक्षी बनने हेतु तैयार नहीं हुआ था । जहां

तक अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के विद्वान् काउंसेल के इस तर्क का संबंध है कि घटनास्थल से एकत्रित की गई मिट्टी पर कोई रक्त नहीं पाया गया था और साथ ही अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ से बरामद किए गए चाकू पर भी कोई रक्त नहीं मिला था, सीरम विशेषज्ञ द्वारा यह राय दी गई है कि रक्त का विघटन हो चुका था तथा इस संबंध में विशेषज्ञ ने आगे यह और कथन किया है कि रक्त का विघटन हो जाने के कारण उसके स्रोत का अवधारण नहीं किया जा सकता था । अतः अपीलार्थियों की अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे साक्ष्य के आधार पर जो चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा समुचित रूप से अभिपुष्ट है, दोषसिद्धि और दंडादेश पूर्णतया न्यायोचित है और इसलिए वर्तमान अपील को खारिज किया जाना चाहिए । अपनी दलीलों के समर्थन में उन्होंने **राजस्थान राज्य** बनाम **तेजा राम**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है । उन्होंने न्यायालय का ध्यान उक्त निर्णय के पैरा 25 की ओर आकर्षित किया है जिसे नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "सीरम विशेषज्ञ द्वारा सीरम का विघटन हो जाने के कारण रक्त के स्रोत का पता लगाने में असफल रहने का अर्थ यह नहीं है कि कुल्हाड़ी पर लगा रक्त मानव-रक्त नहीं है । कभी-कभी ऐसा हो जाता है, चाहे रक्त के निशानों के अपर्याप्त होने के कारण या फिर सीरम में रक्त विज्ञान से संबंधित परिवर्तन और प्लाज्मा संबंधी स्कंदन हो जाने के कारण कोई सीरम विशेषज्ञ रक्त के स्रोत का पता लगाने में असफल रह सकता है । किंतु क्या इसका तात्पर्य यह होगा कि उस रक्त का स्रोत मानव-रक्त न होकर कोई अन्य स्रोत है ? इस प्रकार के अनुमान कि कुल्हाड़ी पर लगा रक्त किसी पशु का रक्त है, वास्तविक नहीं हो सकते और ऐसे अनुमान इस मामले के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दूर की कौड़ी लगते हैं । किसी दांडिक न्यायालय का प्रयास यह होना चाहिए कि वह अनुमानित संदेहों से तब तक स्वयं को पृथक् रखे जब तक कि संदेह के पीछे कोई ऐसा युक्तियुक्त तथ्य न हो जिसे न्यायिक रूप

[1] 1999 ला सूट (एस. सी.) 333.

से जागरूक मस्तिष्क वस्तुनिष्ठ रूप से स्वीकार करे और तब तक इस संबंध में अभियुक्त किसी भी प्रकार के फायदे का दावा नहीं कर सकता ।"

39. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत किए गए विरोधी प्रतिवादों को सुना है और अभिलेख का भी ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है ।

40. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले से संबंधित घटना तारीख 28 अप्रैल, 2007 को रात्रि लगभग 8.00 बजे घटित हुई थी जिसमें अपीलार्थियों माशूक, महफूज, सोनू तीनों महबूब के पुत्र, शफीक पुत्र हाफिज, बाबर पुत्र शफीक और इलताफ **उर्फ** अल्ताफ पुत्र मुमताज, जो क्रमश: तलवार, सरिया और देशी पिस्तौल से लैस थे, ने गय्यूर पुत्र सगीर पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी । इस घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभि. सा. 1 अरशद द्वारा घटना के दिन रात्रि 10.40 बजे संबंधित पुलिस थाने, जो घटनास्थल से ½ किलो मीटर दूरी पर स्थित है, में दर्ज की गई थी । उक्त अभि. सा. 1 मृतक का चचेरा भाई है । मृतक के शरीर पर 17 क्षतियां पाई गई थीं जिनमें तेजधार वाले हथियार से कटने के घाव और गोली लगने से हुई क्षतियां भी थीं । इस घटना को सूचना देने वाले व्यक्ति अभि. सा. 1 अरशद ने गालिब, अभि. सा. 3 उस्मान, अशरफ, नइम और अभि. सा. 2 निशा, जो मृतक की सगी बहन है और रजिया, जो मृतक गय्यूर की पत्नी है, द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा गया था । मृतक को तुरंत ही सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा जिला अस्पताल सहारनपुर ले जाया गया किंतु मार्ग में ही उसने क्षतियों के कारण दम तोड़ दिया ।

41. अभियुक्त अपीलार्थियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, उनके विरुद्ध आरोप पत्र तैयार किए गए तथा उन्हें प्रश्नगत अपराध के लिए तथा साथ ही अभियुक्त महफूज, माशूक, सोनू और इलताफ **उर्फ** अल्ताफ के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अधीन भी आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए । उनके विरुद्ध विचारण चलाया गया तथा विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते हुए उन्हें सिद्धदोष ठहराया तथा उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया ।

42. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों ने यह प्रतिवाद किया कि मृतक एक आपराधिक पूर्ववृत्त वाला व्यक्ति था और वह पुलिस थाना सरसवा में अपराध सूची सं. 31-क के अनुसार एक आदतन अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत था और इस तथ्य को अभि. सा. 4 कांस्टेबल प्रमोद कुमार के कथन द्वारा साबित किया गया है । इस प्रकार मृतक की हत्या किसी अन्य रीति से हुई हो सकती है न कि उस रीति से जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथन किया गया है और इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 1 अरशद, अभि. सा. 2 निशा और अभि. सा. 3 मोहम्मद उस्मान की उपस्थिति संदेहास्पद है जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है जैसा कि तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 1 अरशद, अभि. सा. 2 निशा और अभि. सा. 3 मोहम्मद उस्मान द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि उनका घटना के संबंध में दिया गया अभिसाक्ष्य संगत है क्योंकि उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उन्होंने अपीलार्थी माशूक को तलवार से, अपीलार्थी महफूज और सोनू को 315 बोर की देशी पिस्तौल, अपीलार्थी शफीक और बाबर (जिसकी अब मृत्यु हो गई है) को सरिए से तथा अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ को चाकू से (तलवारनुमा चाकू) लैस होकर मृतक पर उस समय हमला करते हुए देखा था जब वह मस्जिद में नमाज अदा करने के पश्चात् अपने घर के द्वार में प्रवेश कर रहा था और उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर सभी साक्षी जिनके अंतर्गत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित साक्षी और उक्त तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी थे, घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना को देखा और उसके पश्चात् उन्होंने अपीलार्थियों को एक मारुति वैन में बैठकर भागते हुए भी देखा । मृतक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया किंतु मार्ग में ही क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । यद्यपि तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् अभि. सा. 1 अरशद, अभि. सा. 2 निशा और अभि. सा. 3 मोहम्मद उस्मान मृतक के निकट संबंधी हैं किंतु घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति को पूर्णतया स्थापित किया गया है और उनके साक्ष्य की परीक्षा लेने वाले विचारण न्यायालय ने उनके साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया है तथा उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया है । अभि.

सा. 2 श्रीमती निशा, पत्नी गालिब, जो मृतक की सगी बहन है, ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह मृतक के, जो अपने अन्य भाइयों के साथ रह रहा था, घर आई थी क्योंकि उसके एक अन्य भाई अर्थात् मरगूब की सगाई की रस्म घटना से अगले दिन जिला मेरठ में संपन्न की जानी थी और उक्त रस्म के लिए वह अन्य नातेदारों के साथ मृतक के घर में एकत्रित हुए थे । अभि. सा. 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह घटना की तारीख और समय पर मृतक गय्यूर के घर उपस्थित था और उसने अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साथ पूरी घटना को देखा था । यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना के तुरंत पश्चात् जब मृतक ने अपनी क्षतियों के कारण दम तोड़ दिया तो अभि. सा. 1 ने गुलजारी लाल नामक एक व्यक्ति, जो उसे पुलिस थाने में मिला था, के माध्यम से लिखी गई एक लिखित रिपोर्ट के आधार पर रात्रि लगभग 10.40 बजे घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । इसी प्रकार अभि. सा. 3 मोहम्मद उस्मान ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि वह गालिब के साथ घर की ओर लौट रहा था और जब वे मृतक गय्यूर के घर के समीप पहुंचे तो उसने बिजली के बल्ब की रोशनी में इस सारी घटना को देखा । मृतक उसके ताऊ का पुत्र था और वह घटना के समय गालिब के साथ बाजार से वापस लौट रहा था । यद्यपि अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेलों ने इन तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए कथनों में कुछ विरोधाभासों को दर्शित किया है किंतु ये विरोधाभास ऐसे नहीं हैं जो संपूर्ण अभियोजन के पक्षकथन को नकार सकें ।

43. अपीलार्थियों द्वारा मृतक गय्यूर की हत्या करने के लिए हेतुक भी थीं, सुदृढ़ है क्योंकि तीनों अपीलार्थी, अर्थात् माशूक, महफूज और सोनू आपस में सगे भाई हैं और उनके एक चौथे सगे भाई महबूब **उर्फ** भूरे की हत्या मृतक गय्यूर द्वारा अभिकथित रूप से की गई थी और वह घटना से लगभग 16-17 माह पहले से सहारनपुर के एक न्यायालय में विचारण का सामना कर रहा था जिसमें वह घटना के समय जमानत पर छूटा हुआ था । अन्य अपीलार्थी, अर्थात् शफीक, बाबर और इलताफ

उर्फ अल्ताफ भी तीनों अपीलार्थियों के निकट के नातेदार हैं जैसा कि अभि. सा. 1, 2 और 3 के साक्ष्य से स्पष्ट है और उन्होंने घटना के दिन गय्यूर की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य से मृतक पर हमला किया था और इस प्रकार उसकी हत्या में भागीदारी की थी । यदि यह मान भी लिया जाए कि मृतक एक आदतन अपराधी था और वह एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था तब भी घटना के तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अपीलार्थी उसकी हत्या में संलिप्त थे । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का अभिसाक्ष्य पूर्ण रूप से अभियोजन के पक्षकथन की पुष्टि करता है और यह बात दर्शित करने के लिए कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है कि मृतक की, उसके एक आपराधिक पूर्ववृत्त वाला व्यक्ति होने के कारण हत्या किन्हीं अन्य अज्ञात अपराधियों द्वारा की गई थी या वह घटना किसी अन्य रीति में घटित हुई थी न कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथित रीति में जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए हैं । एक अन्य परिस्थिति, जो यह दर्शित करती है कि अपीलार्थी ही मृतक की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं, यह है कि जब पुलिस ने उन्हें क्रमशः तारीख 7 मई, 2007 और 8 मई, 2007 को गिरफ्तार किया था तब उनके कब्जे से हथियारों की बरामदगी भी हुई थी । अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने जोर-शोर से यह तर्क रखा है कि उक्त अपीलार्थी को वर्तमान मामले में केवल इस तथ्य के कारण झूठा फंसाया गया है कि वह अपीलार्थी शफीक का नातेदार है और इसके अतिरिक्त उसकी गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से बरामद हुए चाकू पर सीरम विशेषज्ञ द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार लगा हुआ रक्त विघटित हो चुका था जिससे यह उपदर्शित होता है कि उसके कब्जे से बरामदगी का दावा मिथ्या है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा सामने रखा गया उक्त तर्क अधिक संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सीरम विशेषज्ञ की तारीख 17/18 अगस्त, 2007 की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा जांच हेतु भेजी गई सभी वस्तुओं, जिनके अंतर्गत हमले में प्रयुक्त तलवार, चाकू जैसे हथियार, कपड़े और घटनास्थल की सामान्य मिट्टी और रक्त से सनी मिट्टी भी थी, पर रक्त के निशान पाए गए थे और तलवार तथा

मृतक के कपड़ों पर पाया गया रक्त मानव-रक्त था जबकि चाकू और रक्त से सनी मिट्टी पर जो रक्त पाया गया था वह विघटित हो चुका था और इस संबंध में विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील संगत प्रतीत होती है ।

44. विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने अपीलार्थियों से विद्वान् काउंसेलों द्वारा चाकू और रक्त से सनी मिट्टी पर पाए गए विघटित रक्त के संबंध में दिए गए तर्कों के उत्तर में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का अवलंब लिया है और उसके आधार पर उन्होंने यह तर्क सामने रखा है कि कभी-कभार रक्त के निशान अपर्याप्त होने पर या उसमें रक्त विज्ञान संबंधी कतिपय परिवर्तन होने पर या प्लाज्मा संबंधी स्कंदन होने के कारण किसी सीरम विशेषज्ञ को रक्त का स्रोत पता लगाने में असफलता प्राप्त हो सकती है जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **राजस्थान राज्य** बनाम **तेजाराम** (उपरोक्त) वाले मामले के निर्णय के पैरा 25 में संप्रेक्षण किया है । अत: अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा दिया गया यह तर्क अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ की दोषसिद्धि और पारिणामिक दंडादेश को अपास्त करने का आधार नहीं हो सकता, विशेषकर तब जब घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान हैं जो कि अभि. सा. 1, 2 और 3, जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा था, के कथनों के रूप में हैं और जिन पर विश्वास करते हुए तथा जिनके आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराया तथा उनके विरुद्ध दंडादेश पारित किया ।

45. इसके अतिरिक्त श्री नूर मोहम्मद द्वारा उद्धृत की गई उच्चतम न्यायालय की **बलवान सिंह** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले की निर्णय-विधि के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में अपने पूर्व निर्णय पर पुन: विचार किया था जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है । उच्चतम न्यायालय ने **जगरूप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटन कथन के आधार पर बरामदगी की गई थी और सीरम विशेषज्ञ की रिपोर्ट में यह पाया गया था कि उन पर पाया गया

---

[1] (2012) 11 एस. सी. सी. 768.

रक्त मानव-रक्त था इसलिए रक्त समूह का अवधारित न हो पाना महत्वपूर्ण नहीं है ।

46. एक अन्य मामले, अर्थात् **राजस्थान राज्य** बनाम **तेजाराम** (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया था कि सीरम विशेषज्ञ द्वारा सीरम का विघटन हो जाने के कारण रक्त के स्रोत का पता लगाने में असफल रहने का अभिप्राय यह नहीं है कि हथियार पर लगा रक्त मानव-रक्त न होकर किसी अन्य पशु का रक्त है ।

47. इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने **बलवान सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले के निर्णय के पैरा 9 और पैरा 13 में विधि के एक सिद्धांत को अभिनिर्धारित किया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है :-

> "9. हम इस तथ्य के प्रति जागरूक हैं कि कभी-कभी किसी सीरम विशेषज्ञ के लिए सीरम का विघटन हो जाने या रक्त के निशानों की अपर्याप्तता के कारण या रक्त में कतिपय रक्त संबंधी परिवर्तन आदि हो जाने के कारण रक्त के स्रोत का पता लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है । ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय अपने न्यायिक बौद्ध का प्रयोग करते हुए तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया अन्य साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है और अन्वेषण के संबंध में यदि कोई युक्तियुक्त संदेह नहीं है तो अभियुक्त को संदेह का फायदा देने से इनकार कर सकता है ।
>
> इस प्रकार इस न्यायालय ने आर. शजि **बनाम** केरल राज्य [(2013) 14 एस. सी. सी. 266] वाले मामले में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है -
>
> 31. सीरम विशेषज्ञ द्वारा सीरम का विघटन हो जाने के कारण रक्त के स्रोत का पता लगाने में असफल रहने का अभिप्राय यह नहीं है कि कुल्हाड़ी पर लगा रक्त मानव-रक्त है ही नहीं ।
>
> कभी-कभी ऐसी संभावना हो सकती है कि या तो रक्त के निशान का स्वयं में अपर्याप्त होने के कारण या उसमें रक्त विज्ञान

संबंधी कतिपय परिवर्तन और प्लाज्मा संबंधी स्कंदन हो जाने के कारण कोई सीरम विशेषज्ञ प्रश्नगत रक्त के स्रोत का पता लगाने में असफल हो जाए । तथापि, ऐसे किसी मामले में जब तक कि ऐसा कोई युक्तियुक्त संदेह विद्‌यमान न हो जिसे कोई भी न्यायिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति वस्तुनिष्ठता से स्वीकार कर सके तब तक अभियुक्त को इस संबंध में किसी भी संदेह का फायदा नहीं दिया जा सकता । अभियुक्त व्यक्ति द्‌वारा दिए गए प्रकटन कथन के अनुसरण में जब कोई बरामदगी की जाती है वहां रक्त समूह का मिलान होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है । इस न्यायालय ने गुरा सिंह **बनाम** राजस्थान राज्य [(2001) 2 एस. सी. सी. 205] वाले मामले में भी इसी प्रकार का संप्रेक्षण किया था जहां यह पाया गया था कि रक्त के स्रोत के संबंध में रिपोर्ट की अनुपस्थिति में अभियुक्त की ओर से दी गई दलीलों को स्वीकार करना संभव नहीं था और इसलिए अभियुक्त को मात्र इस कारण से सिद्धदोष नहीं ठहराया जा सका था कि काफी समय व्यतीत हो जाने के कारण रक्त को सफलतापूर्वक वर्गीकृत नहीं किया जा सका था ।

राजस्थान राज्य **बनाम** तेजाराम और अन्य (उपरोक्त) वाले मामले में न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया था कि सीरम के विघटन के कारण सीरम विशेषज्ञ द्‌वारा रक्त के स्रोत का पता लगाने में असफल रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हथियार पर लगा रक्त मानव-रक्त नहीं है । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसे सभी मामलों में जहां रक्त के स्रोत का पता लगाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है वहां हथियारों की बरामदगी से उद्भूत होने वाली परिस्थितियों को सिरे से नकारा जा सकता है । इसलिए यह संप्रेक्षण किया गया था कि जब तक ऐसा कोई युक्तियुक्त संदेह विद्‌यमान न हो जिसे कोई न्यायिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति वस्तुनिष्ठता से स्वीकार कर सके तब तक अभियुक्त द्‌वारा किसी फायदे का दावा नहीं किया जा सकता ।

13. पूर्वोक्त चर्चा से हम संक्षिप्त रूप में यह कथन कर सकते हैं कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी युक्तियुक्त संदेह से परे रक्त से सनी वस्तुओं की बरामदगी को साबित कर दिया गया है और यदि अन्वेषण को दूषित नहीं पाया गया है तो यदि अभियोजन पक्ष यह दर्शित करने में सफल रहता है कि उपरोक्त वस्तुओं पर पाया गया रक्त मानव-रक्त है तो उस दशा में चाहे अभियोजन पक्ष रक्त के विघटन हो जाने के कारण रक्त समूह को अवधारित करने में सफल न हुआ हो तो भी दोषसिद्धि के लिए यह आधार पर्याप्त होगा । ऐसी दशा में न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालेगा और इस संबंध में कोई तय सूत्र स्थापित नहीं किया जा सकता कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा या उसके द्वारा यह साबित करना आवश्यक है कि रक्त समूहों का परस्पर मिलान हो गया है ।"

48. उच्चतम न्यायालय ने **बलवान सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में अभियुक्त को संदेह का फायदा मंजूर किया था क्योंकि उक्त मामले में यह तर्क दिया गया था कि मामले का अन्वेषण दूषित था और इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा था कि हमले में प्रयुक्त हथियार पर पाया गया रक्त का स्रोत मानव-रक्त था और साथ ही अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका था कि उस पर लगा रक्त अभियुक्त के रक्त समूह से मेल खाता था । अत: अभियुक्त से की गई बरामदगी के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ था किंतु वर्तमान मामले में सीरम विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार वस्तु मद सं. 1 से 5, जिसमें चाकू और रक्त से सनी मिट्टी भी सम्मिलित थे, पर रक्त पाया गया था किंतु सीरम विशेषज्ञ ने आगे यह और राय दी कि मद सं. 2 और 5, जो क्रमश: चाकू और रक्त से सनी मिट्टी हैं, पर पाया गया रक्त विघटित हो चुका था और इस प्रकार यह नहीं पता लगाया जा सका था कि प्रश्नगत रक्त का स्रोत क्या है जबकि वस्तु मद सं. 1, 3 और 4 पर मानव-रक्त पाया गया था । अत: उक्त मामला तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पूर्वोक्त मामले से भिन्न है और उक्त मामले

में स्थापित मामला विधि को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेलों ने इस संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है कि मामले का अन्वेषण दूषित था और मामले के अन्वेषण अधिकारी के विरुद्ध उक्त अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ से की गई बरामदगी को मिथ्या साबित करने के लिए कोई असद्भाव उपदर्शित नहीं किया गया है ।

49. इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेख करना भी संगत होगा कि जब पुलिस ने तारीख 7 मई, 2007 को अपीलार्थी इलताफ **उर्फ** अल्ताफ को गिरफ्तार किया था उस समय अपीलार्थी महफूज की मारुति वैन उसके कब्जे से बरामद हुई थी जिसके संबंध में उक्त अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया है जो स्वयं में एक अन्य ऐसी परिस्थिति है जो यह दर्शित करती है कि वह वर्तमान मामले में संलिप्त है । जहां तक अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल के इस तर्क का संबंध है कि बरामदगी का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है अत: यह बरामदगी संदेहास्पद है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्वेषण अधिकारी और अन्य पुलिस कार्मिकों के साक्ष्य से यह तथ्य सामने आया है कि स्वतंत्र साक्षी बनाने हेतु प्रयास किए गए थे किंतु कोई भी व्यक्ति उक्त बरामदगी का साक्षी बनने हेतु तैयार नहीं हुआ था । इसके अतिरिक्त, बरामदगी ज्ञापन पर अपीलार्थियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिसके संबंध में उन्होंने कोई विवाद नहीं उठाया है । जहां तक अपीलार्थी माशूक से की गई बरामदगी का संबंध है तारीख 8 मई, 2007 को उसके कब्जे से तलवार बरामद की गई थी जिस पर रक्त के निशान पाए गए थे जिनकी सीरम विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई थी और इसकी रिपोर्ट के अनुसार वह मानव-रक्त था । अत: मृतक की हत्या में उक्त अपीलार्थी का संलिप्त होना इस तथ्य को विचार में लेते हुए साबित हो गया है कि तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में उसका नाम सामने आया है । इसी प्रकार अपीलार्थी महफूज और सोनू से, पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के समय 315 बोर की देशी पिस्तौल भी बरामद की गई थी और उस पिस्तौल को मृतक के शव से बरामद कारतूस के साथ जांच हेतु प्राक्षेपिकी विज्ञानी के पास भेजा गया था जिसके संबंध में प्राक्षेपिकी

विज्ञानी ने यह राय प्रस्तुत की है कि उस कारतूस को अपीलार्थियों के कब्जे से बरामद हुई देशी पिस्तौल से चलाया गया था । यह तथ्य स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि अपीलार्थी महफूज और सोनू वर्तमान मामले में पूर्णतया संलिप्त थे । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा जोर-शोर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि गुलजारी लाल, जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने हेतु लिखित रिपोर्ट को लेखबद्ध किया था, हरियाणा राज्य के जिला यमुना नगर का निवासी है और विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी परीक्षा नहीं की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसने अपीलार्थियों द्वारा मृतक पर तलवार और सरिए से हमला किए जाने संबंधी केवल एक साधारण भूमिका का उल्लेख किया है और उक्त रिपोर्ट में मृतक पर किसी अग्न्यायुध से गोली चलाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है जिसके कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की वास्तविकता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल का यह प्रतिवाद संगत नहीं प्रतीत होता है क्योंकि अभि. सा. 1 अरशद जो मृतक का चचेरा भाई है और जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी, के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के तुरंत पश्चात् जब वह उस घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाने गया था तो वहां वह गुलजारी नामक एक व्यक्ति से मिला था और उसने उससे रिपोर्ट को लेखबद्ध करने का अनुरोध किया था । उसने संपूर्ण घटना का ब्यौरेवार वर्णन उसके समक्ष किया था जिसमें उसने अपीलार्थियों के नामों और हमले में प्रयुक्त हथियारों और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के नामों का उल्लेख किया था किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घटना का वर्णन जल्दी-जल्दी किया गया था और इस कारण से भूलवश प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति उक्त रिपोर्ट में अग्न्यायुध के प्रयोग के संबंध में उल्लेख करना भूल गया था । उस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को उसे लिखने वाले व्यक्ति गुलजारी लाल ने अरशद को पढ़कर नहीं सुनाया था और उसने भी जल्दबाजी में और घटना से प्रभावित विक्षुब्ध मनोस्थिति में उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे ।

यह सत्य है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अग्न्यायुध का प्रयोग किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है किंतु यह स्थिति इतनी गंभीर प्रकृति की नहीं है कि अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन को धराशायी कर दे क्योंकि अभि. सा. 1 द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में घटना के व्यापक ब्यौरे दिए गए हैं और उस पर विश्वास न करने अथवा उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा आगे यह और तर्क दिया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन घटना से संबंधित कथनों को काफी समय पश्चात् लेखबद्ध किया था जबकि वे सब लोग घटनास्थल पर उपस्थित थे जिससे यह दर्शित होता है कि उक्त साक्षियों को, अपीलार्थियों की मृतक से दुश्मनी होने के कारण मिथ्या रूप से उसकी हत्या में फंसाए जाने के लिए बाद में तैयार किया गया था । किंतु उक्त तर्क में भी कोई बल नहीं है क्योंकि यदि अन्वेषण अधिकारी की ओर से कथनों को तुरंत लेखबद्ध करने में कोई चूक हुई थी तो केवल इस कारण से अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन को झूठा नहीं कहा जा सकता । विशेष रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष तीन-तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी अपने-अपने हथियारों के साथ मृतक पर किए गए हमले में शामिल थे । घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य सहित अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा करने और साथ ही मृतक के शव और उसके कटे हुए अंगों की शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलार्थियों ने मृतक की हत्या में भाग लिया था और यह बात प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिसाक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्णतया साबित हो जाती है ।

50. उच्चतम न्यायालय ने **मल्लिकार्जुन** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में किसी आपराधिक मामले में साक्षियों के अभिसाक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अपने निर्णय के पैरा 13 और 14 में कतिपय

---

[1] (2019) 8 एस. सी. सी. 359.

सिद्धांतों को पुन: दोहराया है जिन्हें यहां नीचे उद्धृत किया गया है :–

"13. किसी साक्षी के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करते समय किसी न्यायालय को यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि क्या किसी साक्षी का अभिसाक्ष्य, उसके परिशीलन पर पूर्ण रूपेण सत्य प्रतीत होता है अथवा नहीं । एक बार इस प्रकार की राय बना लेने के पश्चात् न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह अभिसाक्ष्य और अभिकथित विरोधाभासों का मूल्यांकन करे और यह पता लगाए कि क्या वह अभियोजन के पक्षकथन के साधारण निष्कर्ष के विपरीत है अथवा नहीं । यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का अभिसाक्ष्य विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक प्रतीत होता है तो ऐसे छोटे-मोटे विरोधाभासों, जो अभियोजन के पक्षकथन की मूल भावना को प्रभावित नहीं करते हैं, की अनदेखी की जानी चाहिए और उन्हें साक्षी की विश्वसनीयता के संबंध में संदेह करने का आधार नहीं बनाया जा सकता ।

14. बख्शीश सिंह **बनाम** पंजाब राज्य और अन्य, (2013) 12 एस. सी. सी. 187 वाले मामले में यह संप्रेक्षण करते हुए कि किसी अभिसाक्ष्य में पाई जाने वाली छोटी-मोटी असंगतता और विरोधाभास उस समय आवश्यक रूप से अभियोजन के पक्षकथन को धराशायी नहीं करते हैं यदि उसे अन्यथा विश्वसनीय पाया जाता है, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था –

32. सुनील कुमार शंभुदयाल गुप्ता **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, (2010) 13 एस. सी. सी. 657 वाले मामले में इस न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है (एस. सी. सी. पृष्ठ 671, पैरा 30)

"30. किसी साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को इस बात पर विचार करना होता है कि क्या साक्ष्य में विद्यमान विरोधाभास/लोप इतने बड़े हैं कि वे सारवान रूप से विचारण को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं । छोटे-मोटे विरोधाभास, असंगतताएं, बढ़ा-चढ़ा कर कही गई बातें या

तुच्छ विषयों या बाद में कही गई कुछ बातें जो अभियोजन के मूल पक्षकथन को प्रभावित नहीं करती हैं, साक्ष्य को संपूर्ण रूप से नकारने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए । विचारण न्यायालय को संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् साक्षियों की विश्वसनीयता के संबंध में राय बनानी चाहिए और अपीलीय न्यायालय के लिए सामान्य अनुक्रम में यह न्यायोचित नहीं होगा कि वह बिना किन्हीं उचित कारणों के उनका पुनर्विलोकन करे । [राज्य **बनाम** सरवणन (2008) 17 एस. सी. सी. 587] ।"

33. .... इस न्यायालय ने राजकुमार सिंह **बनाम** राजस्थान राज्य, (2013) 5 एस. सी. सी. 722 में पृष्ठ 740 पर पैरा 43 में निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है –

"43. .... यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि किसी साक्षी के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करते समय छिटपुट मामलों से संबंधित ऐसे तुच्छ विरोधाभास, जो अभियोजन के पक्षकथन की मूल भावना को प्रभावित नहीं करते, न्यायालय को इस प्रकार उपलब्ध कराए गए संपूर्ण साक्ष्य को नामंजूर करने के लिए उत्प्रेरित नहीं कर सकते । ऐसे असंगत ब्यौरे, जो किसी भी प्रकार से किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रश्न-चिह्न नहीं लगाते, लोप या सारवान् विरोधाभासों के रूप में चिह्नित नहीं किए जा सकते । अत: न्यायालयों को इस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए और साक्ष्य का मूल्यांकन करने में अत्यंत विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । सामान्यतया न्यायालयों को यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि यदि किसी साक्षी द्वारा दिया गया अभिसाक्ष्य, उसे पूर्ण रूप से पढ़े जाने पर सत्य प्रतीत होता है तो न्यायालय के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अति विशिष्टतापूर्वक उक्त साक्ष्य के संबंध में इंगित कमियों, दोषों और अपुष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से उसकी समीक्षा करे और यह अवधारण करने हेतु उनका पृथक् रूप से मूल्यांकन

करे कि क्या वे साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की प्रकृति के पूर्णतया विरुद्ध हैं और यह भी कि क्या ऐसे मूल्यांकन के कारण ऐसे साक्ष्य की विधिमान्यता अब विश्वास करने योग्य नहीं रही है ।"

51. उच्चतम न्यायालय ने **मल्लिकार्जुन** बनाम **कर्नाटक राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए अपने उक्त निर्णय में यह और संप्रेक्षण किया है कि यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी अन्वेषण अधिकारी के अभिसाक्ष्य पर किसी बरामदगी को साबित करने के लिए उस समय भी विश्वास किया जा सकता है जब पंच साक्षी पक्षद्रोही हो गया हो । **रमेशभाई मोहनभाई** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था :–

"33. मोदन सिंह **बनाम** राजस्थान राज्य (एस. सी. सी. पृष्ठ 438 पैरा 9) वाले मामले में यह संप्रेक्षण किया गया था कि जहां सारवान् वस्तुओं की बरामदगी करने वाले अन्वेषण अधिकारी का साक्ष्य विश्वसनीय है वहां बरामदगी से संबंधित साक्ष्य को केवल इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जाना चाहिए कि अभिग्रहण ज्ञापन से संबंधित साक्षियों ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था । इसी प्रकार का मत मोहम्मद असलम बनाम महाराष्ट्र राज्य वाले मामले में भी अभिव्यक्त किया गया था ।"

52. विधि की ऊपर निर्दिष्ट सुस्थापित प्रतिपादना को ध्यान में रखते हुए अभि. सा. 1, 2 और 3 जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, के अभिसाक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दिए गए उनके साक्ष्य को विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक पाया है और छोटे-मोटे विरोधाभास अभियोजन के पक्षकथन को प्रभावित नहीं करते हैं और इसलिए वे साक्षियों की विश्वसनीयता के संबंध में संदेह करने का आधार नहीं हो सकते । यह भी सुस्थापित विधि है कि मृतक के कुटुंब के सदस्यों या उसके नातेदारों के साक्ष्य को केवल इसलिए अभित्यक्त नहीं किया जा

---

[1] (2011) 11 एस. सी. सी. 111.

सकता क्योंकि वे मृतक के नातेदार हैं और यद्‌यपि निःसंदेह रूप से उनका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण हो सकता है किंतु इसके लिए न्यायालय को अत्यंत सावधानीपूर्वक उनके साक्ष्य पर विचार करना चाहिए और यदि उनका साक्ष्य अन्यथा विश्वासोत्पादक और विश्वसनीय पाया जाता है तो उसे नकारा नहीं जा सकता । वर्तमान मामले में इस घटना के तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, जिनमें से दो मृतक के चचेरे भाई हैं जबकि एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक की सगी बहन है और अपीलार्थियों के विरुद्ध दिए गए उनके साक्ष्य के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि उनके कथन के अनुसार अपीलार्थियों ने उनकी उपस्थिति में मृतक की हत्या की है और उन्होंने संपूर्ण घटना को देखा था इस प्रकार विचारण न्यायालय द्‌वारा अपीलार्थियों को सिद्धदोष ठहराने और उन्हें दंडादिष्ट करने के लिए लेखबद्ध किए गए निष्कर्ष पूर्णतया न्यायोचित हैं क्योंकि अभियोजन ने अपीलार्थियों के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित किया है ।

53. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्‌वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि की जाती है ।

54. अपील में कोई गुण नहीं है और तद्‌नुसार इसे खारिज किया जाता है ।

55. अपीलार्थियों के संबंध में यह कथन किया गया है कि वे कारागार में हैं । उन्हें कारागार में ही रहना चाहिए और विचारण न्यायालय द्‌वारा उन्हें दिए गए दंडादेश को पूरा करना चाहिए ।

56. इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति, अभिलेख सहित अनुपालन हेतु संबद्ध विचारण न्यायालय को अग्रेषित की जाए ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

अंसार

बनाम

केरल राज्य

(2015 की दांडिक अपील सं. 605)

तारीख 13 नवंबर, 2019

न्यायमूर्ति ए. हरिप्रसाद और न्यायमूर्ति अनिल कुमार

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 392 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 14 और 114क] – हत्या और लूट – घटना के पूर्व और पश्चात् अभियुक्त का आचरण – घटना के दिन अभियुक्त का प्रतिदिन की भांति दूध लेने न जाना – घटना के पश्चात् अभियुक्त के कब्जे से मृतका के आभूषणों का बरामद होना – बरामदगी के संबंध में अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण न दिया जाना – मुंह पर तकिया रखकर श्वासावरोध करना – कंठास्थि में अस्थिभंग का पाया जाना आवश्यक नहीं – अपीलार्थी के कब्जे से मृत्यु के समय मृतका द्वारा पहने हुए आभूषणों की बरामदगी की गई है जिसके संबंध में उसके द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य से श्वासावरोध के कारण मृत्यु की पुष्टि की गई है और यह अपराधजन्य परिस्थिति अभियुक्त के आचरण से मेल खाती है, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 12 जून, 2008 को पूर्वाह्न लगभग 6.45 बजे अभियुक्त ने अभि. सा. 2 की पत्नी अर्थात् मृतका फातिमा के घर में आपराधिक अतिचार किया और गला घोंट कर उसकी हत्या की और इसके पश्चात् मृतका के सोने के आभूषणों और एक बटुआ लूटा जिसमें बैंक की पासबुक, नकदी और सोने की एक चूड़ी रखी हुई थी । अभियोजन पक्षकथन सिद्ध करने के लिए 27 साक्षियों की परीक्षा कराई गई और 28 दस्तावेज चिह्नांकित किए

गए । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा एक साक्षी (प्रतिरक्षा साक्षी 1) की परीक्षा कराई गई है और प्रदर्श डी-1 से प्रदर्श डी-4 दस्तावेज चिह्नांकित किए गए हैं । तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-17 प्रदर्शित की गई हैं । विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को हत्या और लूट के अपराध का दोषी पाया । इस आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 10 ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 15 जून, 2008 को वह पुलिस थाना आलप्पुषा दक्षिण में कार्यरत था । जिला कोषिक्कोड का पुलिस उप निरीक्षक, तारीख 14 जून, 2008 को जिला आलप्पुषा के कस्बा वटायर से किसी व्यक्ति को तलाश करने के लिए सर्किल निरीक्षक, आलप्पुषा (अभि. सा. 24) के कार्यालय पहुंचा । उन्होंने अभि. सा. 10 और सर्किल निरीक्षक को संदिग्ध व्यक्ति का फोटो दिखाया । इसके पश्चात् एक कागज पर फोटो छापा गया और आलप्पुषा के सभी सुनारों को नोटिस भेजे गए । तारीख 15 जून, 2008 को दोपहर के समय पुलिस सर्किल निरीक्षक कोडुवल्ली अपने दल के साथ अपीलार्थी के घर में तलाशी लेने गया । उस दिन अपराह्न 3.30 बजे अभि. सा. 10 को यह सूचना मिली कि अपीलार्थी के हुलिए जैसा व्यक्ति आलप्पुषा के के. एस. आर. टी. सी. बस अड्डे पर खड़ा हुआ है । अभि. सा. 10 और पुलिस सर्किल निरीक्षक, आलप्पुषा (अभि. सा. 24) तत्काल के. एस. आर. टी. सी. बस अड्डे पर पहुंचे और वहां सर्वेक्षण कायम किया । उस समय उन्होंने अपीलार्थी को कॉफी-हाउस के निकट देखा जो अन्य दो व्यक्तियों से बात कर रहा था । अभि. सा. 10 और सर्किल निरीक्षक तत्काल उसके पास गए । पुलिस और वहां पर एकत्र लोगों को देखकर अपीलार्थी घबरा गया । अभि. सा. 24 ने उसका नाम पता मालूम किया । वह संतुष्ट हो गया कि अपीलार्थी वही व्यक्ति है जिसे सर्किल निरीक्षक, कोडुवल्ली तलाश कर रहा है । अभि. सा. 4 ने तत्काल ही सर्किल निरीक्षक कोडुवल्ली (अभि. सा. 26) से संपर्क किया और वह अपराह्न लगभग 4.00 बजे वहां पहुंचा और अपीलार्थी को साक्षियों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया । अपीलार्थी के पहने हुए वस्त्रों

की तलाशी ली गई । उसके पास एक खाकी कागज का लिफाफा पाया गया जो उसने अपने जांघिया में छिपाया हुआ था । इस पर रबड़ बैंड लगा हुआ था । अपीलार्थी की जेब से उसका पासपोर्ट भी बरामद हुआ । खाकी लिफाफे को खोलने पर सोने के कुछ आभूषण उसमें रखे पाए गए । अभि. सा. 10 ने अपीलार्थी से बरामद किए गए सोने के आभूषणों की शनाख्त की है । खाकी लिफाफे को तात्विक वस्तु-15 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । अपीलार्थी का पासपोर्ट तात्विक वस्तु-16 है । अभि. सा. 10 ने अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किए गए आभूषणों की शनाख्त तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-5 के रूप में की है और उसने यह सब सामग्री खाकी लिफाफे में रखकर अपने जांघिया में छिपा रखी थी । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा कराई जाने के बावजूद ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आ सका जिससे यह साबित किया जा सके कि अपीलार्थी को मिथ्या फंसाया गया है । इस साक्षी के साक्ष्य का समर्थन अभि. सा. 24 और अभि. सा. 26 के साक्ष्य से होता है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है । अभि. सा. 24 पुलिस थाना आलप्पुषा दक्षिण में तैनात था और वह अभि. सा. 10 के साथ आलप्पुषा के के. एस. आर. टी. सी. बस अड्डे पर गया था जहां उसने अपीलार्थी को दो व्यक्तियों से बात करते हुए देखा था । अपीलार्थी की शनाख्त किए जाने के पश्चात् अभि. सा. 26 को सूचना दी गई और वह घटनास्थल पर पहुंचा और उसने स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में अपीलार्थी की जामा तलाशी की । अपीलार्थी की जामा तलाशी के दौरान तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-5 बरामद की गई । अभि. सा. 24 ने खाकी लिफाफे में रखी हुई इन वस्तुओं की शनाख्त की है जो अपीलार्थी के कब्जे से बरामद हुई हैं । इस साक्षी द्वारा अपीलार्थी के पासपोर्ट की भी शनाख्त की गई है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा कराए जाने के बावजूद अभियोजन पक्षकथन को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सका है । अभि. सा. 26 ने अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसकी गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात् उससे बरामद किए गए सोने के आभूषणों के संबंध में विस्तार से साक्ष्य दिया है । इस साक्षी का साक्ष्य अभि. सा. 10 और अभि. सा. 24 के

साक्ष्य से पूरी तरह मेल खाता है । अभि. सा. 11 पुलिस थाना आलप्पुषा दक्षिण में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल है । यह साक्षी आलप्पुषा के के. एस. आर. टी. सी. बस अड्डे के निकट पुलिस-सहायता-पोस्ट पर ड्यूटी कर रहा था । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी को अभि. सा. 24 की मौजूदगी में अभि. सा. 26 द्वारा पकड़ा गया था । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी के कब्जे से खाकी रंग का एक लिफाफा बरामद किया गया था जो उसने अपने जांघिया में छिपा रखा था और इस लिफाफे में तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-5 रखी हुई थी । इस लिफाफे की शनाख्त तात्विक वस्तु-15 और पासपोर्ट की शनाख्त तात्विक वस्तु-16 के रूप में की गई है । इस संबंध में एक अन्य साक्षी अभि. सा. 16 ने भी साक्ष्य दिया है और यह साक्षी प्रशक्ति गोल्ड एंड सिल्वर रिफायनरी, आलप्पुषा का स्वामी है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 14 जून, 2008 को पुलिस ने उसे एक व्यक्ति का फोटो दिखाया था और यह कहा था कि यदि इस हुलिए का कोई व्यक्ति उसके पास सोने के आभूषण बेचने आए तो अभि. सा. 16 तुरन्त पुलिस को सूचना दे । तारीख 15 जून, 2008 को जब अभि. सा. 16 अपने स्टाफ के साथ के. एस. आर. टी. सी. बस अड्डा, आलप्पुषा पर किसी बस की प्रतीक्षा कर रहा था, तब उसने अपीलार्थी को टी-स्टाल के निकट दो व्यक्तियों से बात करते हुए देखा । इसके पश्चात् अभि. सा. 16 को यह आभास हुआ कि उसके सामने वही व्यक्ति खड़ा है जिसका फोटो उसे पुलिस में दिखाया था । उसने तत्काल अभि. सा. 24 से संपर्क किया और अपीलार्थी के वहां मौजूद होने के बारे में सूचित किया । इसके पश्चात् अभि. सा. 10, अभि. सा. 24 और अभि. सा. 26 वहां पहुंचे और उन्होंने अपीलार्थी को गिरफ्तार किया । अपीलार्थी से तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-5 बरामद की गईं जो एक खाकी लिफाफे में रखी हुई थी जिस पर रबड़ बैंड लगा हुआ था और यह लिफाफा अपीलार्थी ने अपने जांघिए में छिपा रखा था । इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का भरपूर समर्थन किया है । यद्यपि इस साक्षी की विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है, फिर भी ऐसी कोई सामग्री सामने

नहीं आ सकी है जिससे यह पता चलता हो कि इस साक्षी का साक्ष्य मिथ्या है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 26) ने अन्वेषण की गई कार्यवाही का उल्लेख किया है । इस साक्षी ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट, अपीलार्थी की गिरफ्तारी और तात्विक वस्तुओं की बरामदगी साबित की है । इतना ही नहीं इस साक्षी ने पुलिस अभिरक्षा के दौरान अपीलार्थी के संस्वीकृति कथन के आधार पर बटुए (तात्विक वस्तु-6) और बैंक की पासबुक (तात्विक वस्तु-7) की बरामदगी के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन साबित किया गया है । इस संबंध में दिया गया इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय ही बना रहा है । यद्यपि प्रतिपरीक्षा के दौरान विचलित करने का प्रयास किया गया है फिर भी मृतका के बटुए, पासबुक आदि की बरामदगी पर विश्वास किया जा सकता है । मृतका का शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 25) के परिसाक्ष्य सहित इन सब पहलुओं से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी फातिमा की हत्या के लिए जिम्मेदार है । अभि. सा. 25 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी राय के अनुसार मृतका की मृत्यु गर्दन पर सामने की ओर से दबाव डालकर श्वासावरोध के कारण हुई है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद उसका परिसाक्ष्य प्रतिकूल रूप से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ है । यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि जिस तकिए से मृतका का श्वास रोका गया था वह बरामद नहीं किया गया है, इसलिए हमें यह पहलू महत्वपूर्ण दिखाई नहीं देता है । शवपरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतिवाद किया गया है क्योंकि शवपरीक्षण रिपोर्ट में कंठिका अस्थि और थायरॉइड उपास्थि में भी कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया है । शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 25) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि ऐसी स्थिति में श्वास केवल बाहर से हाथ, तकिए या किसी मुलायम वस्तु से बल का प्रयोग करके ही रोका जा सकता है । शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-16) और अभि. सा. 25 के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि हाथ से गर्दन दबाकर मृत्यु कारित की गई है । अभि.

सा. 25 द्‌वारा इस संबंध में दिया गया साक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद विचलित नहीं हुआ है । संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर, हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ठीक प्रकार विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी, जैसा कि अभिकथित है, फातिमा की हत्या के लिए जिम्मेदार है । यह भी स्पष्ट है कि हत्या लाभ के लिए अर्थात् मृत्यु के समय मृतका द्‌वारा पहने हुए आभूषणों को प्राप्त करने के लिए की गई है जो अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किए गए हैं और वह इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सका है कि वे आभूषण उसके पास कैसे आए । यद्‌यपि आभूषणों की शनाख्त करने वाले साक्षियों को यह सुझाव दिया गया है कि जो आभूषण अपीलार्थी से बरामद किए गए हैं वे उसके परिवार की महिलाओं के हैं जबकि इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है । यह भी स्पष्ट हो गया है कि अपीलार्थी ने मृतका के घर में गंभीर अपराध कारित करने के आशय से आपराधिक अतिचार करके फातिमा की हत्या की है । अतः, हमारा यह निष्कर्ष है कि दंड संहिता की धारा 449, 392 और 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि वैध और कायम रखे जाने योग्य है । (पैरा 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 और 32)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 605.

2009 के सेशन विचारण मामला सं. 550 में विशेष अपर सेशन न्यायाधीश, कोषिक्कोड द्‌वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री वी. मनोज कुमार

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. बी. उदय कुमार (ज्येष्ठ सरकारी प्लीडर)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. हरिप्रसाद ने दिया ।

न्या. हरिप्रसाद – यह अपील 2009 के सेशन विचारण मामला सं.

550 में विशेष अपर सेशन न्यायाधीश, कोषिक्कोड द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 449, 392 और 302 के अधीन पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय कारागार, तिरुवनंतपुरम से फाइल की गई है। सेशन न्यायाधीश द्वारा विरचित आरोप का शाब्दिक सारांश निम्न प्रकार है :–

"प्रथमतः,

आपने तारीख 12 जून, 2008 को पूर्वाह्न लगभग 6.45 बजे फातिमा पत्नी सैदअलवी, निवासी मकान नं. VIII/248, तिरुवमबड़ी पंचायत पुल्लूरम्पारा को उपरोक्त मकान में उक्त फातिमा की हत्या करने के आशय से आपराधिक अतिचार किया और एतदद्वारा दंड संहिता की धारा 449 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय की अधिकारिता के अधीन आता है और

द्वितीयतः,

आपने तारीख 12 जून, 2008 को पूर्वाह्न लगभग 6.45 बजे मकान नं. VIII/248, तिरुवमबड़ी पंचायत पुल्लूरम्पारा में, जिसमें फातिमा पत्नी सैदअलवी रहती थी, अतिचार किया और उसकी हत्या करने के आशय से उसका गला घोंटकर उसकी मृत्यु कारित की और एतदद्वारा उसकी हत्या की जो कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय की अधिकारिता के अधीन आता है और

अंतिमतः

आपने तारीख 12 जून, 2008 को पूर्वाह्न लगभग 6.45 बजे मकान नं. VIII/248, तिरुवमबड़ी पंचायत पुल्लूरम्पारा में आपराधिक अतिचार करने के पश्चात् मृतका फातिमा द्वारा पहने हुए सोने के लगभग 8 आभूषणों और 1,000/- रुपए की नकदी जो शयनकक्ष की अलमारी में रखी हुई थी, की चोरी की और यह चोरी कारित करने के लिए आपने फातिमा की जानबूझकर हत्या की और

इस प्रकार आपने लूट कारित की जो दंड संहिता की धारा 392 के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आता है ।"

2. अपील फाइल किए जाने पर इस न्यायालय ने इसे नम्बरीकृत किया है और श्री वी. मनोज कुमार को स्टेट ब्रीफ के रूप में नियुक्त किया है । यह मामला सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है । स्टेट ब्रीफ और राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ सरकारी प्लीडर श्री के. वी. उदय कुमार की सुनवाई की गई है ।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 12 जून, 2008 को पूर्वाह्न लगभग 6.45 बजे अभियुक्त ने अभि. सा. 2 की पत्नी अर्थात् मृतका फातिमा के घर में आपराधिक अतिचार किया और गला घोंट कर उसकी हत्या की और इसके पश्चात् मृतका के सोने के आभूषणों और एक बटुआ लूटा जिसमें बैंक की पासबुक, नकदी और सोने की एक चूड़ी रखी हुई थी ।

4. अभियोजन पक्षकथन सिद्ध करने के लिए 27 साक्षियों की परीक्षा कराई गई और 28 दस्तावेज चिह्नांकित किए गए । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा एक साक्षी (प्रतिरक्षा साक्षी 1) की परीक्षा कराई गई है और प्रदर्श डी-1 से प्रदर्श डी-4 दस्तावेज चिह्नांकित किए गए हैं । तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-17 प्रदर्शित की गई हैं ।

5. तारीख 12 जून, 2008 को अपराह्न लगभग 11.30 बजे पुलिस थाना तिरुवमबड़ी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जो प्रदर्श पी-1 है । इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 1 है । वह मृतका का भाई है । इत्तिलाकर्ता लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक है । प्रदर्श पी-1 में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 2 अर्थात् मृतका का पति चिकन-मीट की दुकान पर काम करता था जो टोमी (अभि. सा. 3) की है । तारीख 12 जून, 2008 को अपराह्न लगभग 9.45 बजे अभि. सा. 1 का छोटा भाई अब्दुर्रहीमन ने उसे फोन किया और यह बताया कि उनकी बहिन फातिमा दुविधा में है । वह अपने अन्य भाइयों के साथ

तुरन्त रात्रि में 10.15 बजे मृतका के घर पहुंचा । इस साक्षी ने मृतका के घर के सामने बहुत-से लोगों को एकत्र पाया । उसे अपने जीजा अर्थात् अभि. सा. 2 से पता चला कि वह रोजाना की भांति उस दिन भी पूर्वाह्न लगभग 6.00-6.15 बजे अपने काम पर गया था । जब वह रात्रि में लगभग 9.00 बजे वापस आया तब उसने अपने पूरे घर में अंधकार पाया । उसने घर में प्रवेश करने के लिए चाबी तालाश की क्योंकि उसने यह सोचा कि उसकी पत्नी किसी कार्य से घर से बाहर गई हुई है । चूंकि मुख्य दरवाजा बंद था इसलिए वह पीछे वाले दरवाजे की ओर गया और उसने वह दरवाजा आधा खुला हुआ पाया । वह रसोई में गया और बत्तियां जलाईं और देखा कि फर्श गीला है । जब वह शयनकक्ष में गया तो उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया जो दाईं करवट से लेटी हुई थी । उसने मृतका को पुकारा किन्तु उसने जवाब नहीं दिया । जब उसको सीधा किया गया तो इस साक्षी ने मृतका का शरीर ठंडा और अकड़ा हुआ पाया । उसने तुरन्त ही अपने पड़ोसियों को बुलाया और यह पाया कि फातिमा की मृत्यु हो गई है । प्रदर्श पी-1 का यही सारांश है ।

6. परीक्षा के दौरान अभि. सा. 6 ने स्पष्ट रूप से प्रदर्श पी-1 में उल्लिखित बातों के समर्थन में अभिसाक्ष्य दिया है । साक्ष्य के दौरान यह प्रकट हुआ है कि मृतका और अभि. सा. 2 का एक पुत्र है जो उस समय विदेश में कार्यरत था । उनकी पुत्री किसी के साथ भाग गई थी और उन्हें कई वर्षों से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि माता-पिता ने पुत्री के विवाह को स्वीकार नहीं किया था । अभि. सा. 1 ने संपूर्ण घटना का वर्णन करते हुए यह बताया कि उसे यह आभास हो रहा है कि रात्रि में क्या हुआ होगा, जैसा कि अभि. सा. 2 द्वारा बताया गया है । यह सत्य है कि अभि. सा. 1 ने अभियुक्त के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है क्योंकि वह घटनास्थल पर केवल जानकारी लेने के लिए ही आया था । किन्तु उसने साक्षी कठघरे में अभियुक्त की शनाख्त की है क्योंकि वह अली अकबर (अभि. सा. 8) और उसके परिवार के साथ रहता था ।

7. अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद ऐसी कोई

सामग्री सामने नहीं आई है जिससे यह साबित किया जा सके कि उसने प्रदर्श पी-1 में दिए गए कथन से हट कर कोई बात कही है । अभि. सा. 1 ने तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-5 की शनाख्त की है और यह बताया है कि ये वस्तुएं उसकी मृतका बहिन की हैं । अभि. सा. 1 के इस साक्ष्य को उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान चुनौती दी गई है किंतु इस साक्षी ने बलपूर्वक यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यह आभूषण उसकी बहिन के ही हैं । प्रतिरक्षा पक्ष का यह पक्षकथन है कि यह हत्या मृतका के पति अर्थात् अभि. सा. 2 द्वारा पुत्री के लापता होने से संबंधित विवाद को लेकर भी की जा सकती है जिसका अभि. सा. 1 द्वारा पूर्णतया खंडन किया गया है । इस साक्षी के अनुसार अभि. सा. 2 बुरी तरह हताश हो गया था जब उसने तारीख 12 जून, 2008 को रात्रि में लगभग 10.15 बजे उसे देखा था ।

8. सैदअलवी (अभि. सा. 2) मृतका का पति है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह टोमी जॉन (अभि. सा. 3) के चिकन-स्टाल पर काम करता था । वह आम तौर पर अपने काम पर पूर्वाह्न 6.15-6.30 बजे जाया करता था । अभि. सा. 3 उसे मोटरसाइकिल से ले जाया करता था या कभी-कभी वह ऑटो रिक्शा से अपने काम पर जाया करता था । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 12 जून, 2018 को पूर्वाह्न 6.30 बजे अपने घर से रवाना हुआ और रात्रि में वापस आया । चूंकि उसे घर में रोशनी दिखाई नहीं दी और मुख्य द्वार बंद पाया तब वह घर के पीछे की ओर गया और उसने कीचन का दरवाजा आधा खुला हुआ देखा । घर के अंदर का फर्श गीला था । जब वह शयनकक्ष में गया और बत्ती जलाई तब उसने अपनी पत्नी को दीवार की ओर करवट लिए हुए बिस्तर पर लेटे हुए देखा । उसने मृतका को पुकारा किन्तु उसने देखा कि उसका शरीर ठंडा और अकड़ा हुआ है । उसने अपने पड़ोसी शाहजी (अभि. सा. 5) को बुलाया । मृतका निश्चेत पड़ी हुई थी, अभि. सा. 2 ने देखा कि उसके चेहरे और मुख पर सूखा हुआ रक्त लगा हुआ था । उस समय मृतका के शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं था । अभि. सा. 2 समझ गया कि किसी ने उसकी पत्नी की हत्या करके उसके आभूषण लूटे हैं । वह घबरा गया । शाहजी (अभि.

सा. 5) ने नातेदारों और पड़ोसियों को इस घटना के संबंध में सूचित किया । अपराह्न लगभग 10.00 बजे अभि. सा. 2 का साला वहां पहुंचा । अभि. सा. 2 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके घर से एक बटुआ भी चोरी किया गया है जिसमें साउथ इंडियन बैंक द्वारा जारी पासबुक, 1,000/- रुपए की नकदी और एक सोने की चूड़ी रखी हुई थी । उस बटुए पर "अलुक्कस ज्वैलरी" छपा हुआ था । इस साक्षी ने घटना के दिन मृतका द्वारा पहने हुए आभूषणों की शनाख्त की है जो तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-4 हैं । तात्विक वस्तु-5 वह चूड़ी है जो उसने तात्विक वस्तु-6 (बटुआ) में रखी हुई थी । मृतका के नाम में जारी पासबुक तात्विक वस्तु-7 है । अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि उसकी पत्नी दूध लेने के लिए अली अकबर (अभि. सा. 8) के घर जाया करती थी क्योंकि अली अकबर गायें पालता था । घटना के दिन मृतका वहां नहीं गई । इस साक्षी ने मृतका द्वारा पहने गए कपड़ों और फटी हुई लुंगी की शनाख्त की है । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उनके संबंध अत्यंत सौहार्द थे । इस साक्षी के परिसाक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी घटना से कुछ महीने पहले से अभि. सा. 8 के घर में रहता था । घटना के दिन से अपीलार्थी फरार हो गया था । तारीख 6 जून, 2008 को अपीलार्थी का पता चला जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाई । तारीख 17 जून, 2008 को उसकी पत्नी द्वारा पहने गए आभूषणों की शनाख्त अभि. सा. 2 द्वारा पुलिस थाने में की गई । इस साक्षी ने अपीलार्थी की शनाख्त न्यायालय में की है ।

9. अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि अभि. सा. 8 का निवास-स्थान उसके घर से लगभग 40 मीटर की दूरी पर है । इस साक्षी की कड़ी प्रतिपरीक्षा कराए जाने के बावजूद वह उन तथ्यों तक ही सीमित रहा है जिनका उल्लेख उसने अपनी मुख्य परीक्षा में किया था । इस साक्षी को उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह सुझाव दिया गया है कि शाहजी (अभि. सा. 5) के मकान के निकट अन्य मकान भी हैं किंतु इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है । अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसने मृतका के शरीर को छुआ तो वह समझ गया कि मृतका की मृत्यु हो

चुकी है और वह तुरन्त अपना मानसिक संतुलन खो बैठा । इस साक्षी के अनुसार शाहजी (अभि. सा. 5) ने उसके नातेदारों को बुलाया और वह अवसाद की स्थिति में था । प्रतिरक्षा पक्ष का यह पक्षकथन है कि अभि. सा. 2 और उसकी पत्नी के बीच पुत्री के भाग जाने के कारण झगड़ा हो गया था जिसके परिणामस्वरूप मृतका की हत्या हुई, किंतु इस सुझाव से इस साक्षी द्वारा पूर्णतया इनकार किया गया है । हमारे पास अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं है क्योंकि उसका साक्ष्य अभि. सा. 1 के साक्ष्य से पूर्णतया मेल खाता है ।

10. टोमी (अभि. सा. 3), अभि. सा. 2 का नियोजक है । अभि. सा. 3 ने भी यह कथन किया है कि अभि. सा. 2 अपने काम पर आम तौर पर पूर्वाह्न 6.15-6.30 बजे उसके साथ जाया करता था और दुकान बंद होने के पश्चात् अपराह्न 9.00 बजे के बाद वापस आया करता था । घटना के दिन भी अभि. सा. 2 अपने घर से पूर्वाह्न 6.15 बजे रवाना हुआ था और अपराह्न 9.15 बजे घर वापस आया था । अभि. सा. 3 ने न्यायालय में अपीलार्थी की शनाख्त इस आधार पर की है कि वह अभि. सा. 8 और परिवार के साथ रहता था । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया है कि तारीख 12 जून, 2008 को जब वह अभि. सा. 2 को पूर्वाह्न 6.15 बजे अपने साथ लेकर गया था, तब अपीलार्थी अभि. सा. 8 के बरामदे में खड़ा होकर उनकी ओर देख रहा था । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया है कि घटना के पश्चात् अभियुक्त को नहीं देखा गया और उसका पता केवल 16 जून, 2008 को ही चला जब पुलिस उसे आलप्पुषा से गिरफ्तार करके घटनास्थल पर लाई थी । प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय रहता और उसके साक्ष्य से अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि भी होती है ।

11. अभि. सा. 4 एक मीट विक्रेता है । वह ऑटो रिक्शा चालक के रूप में भी कार्य करता था । उसे अभि. सा. 2 की पत्नी अर्थात् मृतका की मृत्यु के बारे में तारीख 12 जून, 2008 को अपराह्न 11.00 बजे पता चला था । इस साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी अभि. सा. 8 के साथ रहता था । साक्ष्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि

अली अकबर (अभि. सा. 8) के मकान के पीछे एक छोटी नदी बहती है । अभि. सा. 4 उस नदी पर नहाने जाया करता है और उस समय वह अपीलार्थी से बातें किया करता है । अपीलार्थी आलप्पुषा का निवासी है और उसने कुछ समय के लिए खाड़ी के किसी देश में काम भी किया था । अपीलार्थी पर उसके मूल निवास-स्थान को लेकर कुछ जिम्मेदारी थी, अतः वह कुछ समय के लिए वहां से दूर रहने लगा । तारीख 12 जून, 2008 को पूर्वाह्न लगभग 7.30 बजे जब अभि. सा. 4 ऑटो रिक्शा चलाकर पुल्लूरम्पारा से मवीनचुवाडू जा रहा था तब उसने अपीलार्थी को पुल्लूरम्पारा की ओर जाते हुए देखा । अपीलार्थी घबराया हुआ था और उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे । फातिमा की मृत्यु के पश्चात् अभियुक्त लापता हो गया । इस साक्षी ने अपीलार्थी की शनाख्त की है ।

12. इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसने अपीलार्थी को घटना के दिन पूर्वाह्न लगभग 7.30 बजे देखा तो यह पाया कि वह लुंगी और कमीज पहने हुए था । अभि. सा. 4 ने इस सुझाव से इनकार किया है कि इस हत्या को लेकर अभि. सा. 2 की भूमिका संदिग्ध है । इस साक्षी का परिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद विचलित नहीं हुआ है और अन्य साक्षियों के साक्ष्य से मेल भी खाता है ।

13. शाहजी (अभि. सा. 5) घटनास्थल पर अभि. सा. 2 के साथ आया था और अभि. सा. 2 ने उसे परेशान होकर तारीख 12 जून, 2008 को अपराह्न 9.00-9.15 बजे बुलाया था । उसने भी फर्श पर पानी पड़ा हुआ देखा था और फातिमा बिस्तर पर दीवार की ओर मुंह किए हुए लेटी थी । जब अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 ने फातिमा को श्वासन की स्थिति में लिटाया तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पाया गया । मृतका के मुंह और चेहरे पर रक्त लगा पाया गया जो सूख गया था । उसके शरीर से सभी आभूषण गायब थे । तत्काल उसने अभि. सा. 1 और अन्य व्यक्तियों को बुलाया । वे सभी वहां आए और इसके पश्चात् प्रदर्श पी-1 दर्ज कराई गई । अभि. सा. 5 मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) का साक्षी है । इस साक्षी ने भी तात्विक वस्तुओं की बरामदगी साबित की है । इस साक्षी ने अभियुक्त की शनाख्त इस प्रकार की है कि वह उसे घटना के

पहले से जानता था क्योंकि वह सुसंगत समय के दौरान अभि. सा. 8 के मकान में रहता था । इस साक्षी ने घटना के तत्काल पश्चात् अपीलार्थी के लापता होने के बारे में भी साक्ष्य दिया है । इस साक्षी का यह परिसाक्ष्य है कि तारीख 12 जून, 2008 को अपराह्न लगभग 4.30 बजे उसने अपीलार्थी को पुल्लूरम्पारा टाउन में देखा था जो प्लास्टिक का थैला लिए हुए था । उस समय वह पेंट और कमीज पहने हुए था । प्रतिपरीक्षा के दौरान सुझाव देकर यह मनवाने का प्रयास किया गया है कि उसका मकान अभि. सा. 2 के मकान के अधिक निकट नहीं है । किंतु साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है । इस साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया है कि अभि. सा. 8 का मकान उसके मकान के निकट है । इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि उसने फातिमा को अस्पताल ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया जिस पर उसने यह उत्तर दिया कि उसे पूरी तरह यह विश्वास था कि फातिमा की मृत्यु हो चुकी है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा अत्यधिक विस्तार से किए जाने के बावजूद हमें उसके साक्ष्य पर विश्वास न करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । इस साक्षी का परिसाक्ष्य अभि. सा. 2 के साक्ष्य से पूरी तरह मेल खाता है ।

14. अभि. सा. 6 बाल साक्षी है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 12 जून, 2008 को जब वह सांयकाल अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी, तब उसने अपीलार्थी को पुल्लूरम्पारा की ओर जाते हुए देखा जो पेंट और कमीज पहने हुए था और उसके हाथ में प्लास्टिक का थैला था । इस साक्षी का परिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद विचलित नहीं हुआ है और यह अभि. सा. 5 के परिसाक्ष्य से मेल खाता है ।

15. अभि. सा. 7 पुल्लूरम्पारा मिल्क सोसायटी का सचिव है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अली अकबर (अभि. सा. 8) सोसायटी का सदस्य है और वह सोसायटी में दूध की आपूर्ति किया करता है । वह एक छोटा डेयरी फार्म चलाता है । इस साक्षी के अनुसार घटना से लगभग 2 मास पूर्व एक नवयुवक दूध का वितरण किया करता था और उसने अभियुक्त को न्यायालय में पहचान कर बताया है कि यह वही व्यक्ति है जो दूध वितरित किया करता था । तारीख 12 जून,

2008 को अभि. सा. 8 की पत्नी अर्थात् अभि. सा. 9 दूध लेकर आई और अपीलार्थी नहीं आया । इस साक्षी के साक्ष्य को उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान चुनौती नहीं दी गई है ।

16. अली अकबर (अभि. सा. 8) और बीमा (अभि. सा. 9) पति-पत्नी हैं । इन दोनों साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त उनका नातेदार है । अपीलार्थी बीमा के भाई का पुत्र है और उनके पुत्र का विवाह अपीलार्थी की बहिन के साथ हुआ है । इन दोनों साक्षियों ने न्यायालय में अपीलार्थी की शनाख्त स्पष्ट रूप से की है । इन दोनों साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे गाय पालते हैं और दूध बेचने का काम करते हैं । उनका यह पक्षकथन है कि मृतका प्रात:काल उनके यहां दूध खरीदने आया करती थी । इन साक्षियों के परिसाक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी अपनी आर्थिक अवस्था ठीक न होने के कारण अपने मूल निवास स्थान से दूर रहता था । अली अकबर (अभि. सा. 8) ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 12 जून, 2008 को वह पूर्वाह्न 8.00 बजे सो कर उठा । उस समय उसने अपीलार्थी को निकट स्थित नदी की ओर जाते हुए देखा । आम तौर पर वह उस समय कभी भी नहीं नहाता था । अपीलार्थी अभि. सा. 8 के घर से उस दिन दूध लेकर सोसायटी मे नहीं आया । उस दिन बीमा (अभि. सा. 9) सोसायटी में दूध लेकर आई । अपीलार्थी अपराह्न 4.30 बजे पुल्लूरम्पारा पहुंचा और वह अभि. सा. 8 से उसकी मछली बेचने की दुकान पर मिला और उसे यह बताया कि उसे ओमश्री इलाके में चौकीदार की नौकरी मिल गई है । अपीलार्थी ने अभि. सा. 8 को यह भी बताया कि वह अब जहां रहता है वहां से जा रहा है । उस दिन अभि. सा. 8 अपना काम समाप्त करके अपराह्न 9.30 बजे घर पहुंचा । इसके पश्चात् उसे फातिमा की मृत्यु के बारे में पता चला । प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद हमें इस साक्षी को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । इस साक्षी द्वारा इस सुझाव से इनकार किया गया है कि अभि. सा. 2 और मृतका के बीच उनकी पुत्री के आचरण को लेकर कोई मतभेद थे ।

17. बीमा (अभि. सा. 9) ने अभि. सा. 8 के परिसाक्ष्य के अनुसार अपना अभिसाक्ष्य दिया है । इस साक्षी के अनुसार तारीख 12 जून,

2008 को वह अपराह्न 6.00 बजे सोकर उठी थी और उसने अपीलार्थी को बरामदे में खड़ा हुआ देखा जो बाहर की ओर देख रहा था । उसने अपीलार्थी को रोजाना की भांति सोसायटी में दूध लाते हुए नहीं देखा और इसलिए वह स्वयं दूध लेकर गई । पूर्वाह्न 8.00 बजे के बाद अपीलार्थी घर पर आया । वह बुरी तरह पसीने में भीगा हुआ था और नहाने चला गया । वह आम तौर पर उस समय नहाने नहीं जाता था । वे दोनों चिकित्सक से दवा लेने चले गए और अपराह्न 3.30 बजे अभि. सा. 9 और अपीलार्थी घर वापस आए । भोजन करने के पश्चात् अपीलार्थी ने अभि. सा. 9 को बताया कि उसे ओमश्री में चौकीदार की नौकरी मिल गई है, इसलिए वह रवाना होना चाहता है । अपराह्न लगभग 4.00 बजे वह एक थैले में अपने वस्त्र आदि लेकर चला गया । मृतका की मृत्यु की सूचना उन्हें उस दिन अपराह्न 9.30 बजे ही मिली । इसके पश्चात् अपीलार्थी का पता नहीं लग सका । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा कड़े रूप से कराए जाने के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकला । अभि. सा. 8 और अभि. सा. 9 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से घटना के तत्काल पश्चात् अपीलार्थी का आचरण और उसका फरार हो जाना स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है ।

18. उपरोक्त साक्षियों ने घटनास्थल और उसके निकट हुए घटनाक्रम का उल्लेख किया है । इन साक्षियों ने घटना के पूर्व और उसके पश्चात् अपीलार्थी के चरित्र और आचरण के बारे में बताया है । इन साक्षियों का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "साक्ष्य अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 8 के अधीन सुसंगत है ।

19. अब हम अगले साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करेंगे जिन्होंने अभियुक्त के आलप्पुषा में गिरफ्तार होने और सोने के आभूषणों, जो मृत्यु के समय मृतका ने पहने हुए थे, के संबंध में साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 10 से अभि. सा. 13, अभि. सा. 15, अभि. सा. 16 और अभि. सा. 24 वे साक्षी हैं जिन्होंने अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसके कब्जे से बरामद होने वाली वस्तुओं के संबंध में साक्ष्य दिया है । अभिलेख से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त को 15 जून, 2008 को अर्थात् घटना के तीन दिन बाद गिरफ्तार किया गया था ।

20. अभि. सा. 10 ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 15 जून, 2008 को वह पुलिस थाना आलप्पुषा दक्षिण में कार्यरत था । जिला कोषिक्कोड का पुलिस उप निरीक्षक, तारीख 14 जून, 2008 को जिला आलप्पुषा के कसबा वटायर से किसी व्यक्ति को तलाश करने के लिए सर्किल निरीक्षक, आलप्पुषा (अभि. सा. 24) के कार्यालय पहुंचा । उन्होंने अभि. सा. 10 और सर्किल निरीक्षक को संदिग्ध व्यक्ति का फोटो दिखाया । इसके पश्चात् एक कागज पर फोटो छापा गया और आलप्पुषा के सभी सुनारों को नोटिस भेजे गए । तारीख 15 जून, 2008 को दोपहर के समय पुलिस सर्किल निरीक्षक कोडुवल्ली अपने दल के साथ अपीलार्थी के घर में तलाशी लेने गया । उस दिन अपराहन 3.30 बजे अभि. सा. 10 को यह सूचना मिली कि अपीलार्थी के हुलिए जैसा व्यक्ति आलप्पुषा के के. एस. आर. टी. सी. बस अड्डे पर खड़ा हुआ है । अभि. सा. 10 और पुलिस सर्किल निरीक्षक, आलप्पुषा (अभि. सा. 24) तत्काल के. आर. टी. सी. बस अड्डे पर पहुंचे और वहां सर्वेक्षण कायम किया । उस समय उन्होंने अपीलार्थी को कॉफी-हाउस के निकट देखा जो अन्य दो व्यक्तियों से बात कर रहा था । अभि. सा. 10 और सर्किल निरीक्षक तत्काल उसके पास गए । पुलिस और वहां पर एकत्र लोगों को देखकर अपीलार्थी घबरा गया । अभि. सा. 24 ने उसका नाम पता मालूम किया । वह संतुष्ट हो गया कि अपीलार्थी वही व्यक्ति है जिसे सर्किल निरीक्षक, कोडुवल्ली तलाश कर रहा है । अभि. सा. 4 ने तत्काल ही सर्किल निरीक्षक कोडुवल्ली (अभि. सा. 26) से संपर्क किया और वह अपराहन लगभग 4.00 बजे वहां पहुंचा और अपीलार्थी को साक्षियों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया । अपीलार्थी के पहने हुए वस्त्रों की तलाशी ली गई । उसके पास एक खाकी कागज का लिफाफा पाया गया जो उसने अपने जांघिया में छिपाया हुआ था । इस पर रबड़ बैंड लगा हुआ था । अपीलार्थी की जेब से उसका पासपोर्ट भी बरामद हुआ । खाकी लिफाफे को खोलने पर सोने के कुछ आभूषण उसमें रखे पाए गए । अभि. सा. 10 ने अपीलार्थी से बरामद किए गए सोने के आभूषणों की शनाख्त की है । खाकी लिफाफे को तात्विक वस्तु-15 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । अपीलार्थी का पासपोर्ट तात्विक वस्तु-16 है । अभि. सा. 10 ने अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किए गए आभूषणों की शनाख्त तात्विक वस्तु-1 से

तात्विक वस्तु-5 के रूप में की है और उसने यह सब सामग्री खाकी लिफाफे में रखकर अपने जांघिया में छिपा रखी थी । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा कराई जाने के बावजूद ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आ सका जिससे यह साबित किया जा सके कि अपीलार्थी को मिथ्या फंसाया गया है ।

21. इस साक्षी के साक्ष्य का समर्थन अभि. सा. 24 और अभि. सा. 26 के साक्ष्य से होता है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है । अभि. सा. 24 पुलिस थाना आलप्पुषा दक्षिण में तैनात था और वह अभि. सा. 10 के साथ आलप्पुषा के के. एस. आर. टी. सी. बस अड्डे पर गया था जहां उसने अपीलार्थी को दो व्यक्तियों से बात करते हुए देखा था । अपीलार्थी की शनाख्त किए जाने के पश्चात् अभि. सा. 26 को सूचना दी गई और वह घटनास्थल पर पहुंचा और उसने स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में अपीलार्थी की जामा तलाशी की । अपीलार्थी की जामा तलाशी के दौरान तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-5 बरामद की गई । अभि. सा. 24 ने खाकी लिफाफे में रखी हुई इन वस्तुओं की शनाख्त की है जो अपीलार्थी के कब्जे से बरामद हुई हैं । इस साक्षी द्वारा अपीलार्थी के पासपोर्ट की भी शनाख्त की गई है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा कराए जाने के बावजूद अभियोजन पक्षकथन को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सका है ।

22. अभि. सा. 26 ने अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसकी गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात् उससे बरामद किए गए सोने के आभूषणों के संबंध में विस्तार से साक्ष्य दिया है । इस साक्षी का साक्ष्य अभि. सा. 10 और अभि. सा. 24 के साक्ष्य से पूरी तरह मेल खाता है ।

23. अभि. सा. 11 पुलिस थाना आलप्पुषा दक्षिण में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल है । यह साक्षी आलप्पुषा के के. एस. आर. टी. सी. बस अड्डे के निकट पुलिस-सहायता-पोस्ट पर ड्यूटी कर रहा था । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी को अभि. सा. 24 की मौजूदगी में अभि. सा. 26 द्वारा पकड़ा गया था । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी के कब्जे से खाकी रंग का एक लिफाफा बरामद किया गया था जो उसने अपने जांघिया में छिपा रखा था और इस लिफाफे में तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-5 रखी हुई थी । इस

लिफाफे की शनाख्त तात्विक वस्तु-15 और पासपोर्ट की शनाख्त तात्विक वस्तु-16 के रूप में की गई है ।

24. इस संबंध में एक अन्य साक्षी अभि. सा. 16 ने भी साक्ष्य दिया है और यह साक्षी प्रशक्ति गोल्ड एंड सिल्वर रिफायनरी, आलप्पुषा का स्वामी है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 14 जून, 2008 को पुलिस ने उसे एक व्यक्ति का फोटो दिखाया था और यह कहा था कि यदि इस हुलिए का कोई व्यक्ति उसके पास सोने के आभूषण बेचने आए तो अभि. सा. 16 तुरन्त पुलिस को सूचना दे । तारीख 15 जून, 2008 को जब अभि. सा. 16 अपने स्टाफ के साथ के. एस. आर. टी. सी. बस अड्डा, आलप्पुषा पर किसी बस की प्रतीक्षा कर रहा था, तब उसने अपीलार्थी को टी-स्टाल के निकट दो व्यक्तियों से बात करते हुए देखा । इसके पश्चात् अभि. सा. 16 को यह आभास हुआ कि उसके सामने वही व्यक्ति खड़ा है जिसका फोटो उसे पुलिस में दिखाया था । उसने तत्काल अभि. सा. 24 से संपर्क किया और अपीलार्थी के वहां मौजूद होने के बारे में सूचित किया । इसके पश्चात् अभि. सा. 10, अभि. सा. 24 और अभि. सा. 26 वहां पहुंचे और उन्होंने अपीलार्थी को गिरफ्तार किया । अपीलार्थी से तात्विक वस्तु-1 से तात्विक वस्तु-5 बरामद की गईं जो एक खाकी लिफाफे में रखी हुई थी जिस पर रबड़ बैंड लगा हुआ था और यह लिफाफा अपीलार्थी ने अपने जांघिए में छिपा रखा था । इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का भरपूर समर्थन किया है । यद्यपि इस साक्षी की विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है, फिर भी ऐसी कोई सामग्री सामने नहीं आ सकी है जिससे यह पता चलता हो कि इस साक्षी का साक्ष्य मिथ्या है ।

25. अभि. सा. 15 एक ऐसा साक्षी है जो अपीलार्थी को इस घटना से पहले से जानता है क्योंकि वह अपीलार्थी का पड़ोसी है । किंतु इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन से इस संबंध में इनकार किया है कि उसने अपीलार्थी के साथ कुल्लूपालम, आलप्पुषा में स्थित सूर्य लॉज में एक कमरा लिया था । इस साक्षी और अभि. सा. 13 का परिसाक्ष्य अधिक सुसंगत नहीं है क्योंकि लूट की घटना के तत्काल पश्चात् अपीलार्थी के कब्जे से तात्विक वस्तुओं की बरामदगी अभि. सा. 10,

अभि. सा. 11, अभि. सा. 16, अभि. सा. 24 और अभि. सा. 26 जैसे अत्यंत विश्वसनीय साक्षियों के साक्ष्य से पहले ही साबित हो गई है । हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक यह सिद्ध कर दिया है कि अभि. सा. 2 अर्थात् मृतका के पति तथा पड़ोसियों द्वारा शनाख्त किए गए सोने के आभूषण अपीलार्थी की गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात् 15 जून, 2008 को ही उसके कब्जे से बरामद कर लिए गए थे । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि वह अन्य दो व्यक्तियों के साथ मिलकर सोने के इन आभूषणों को बेचने का प्रयास कर रहा था क्योंकि उस दौरान वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था ।

26. अभि. सा. 20 न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)-IV, कोषिक्कोड है जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 164 के अधीन अभि. सा. 16 का कथन अभिलिखित किया है । चूंकि अभि. सा. 16 ने अभियोजन पक्षकथन के अनुसार साक्ष्य दिया है, इसलिए हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन ने संपुष्टि के लिए इस कथन का प्रयोग करके न्यायोचित किया है । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभि. सा. 16 के साक्ष्य में कोई भी महत्वपूर्ण विरोधाभास इंगित नहीं किया गया है । इसी प्रकार संहिता की धारा 164 के अधीन इस साक्षी का कथन अभिलिखित किए जाने में कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है । अन्य साक्षियों का परिसाक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है जिससे यह दर्शित होता है कि अन्वेषण समुचित दिशा में किया गया है । इन साक्षियों के साक्ष्य को कोई भी चुनौती नहीं दी गई है ।

27. अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 26) ने अन्वेषण की गई कार्यवाही का उल्लेख किया है । इस साक्षी ने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट, अपीलार्थी की गिरफ्तारी और तात्विक वस्तुओं की बरामदगी साबित की है । इतना ही नहीं इस साक्षी ने पुलिस अभिरक्षा के दौरान अपीलार्थी के संस्वीकृति कथन के आधार पर बटुए (तात्विक वस्तु-6) और बैंक की पासबुक (तात्विक वस्तु-7) की बरामदगी के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन साबित किया गया है । इस संबंध में दिया गया इस साक्षी का साक्ष्य

विश्वसनीय ही बना रहा है । यद्यपि प्रतिपरीक्षा के दौरान विचलित करने का प्रयास किया गया है फिर भी मृतका के बटुए, पासबुक आदि की बरामदगी पर विश्वास किया जा सकता है ।

28. मृतका का शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 25) के परिसाक्ष्य सहित इन सब पहलुओं से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी फातिमा की हत्या के लिए जिम्मेदार है । शवपरीक्षण प्रमाणपत्र के अनुसार मृतका के शव पर मृत्यु पूर्व की निम्न क्षतियां पाई गई हैं :-

"ख. मृत्यु पूर्व की क्षतियां -

(1) जबड़े के 1.5 सें. मी. नीचे मध्यरेखा के बाहर 4.2 सें. मी. की दूरी पर गर्दन के बाईं ओर 1.1 सें. मी. × 0.8 सें. मी. माप की खरोंच पाई गई है ।

(2) गर्दन के बाईं ओर 1.3 सें. मी. लंबी खरोंच पाई गई है जो मध्यरेखा से 0.5 से. मी. बाहर है और उरोस्थि के गड्ढे से 4 से. मी. ऊपर की ओर है ।

(3) उरोस्थि के गड्ढे के ऊपर 2.5 सें. मी. दूर मध्यरेखा पर निचले आंतरिक किनारे पर गर्दन के दाईं ओर 3 सें. मी. लंबी रेखीय खरोंच पाई गई है ।

(4) गर्दन के दाईं ओर 3 सें. मी. लंबी रेखीय खरोंच पाई गई है जो क्षति सं. 3 के निचले सिरे के ऊपर की ओर 0.2 सें. मी. की दूरी पर गर्दन के निचले भीतरी भाग में स्थित है ; इस क्षति का ऊपरी बाहरी सिरा क्षति सं. 3 के ऊपरी सिरे से 1 सें. मी. की दूरी पर है ।

(5) रक्त रहित क्षेत्र में गर्दन का विच्छेदन करने से कई स्थानों पर सामने की ओर रक्त एकत्र पाया गया है जो स्टर्नोक्लेडोमैस्टायड मांसपेशी तक जगह-जगह फैला हुआ है । कंठास्थि और थायरॉइड उपास्थि में कोई भी अस्थिभंग नहीं पाया गया है ।

(6) दोनों होठों में भीतर की ओर 1 सें. मी. से 2 सें. मी. चौड़ा और 2 सें. मी. लंबा तथा 0.4 सें. मी. उभरा हुआ गुमटा पाया गया है जो मध्यरेखा से 3 सें. मी. की दूरी पर है । यह गुमटा होंठ के किनारे पर 0.3 सें. मी. तक फैला हुआ है और इसके उभार में कई जगह परिवर्तन है ।"

अभि. सा. 25 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी राय के अनुसार मृतका की मृत्यु गर्दन पर सामने की ओर से दबाव डालकर श्वासावरोध के कारण हुई है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद उसका परिसाक्ष्य प्रतिकूल रूप से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ है ।

29. यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि जिस तकिए से मृतका का श्वास रोका गया था वह बरामद नहीं किया गया है, इसलिए हमें यह पहलू महत्वपूर्ण दिखाई नहीं देता है । शवपरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतिवाद किया गया है क्योंकि शवपरीक्षण रिपोर्ट में कंठिका अस्थि और थायरॉइड उपास्थि में भी कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया है । शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 25) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि ऐसी स्थिति में श्वास केवल बाहर से हाथ, तकिए या किसी मुलायम वस्तु से बल का प्रयोग करके ही रोका जा सकता है । शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-16) और अभि. सा. 25 के परिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि हाथ से गर्दन दबाकर मृत्यु कारित की गई है । अभि. सा. 25 द्वारा इस संबंध में दिया गया साक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद विचलित नहीं हुआ है ।

30. अभि. सा. 25 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह मृत्यु होने का सही समय नहीं बता सकता । इस साक्षी के अनुसार मृत्यु शवपरीक्षण किए जाने के समय से 18 से 36 घंटे पूर्व हो सकती है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मृत्यु की समयावधि सटीक नहीं बताई जा सकती है । मृत्यु किस समय हुई है यह निर्धारित करने के लिए वातावरण के तापमान, आर्द्रता आदि पर भी विचार करना होता है यह स्पष्ट है कि मृत्यु तारीख 12 जून, 2008 को प्रात:काल ही होनी

चाहिए क्योंकि मृत्यु का यह समय अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य से मेल भी खाता है ।

31. यह ऐसा मामला है जो पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अभियोजन पक्ष प्रत्येक परिस्थिति को साबित करने में सफल रहा है और इन परिस्थितियों से एक अटूट श्रृंखला बनती है । इस मामले में सम्पूर्ण परिस्थितियों से अभियुक्त का दोष साबित होता है और अन्य कोई भी मत संभव नहीं है ।

32. संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर, हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ठीक प्रकार विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी, जैसा कि अभिकथित है, फातिमा की हत्या के लिए जिम्मेदार है । यह भी स्पष्ट है कि हत्या लाभ के लिए अर्थात् मृत्यु के समय मृतका द्वारा पहने हुए आभूषणों को प्राप्त करने के लिए की गई है जो अपीलार्थी के कब्जे से बरामद किए गए हैं और वह इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सका है कि वे आभूषण उसके पास कैसे आए । यद्यपि आभूषणों की शनाख्त करने वाले साक्षियों को यह सुझाव दिया गया है कि जो आभूषण अपीलार्थी से बरामद किए गए हैं वे उसके परिवार की महिलाओं के हैं जबकि इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है । यह भी स्पष्ट हो गया है कि अपीलार्थी ने मृतका के घर में गंभीर अपराध कारित करने के आशय से आपराधिक अतिचार करके फातिमा की हत्या की है । अतः, हमारा यह निष्कर्ष है कि दंड संहिता की धारा 449, 392 और 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि वैध और कायम रखे जाने योग्य है । परिणामतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि करते हुए यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

महेश कुमार गौंड और अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(2014 की दांडिक अपील सं. 1337)

तारीख 30 सितंबर, 2019

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चन्देल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498क और 304ख – क्रूरता और दहेज मृत्यु – पति और सास-श्वसुर द्वारा धन की मांग – पति द्वारा घर के कामकाज को लेकर मृतका के साथ मारपीट – मृतका का अपने मायके से प्रसन्नतापूर्वक ससुराल जाना – धन की मांग के संबंध में साक्ष्य का अभाव – मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग या क्रूरता न किया जाना – मृतका से धन की मांग मकान के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु की गई थी न कि दहेज के रूप में, अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि मृतका की मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग की गई थी, ऐसी स्थिति में दहेज मृत्यु या क्रूरता के अपराध के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है और वे दोषमुक्ति के हकदार हैं ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका नीलू सिंह का पति इस मामले में अपीलार्थी-1 है । मृतका का श्वसुर अपीलार्थी-2 और उसकी सास अपीलार्थी-3 है । तारीख 5 जून, 2014 को नीलू सिंह ग्राम सरायसेत में अपने वैवाहिक गृह में फांसी पर लटकी हुई मृत पाई गई और यह घटना अपीलार्थी-1 के साथ हुए उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर घटित हुई है । अपीलार्थी-1 द्वारा मर्ग (प्रदर्श पी-6) दर्ज कराई गई । शव की मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी-2) तैयार की गई । डा. बलराम जयसवाल (अभि. सा. 8) द्वारा शव का शवपरीक्षण किया गया । इस संबंध में चिकित्सक की रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है । इस चिकित्सक की राय के अनुसार मृत्यु का कारण श्वासावरोध है और मृत्यु की प्रकृति मानव वध है । मृत्युसमीक्षा के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के

अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । मृत्युसमीक्षा के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) दर्ज कराई गई । अन्वेषण पूरा होने पर अभियुक्त-अपीलार्थियों और दोषमुक्त की गई अभियुक्त मनीषा गौंड (मृतका की ननद) के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 34 के साथ पठित धारा 498क और धारा 34 के साथ पठित धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए । अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 13 साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्त-अपीलार्थियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए जिनमें उन्होंने दोषी होने से इनकार किया । अभियुक्तों ने अपनी प्रतिरक्षा में दो पड़ोसियों अर्थात् नीरा बाई (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और रमेश (प्रतिरक्षा साक्षी 2) की परीक्षा कराई । विचारण के पश्चात् विचारण न्यायालय ने तारीख 8 दिसंबर, 2014 को दिए गए अपने निर्णय के अनुसार अभियुक्त मनीषा गौंड को दोषमुक्त कर दिया किन्तु शेष अभियुक्तों अर्थात् इस निर्णय के प्रथम पैरा में उल्लिखित अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 304ख और धारा 498क के अधीन दोषसिद्ध किया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विवादित नहीं है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई है । जैसा कि मृतका की माता श्रीमती रजनी (अभि. सा. 1), पिता संतोष (अभि. सा. 3) और उसकी नानी श्रीमती रामकली (अभि. सा. 2) द्वारा कथन किया गया है, दोनों परिवार श्रमिक कार्य में व्यस्त थे । विवाह के समय कोई भी मांग नहीं की गई थी । जैसा कि श्रीमती रजनी (अभि. सा. 1) द्वारा कथन किया गया है, विवाह के एक वर्ष पश्चात् जब मृतका अपने मायके आई थी तब उसने अपनी माता को यह बताया कि अपीलार्थी उसके साथ काम न करने और धन की मांग को लेकर झगड़ा

करता है किन्तु उन्होंने कभी भी इस संबंध में परिवार के साथ बैठकर बात नहीं की । उपरोक्त साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतका और उसका पति अर्थात् अपीलार्थी-1 अपने जीवन-निर्वाह के लिए कोरबा गया था और तब तक पति-पत्नी के बीच कोई विवाद नहीं था । मृतका के पिता संतोष (अभि. सा. 3) के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतका की शिकायत केवल काम करने से संबंधित थी । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मृतका का उसके मायके में आना जारी था और जब कभी उसे उसकी ससुराल वापस भेजा जाता था तब वह प्रसन्नतापूर्वक जाया करती थी । श्रीमती रजनी (अभि. सा. 1) और संतोष (अभि. सा. 3) ने यह भी कथन किया है कि घटना से एक दिन पहले मृतका की ओर से टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई थी कि अपीलार्थी उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं और पक्का मकान बनाने के लिए धन मांगने हेतु उसके साथ मारपीट कर रहे हैं । इन साक्षियों द्वारा ऐसा कोई भी स्पष्ट कथन नहीं किया गया है जिससे यह पता चलता हो कि अपीलार्थियों द्वारा ऐसी कोई मांग की गई थी । इसके अतिरिक्त यह भी प्रकट नहीं किया गया है कि मृतका से कितने धन की मांग की गई थी । यदि इन साक्षियों के कथनों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाए तब भी यह प्रतीत होता है कि धन की मांग मकान के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु की गई थी न कि दहेज के रूप में । अत: यह सिद्ध नहीं हुआ है कि मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता की गई थी या अभिकथित मांग के कारण उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके साथ क्रूरता की गई थी । अभिलेख पर इस संबंध में भी साक्ष्य है कि घटना से एक दिन पहले रात्रि में मृतका और उसकी सास के बीच खाना न बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था, इसके पश्चात्, प्रात:काल मृतका को मृत पाया गया । इस प्रकार, इस बात की संभावना है कि मृतका ने उक्त विवाद के कारण आत्महत्या की है । (पैरा 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2016] ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 5313 :
बैजनाथ बनाम **मध्य प्रदेश** ; 18

[2014] ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2555 :
मनोहर लाल बनाम **हरियाणा राज्य** ; 16

[2008] (2008) 1 एस. सी. सी. 202 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2189 :
बिस्वाजीत हैदर बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ; 17

[2004] (2004) 7 एस. सी. सी. 724 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1504 :
बलवंत सिंह और एक अन्य बनाम **पंजाब राज्य** । 16

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक अपील सं. 1337.

2014 के सेशन विचारण मामला सं. 37 में सेशन न्यायाधीश, कबीरधाम द्‌वारा तारीख 8 दिसंबर, 2014 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री अखिल मिश्रा और आनंद शुक्ला

प्रत्यर्थी की ओर से श्री स्मृति श्रीवास्तव (पैनल वकील)

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चन्देल – यह अपील 2014 के सेशन विचारण मामला सं. 37 में सेशन न्यायाधीश, कबीरधाम द्‌वारा तारीख 8 दिसंबर, 2014 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्‌वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को निम्न रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है :–

दोषसिद्धि	दंडादेश
दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 498क	2 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपए का जुर्माना जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास
दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 304ख	7 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपए का जुर्माना जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका नीलू सिंह का पति इस मामले में अपीलार्थी-1 है । मृतका का श्वसुर अपीलार्थी-2 और उसकी सास अपीलार्थी-3 है । तारीख 5 जून, 2014 को नीलू सिंह ग्राम सरायसेत में अपने वैवाहिक गृह में फांसी पर लटकी हुई मृत पाई गई और यह घटना अपीलार्थी-1 के साथ हुए उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर घटित हुई है । अपीलार्थी-1 द्वारा मर्ग (प्रदर्श पी-6) दर्ज कराई गई । शव की मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी-2) तैयार की गई । डा. बलराम जयसवाल (अभि. सा. 8) द्वारा शव का शवपरीक्षण किया गया । इस संबंध में चिकित्सक की रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है । इस चिकित्सक की राय के अनुसार मृत्यु का कारण श्वासावरोध है और मृत्यु की प्रकृति मानव वध है । मृत्युसमीक्षा के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । मृत्युसमीक्षा के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) दर्ज कराई गई । अन्वेषण पूरा होने पर अभियुक्त-अपीलार्थियों और दोषमुक्त की गई अभियुक्त मनीषा गौंड (मृतका की ननद) के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 34 के साथ पठित धारा 498क और धारा 34 के साथ पठित धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए ।

3. अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 13 साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्त-अपीलार्थियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए जिनमें उन्होंने दोषी होने से इनकार किया । अभियुक्तों ने अपनी प्रतिरक्षा में दो पड़ोसियों अर्थात् नीरा बाई (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और रमेश (प्रतिरक्षा साक्षी 2) की परीक्षा कराई ।

4. विचारण के पश्चात् विचारण न्यायालय ने तारीख 8 दिसंबर, 2014 को दिए गए अपने निर्णय के अनुसार अभियुक्त मनीषा गौंड को दोषमुक्त कर दिया किन्तु शेष अभियुक्तों अर्थात् इस निर्णय के प्रथम पैरा में उल्लिखित अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया । इस प्रकार यह अपील फाइल की गई है ।

5. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर किसी भी साक्ष्य के अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया है । यह दलील दी गई है कि दोषसिद्धि केवल श्रीमती रजनी गौंड (अभि. सा. 1), श्रीमती रामकली (अभि. सा. 2), संतोष गौंड (अभि. सा. 3), रामसुजान सिंह (अभि. सा. 4) और प्रदीप कुमार कौशिक (अभि. सा. 5) के कथनों के आधार पर की गई है । इन साक्षियों के कथनों में किसी भी ऐसे तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि मृतका के साथ उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग को लेकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था । मृतका की माता श्रीमती रजनी (अभि. सा. 1) और अन्य साक्षियों के स्वीकार किए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पक्की छत वाला मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अभिकथित रूप से धन की मांग की गई थी । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि मृतका को दहेज की मांग के लिए या अन्य किसी भी कारण से तंग किया गया था ।

6. इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश का समर्थन किया है ।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुना है और पूरी सावधानी से अभिलेख का परिशीलन किया है ।

8. यह विवादित नहीं है कि मृतका नीलू सिंह अपने विवाह के साथ 7 वर्ष के भीतर अपने वैवाहिक गृह में अप्राकृतिक स्थिति में मृत पाई गई है । मृतका की माता श्रीमती रजनी (अभि. सा. 1) ने न्यायालय के समक्ष अभिलिखित अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि विवाह के पश्चात् मृतका लगभग एक वर्ष सुखी रही । इसके पश्चात्, जब कभी वह अपने मायके आती थी, तब वह यह शिकायत करती थी कि उसकी ससुराल में कामकाज और दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती है । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि एक बार मृतका अपने मायके में लगभग 15 दिन तक रुकी थी । इसके पश्चात्,

अपीलार्थी उसे उसके वैवाहिक गृह में वापस ले आए । तीन महीने बाद मृतका ने अपनी माता को टेलीफोन पर यह बताया कि उसका पति और उसका श्वसुर पक्का मकान बनवाने के लिए उससे धन की मांग कर रहे हैं । अगले दिन, प्रातःकाल इस साक्षी को टेलीफोन द्वारा यह सूचना मिली कि मृतका की हालत गंभीर है । इस पर वे सभी मृतका की ससुराल गए किन्तु वहां पहुंचने तक मृतका की मृत्यु हो चुकी थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह तथ्य स्वीकार किया है कि जब मृतका अपीलार्थियों द्वारा दी जाने वाली परेशानी की शिकायत कर रही थी तब उनके द्वारा उस समय कोई भी सामाजिक सभा नहीं रखी गई । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतका का विवाह सौहार्द रूप से किया गया था और उस समय किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं था । दोनों परिवार विवाह संबंधी कामकाज में व्यस्त थे । मृतका और उसका पति अर्थात् अपीलार्थी-1 अपने जीवन-निर्वाह के लिए कोरबा गए थे और विवाह से वापस आ गए और इसके पश्चात् दोनों के बीच विवाद होने लगा । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना से तीन महीने पहले जब मृतका अपने मायके आई थी, तब उस समय अपीलार्थी-1 वहां आया और मृतका को यह कहकर वापस ले गया कि मकान बनवाना है । इस साक्षी ने पैरा 10 में यह स्वीकार किया है कि मृतका की सुसराल में, जो ग्राम सरायसेत में स्थित है, जो भी विवाद चल रहा था वह कामकाज से संबंधित था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के पश्चात् जब वे ग्राम सरायसेत पहुंचे तब उन्हें यह बताया गया कि खाना बनाने को लेकर रात्रि में झगड़ा हो गया था ।

9. श्रीमती रामकली (अभि. सा. 2) मृतका की नानी है जिसने यह कथन किया है कि जब कभी मृतका अपने मायके आया करती थी तब वह यह शिकायत किया करती थी कि उसे अपीलार्थियों द्वारा तंग किया जाता है । इस साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि अपीलार्थी मृतका को क्यों और कैसे तंग किया करते थे । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि ग्राम सरायसेत जाने पर उसे यह पता चला कि घटना से एक दिन पूर्व रात्रि में खाना बनाने को लेकर मृतका और उसकी सास के बीच विवाद हुआ था और उस रात खाना नहीं बना था ।

10. मृतका के पिता संतोष गौंड (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब कभी मृतका अपने मायके आया करती थी तब वह बताया करती थी कि वह काम पर नहीं जाती है, अतः अपीलार्थी उसके साथ झगड़ा किया करता है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसे मृतका की ओर से टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई थी कि अपीलार्थी मृतका के साथ इस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं कि वह अपने माता-पिता से पक्का मकान बनवाने के लिए पैसा लेकर आए । इस साक्षी ने प्रति-परीक्षा के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि विवाह के पश्चात् मृतका त्यौहारों के अवसर पर अपने मायके आया करती थी और अपने पति के साथ अपनी ससुराल प्रसन्नतापूर्वक जाया करती थी । मृतका ने कभी भी अपनी ससुराल जाने पर आपत्ति नहीं की और वह प्रसन्नतापूर्वक वहां जाया करती थी ।

11. रामसुजान सिंह (अभि. सा. 4) मृतका का नातेदार है जिसने यह कथन किया है कि उसे रात्रि में मृतका से टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें मृतका ने उससे यह कहा कि वह अपने माता-पिता से बात करना चाहती है । इसके पश्चात्, अभि. सा. 4 ने श्रीमती रजनी अर्थात् मृतका की माता की बात मृतका से कराए किंतु इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मां और पुत्री के बीच क्या बात हुई, यह उसे मालूम नहीं है ।

12. मृतका के पिता संतोष गौंड (अभि. सा. 3) के पड़ोसी प्रदीप कुमार कौशिक (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि वह मृतका के पिता के घर पर बैठा हुआ था । उस समय रामसुजान सिंह (अभि. सा. 4) मृतका के पिता के घर आया और मृतका की माता श्रीमती रजनी (अभि. सा. 1) को अपना मोबाइल फोन दिया । उस समय मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन स्थिति में था । मृतका फोन पर यह कह रही थी कि अपीलार्थी मकान बनवाने के लिए धन की मांग को लेकर उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं । किंतु जैसा कि रामसुजान सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा कथन किया गया है, मृतका की ओर से टेलीफोन कॉल प्राप्त करने पर उसने मृतका की माता श्रीमती रजनी (अभि. सा. 1) को अपने घर बुलाया और उसने मृतका की बात उसकी माता श्रीमती रजनी से कराई ।

13. ललित धुर्वे (अभि. सा. 7) वह साक्षी है जिसके समक्ष मृत्युसमीक्षा की कार्यवाही की गई थी । डा. बलराम जयसवाल (अभि. सा. 8) ने मृतका के शव का शवपरीक्षण किया है । इस साक्षी ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) में यह राय व्यक्त की है कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध है और यह मृत्यु मानव वध प्रकृति की है । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतका के शरीर पर संघर्ष किए जाने का कोई चिह्न या क्षति दिखाई नहीं दिया है ।

14. पुलिस निरीक्षक एस. आर. पथारे (अभि. सा. 10) ने मर्ग संसूचना (प्रदर्श पी-6) अभिलिखित की है और स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-3) तैयार किया है । पटवारी भागबली (अभि. सा. 11) ने स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-10) तैयार किया है । उपखंड अधिकारी सचिन देव शुक्ला (अभि. सा. 12) ने प्रश्नगत अपराध के संबंध में अन्वेषण किया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए हैं । तहसीलदार टी. एफ. ठाकुर (अभि. सा. 13) ने मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी-2) तैयार की है । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृत्युसमीक्षा तैयार किए जाने के दौरान साक्षियों ने उसे यह बताया था कि रात्रि में पति और पत्नी के बीच खाना न बनाने के कारण झगड़ा हो गया था और प्रातःकाल लगभग 7.30 बजे मृतका साड़ी से फांसी पर लटकी हुई पाई गई । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी-2) से संबंधित कार्यवाही के दौरान मृतका की माता और पिता दोनों वहां मौजूद थे किंतु उन्होंने उससे कोई भी शिकायत नहीं की ।

15. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की संवीक्षा करने से पूर्व इस मुद्दे से संबंधित उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत का परिशीलन करना समुचित होगा ।

16. **मनोहर लाल** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मत व्यक्त किया गया है :-

[1] ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 2555.

"19. दंड संहिता की धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख में प्रयोग की गई "मृत्यु के कुछ पूर्व" अभिव्यक्ति पर इस न्यायालय द्वारा हीरा लाल और अन्य **बनाम** राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली) [(2003) 8 एस. सी. सी. 80 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2865] वाले मामले में विचार किया गया है । इस संबंध में न्यायालय का मत निम्न प्रकार है –

"8. दहेज मृत्यु के संबंध में धारा 304ख निम्न प्रकार है –

304ख. दहेज मृत्यु – (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है ।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।"

इस उपबंध को वहां लागू किया जाता है जहां महिला की मृत्यु दाह क्षतियों के कारण या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा विवाह के सात वर्षों के भीतर हो जाती है और यह दर्शित होता है कि मृतका के साथ उसके पति या नातेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था या उसे तंग किया गया था या उससे दहेज की मांग की गई थी ।

दंड संहिता की धारा 304ख लागू किए जाने के लिए निम्न संघटक आवश्यक हैं :-

(i) स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होनी चाहिए,

(ii) ऐसी मृत्यु उस स्त्री के विवाह के 7 वर्ष के भीतर होनी चाहिए,

(iii) उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने उसके साथ क्रूरता की हो,

(iv) ऐसी क्रूरता दहेज की किसी मांग के लिए की गई हो,

(v) ऐसी क्रूरता उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व की गई हो ।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख भी वर्तमान मामले में सुसंगत है । दंड संहिता की धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख, जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, दोनों ही धाराएं उपरोक्त अधिनियमों में दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 43) द्वारा अंत:स्थापित की गई हैं । ताकि दहेज मृत्यु के अपराध को नियंत्रित किया जा सके । साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख निम्न प्रकार है :-

"113ख. – **दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा** – जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'दहेज मृत्यु' का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304ख में है ।"

इन दो उपबंधों को अंत:स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर "दहेज मृत्यु और विधि सुधार" के विषय से संबंधित भारतीय विधि

आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई तारीख 10 अगस्त, 1998 की 21वीं रिपोर्ट में पर्याप्त रूप से विश्लेषण किया गया है । पूर्ववर्ती विधि में दहेज मृत्यु को लेकर साक्ष्य जुटाने में आने वाली अड़चनों को दृष्टिगत करते हुए विधान मंडल ने कतिपय आवश्यक सबूत प्राप्त होने पर दहेज मृत्यु की उपधारणा से संबंधित उपबंधों को अंत:स्थापित करना उचित समझा । इस पृष्ठभूमि में उपधारणा करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख अंत:स्थापित की गई है । दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन "दहेज मृत्यु" की परिभाषा और साक्ष्य अधिनियम की उपधारणात्मक धारा 113ख के अनुसार दोनों में महत्वपूर्ण संघटक यह है कि स्त्री के साथ "उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व" दहेज या दहेज से संबंधित मांग को लेकर अवश्य ही क्रूरता की गई हो या उसे तंग किया गया हो । साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा विधि की उपधारणा है । इस धारा में उल्लिखित आवश्यक सबूतों के मिलने पर न्यायालय के लिए यह बाध्यकर हो जाता है कि वह यह उपधारित करे कि अभियुक्त ने दहेज मृत्यु कारित की है । यह उपधारणा निम्न आवश्यक सबूतों के आधार पर की जाएगी :–

> "(1) न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या अभियुक्त ने स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है या नहीं । (इसका यह अर्थ हुआ कि उपधारणा केवल तब की जा सकती है जब अभियुक्त का विचारण दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन किया जा रहा हो) ।
>
> (2) स्त्री के साथ उसके पति या नातेदारों द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया गया है या उसे तंग किया गया है या नहीं ।
>
> (3) ऐसी क्रूरता करने या तंग करने का संबंध दहेज की किसी मांग के साथ है या नहीं ।
>
> (4) ऐसी क्रूरता या तंग करने का कृत्य मृत्यु के कुछ पूर्व किया गया था या नहीं ।"

इस न्यायालय द्वारा ऐसा ही मत **बलवंत सिंह और एक अन्य**

बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में व्यक्त किया गया है । उक्त मामले में इस न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है :-

"10. इस न्यायालय के इन विनिश्चयों और अन्य विनिश्चयों में सन्निकटता के परीक्षण को अधिकथित किया गया है । इस न्यायालय के अनेक विनिश्चयों में यह दोहराया गया है कि "कुछ पूर्व" ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे अपराध का संबंध अभियुक्त के साथ बनता है इसलिए इसका प्रयोग प्रत्येक मामले में उसके तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए किया जाना चाहिए । तथ्यों से यह दर्शित होना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा की गई क्रूरता और दहेज की मांग तथा आहत की मृत्यु के बीच सामीप्य है ।

20. वर्तमान मामले में अभि. सा. 1 के कथन से यह प्रतीत होता है कि मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है । स्वीकृतत:, मृतका की मृत्यु जलने से अर्थात् असामान्य परिस्थितियों में हुई है । हमें इस पर विचार करना होगा कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत करने पर, क्या शेष दो संघटकों का समाधान हो गया है या नहीं ।"

17. **बिस्वाजीत हैदर** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[2] वाले मामले के पैरा 13 और 14 में निम्न अभिनिर्धारित किया गया है :-

"13. यदि दंड संहिता की धारा 304ख को साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के साथ पढ़ा जाए तब कुल मिलाकर यह अर्थ निकलता है कि यदि किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर उसके वैवाहिक गृह में होती है और साथ ही दहेज की मांग को लेकर उस विवाहित स्त्री के साथ उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता कारित किए जाने या उसे तंग किए जाने का अभिकथन भी किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में मामला पूरी तरह "दहेज मृत्यु" के अधीन आएगा और पति तथा उसके नातेदारों के विरुद्ध उपधारणा की जाएगी ।

---

[1] (2004) 7 एस. सी. सी. 724 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1504.

[2] (2008) 1 एस. सी. सी. 202 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू.

14. इस मामले में हमारा यह निष्कर्ष है कि व्यावहारिक रूप से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि दहेज की मांग को लेकर कोई क्रूरता की गई थी या किसी प्रकार तंग किया गया था । इस संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला गया । साक्ष्य की ऐसी कमी अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है । मात्र क्रूरता कारित किए जाने और तंग किए जाने का साक्ष्य, दंड संहिता की धारा 304ख के लागू किए जाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । इसके अतिरिक्त यह भी दर्शित होना चाहिए कि ऐसी क्रूरता का व्यवहार या तंग किए जाने का कृत्य दहेज की मांग को लेकर था । [कंची कोमूरम्मा **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य – (1995) 4 सप्ली. एस. सी. सी. 118 वाला मामला देखिए] । चूंकि अभियोजन पक्ष इस पहलू को साबित करने में असफल रहा है, इसलिए अभिलिखित दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती ।"

18. **बैजनाथ** बनाम **मध्य प्रदेश**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है :–

"35. इस न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 304ख और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख का अवलंब लेते हुए प्राय: यह मत व्यक्त किया है कि उपधारणा करने का अर्थ यह है कि अभियोजन पक्ष को पहले दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के संघटकों पर विचार करना है जैसा कि शिंदो **उर्फ** सविन्दर कौर और अन्य **बनाम** पंजाब राज्य [(2011) 11 एस. सी. सी. 517 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. डब्ल्यू. 6556] और राजीव कुमार **बनाम** हरियाणा राज्य [(2013) 16 एस. सी. सी. 640 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 227] वाले मामलों में व्यक्त किया गया है । बाद वाले विनिश्चय में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दहेज मृत्यु के आवश्यक संघटक इस प्रकार हैं कि अभियुक्त ने स्त्री की मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग को लेकर उसके साथ

[1] ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 5313.

क्रूरता कारित की हो और इस संघटक को युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना चाहिए और केवल तब ही न्यायालय यह उपधारित करेगा कि अभियुक्त ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के अधीन दहेज मृत्यु का अपराध कारित किया है । दंड संहिता की धारा 304-ख के उपबंध लागू किए जाने के संबंध में इस न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चयों को अनुमोदन के साथ निर्दिष्ट किया गया है जो इस प्रकार हैं -- के. प्रेरणा एस. राव **बनाम** यडला श्रीनिवास राव [(2003) 1 एस. सी. सी. 2017 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 11] । दंड संहिता की धारा 304-ख के मुख्य संघटकों में एक संघटक अर्थात् "मृत्यु के कुछ पूर्व" और दूसरा संघटक अर्थात् "दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता की गई थी और तंग किया गया था" अवश्य ही सिद्ध किया जाना चाहिए ।"

19. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए अब मैं वर्तमान मामले में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करूंगा ।

20. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विवादित नहीं है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई है । जैसा कि मृतका की माता श्रीमती रजनी (अभि. सा. 1), पिता संतोष (अभि. सा. 3) और उसकी नानी श्रीमती रामकली (अभि. सा. 2) द्वारा कथन किया गया है, दोनों परिवार श्रमिक कार्य में व्यस्त थे । विवाह के समय कोई भी मांग नहीं की गई थी । जैसा कि श्रीमती रजनी (अभि. सा. 1) द्वारा कथन किया गया है, विवाह के एक वर्ष पश्चात् जब मृतका अपने मायके आई थी तब उसने अपनी माता को यह बताया कि अपीलार्थी उसके साथ काम करने और धन की मांग को लेकर झगड़ा करता है किन्तु उन्होंने कभी भी इस संबंध में परिवार के साथ बैठकर बात नहीं की । उपरोक्त साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतका और उसका पति अर्थात् अपीलार्थी-1 अपने जीवन-निर्वाह के लिए कोरबा गया था और तब तक पति-पत्नी के बीच कोई विवाद नहीं था । मृतका के पिता संतोष (अभि. सा. 3) के कथन से यह स्पष्ट हो

जाता है कि मृतका की शिकायत केवल काम करने से संबंधित थी । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मृतका का उसके मायके में आना जारी था और जब कभी उसे उसकी ससुराल वापस भेजा जाता था तब वह प्रसन्नतापूर्वक जाया करती थी । श्रीमती रजनी (अभि. सा. 1) और संतोष (अभि. सा. 3) ने यह भी कथन किया है कि घटना से एक दिन पहले मृतका की ओर से टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई थी कि अपीलार्थी उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं और पक्का मकान बनाने के लिए धन मांगने हेतु उसके साथ मारपीट कर रहे हैं । इन साक्षियों द्वारा ऐसा कोई भी स्पष्ट कथन नहीं किया गया है जिससे यह पता चलता हो कि अपीलार्थियों द्वारा ऐसी कोई मांग की गई थी । इसके अतिरिक्त यह भी प्रकट नहीं किया गया है कि मृतका से कितने धन की मांग की गई थी । यदि इन साक्षियों के कथनों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाए तब भी यह प्रतीत होता है कि धन की मांग मकान के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु की गई थी न कि दहेज के रूप में । अत: यह सिद्ध नहीं हुआ है कि मृतका के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता की गई थी या अभिकथित मांग के कारण उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके साथ क्रूरता की गई थी । अभिलेख पर इस संबंध में भी साक्ष्य है कि घटना से एक दिन पहले रात्रि में मृतका और उसकी सास के बीच खाना न बनाने को लेकर झगड़ा हुआ था, इसके पश्चात्, प्रात:काल मृतका को मृत पाया गया । इस प्रकार, इस बात की संभावना है कि मृतका ने उक्त विवाद के कारण आत्महत्या की है ।

21. परिणामत: अपील मंजूर की जाती है । दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

22. निचले न्यायालय को उसका अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए तत्काल भेजा जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

प्रदीप मोटर्स हायर परचेज कारपोरेशन (मैसर्स) और अन्य

बनाम

जगदीश राज और अन्य

[2019 का दांडिक (प्रकीर्ण) आवेदन सं. 636]

तारीख 4 फरवरी, 2020

न्यायमूर्ति सिंधू शर्मा

रणबीर दंड संहिता, 1989 (सम्वत् 1989 का 12) – धारा 341/383 [सपठित जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 (सम्वत् 1989 का 23) की धारा 561क] – प्रथम इत्तला रिपोर्ट और पारिणामिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने हेतु दांडिक प्रकीर्ण आवेदन – पक्षकारों के बीच किसी यान के क्रय के संबंध में करार – विवाद उत्पन्न होने के पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निदेश द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना – पक्षकारों द्वारा स्वेच्छया और सौहार्दपूर्वक तथा बिना किसी प्रपीड़न के विवाद का समझौता किया जाना – दोषसिद्धि की संभावना अति निम्न होना – अभिकथित आरोप का जघन्य अपराधों या मानसिक दुराचारिता वाले अपराधों की श्रेणी में न आना – दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखने से पक्षकारों के प्रति घोर अन्याय की आशंका है अतः, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियां अभिखंडित की जानी चाहिएं ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं – आवेदकों ने प्रत्यर्थियों से एक यान का क्रय करने हेतु करार किया था जिसके लिए अग्रिम संदाय के रूप में 5,00,000/- रुपए की राशि का संदाय किया गया था । प्रत्यर्थियों ने इस संदाय से संबंधित एक पावती भी जारी की है । ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो गया जिसके परिणामस्वरूप जम्मू-कशमीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 की धारा 156(3) के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए एक आवेदन फाइल किया गया । उक्त आवेदन

पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् उप न्यायाधीश (न्यायिक मजिस्ट्रेट), जम्मू ने अपने तारीख 25 अक्तूबर, 2019 के आदेश द्वारा पुलिस थाना नौवाबाद के थाना अधिकारी को विधि के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने और इस मामले का अन्वेषण करने का निदेश दिया था । इस निदेश के अनुसरण में पुलिस थाना नौवाबाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 341/383 के अधीन वर्ष 2019 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 158 दर्ज की गई है और उसके संबंध में अन्वेषण को आरंभ किया गया है । इसके पश्चात् पक्षकारों ने सौहार्दपूर्वक मामले का समाधान कर लिया और एक समझौता विलेख भी तैयार किया । उच्च न्यायालय ने आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में भी आवेदकों के विरुद्ध आरोपित अपराध जघन्य प्रकृति या मानसिक दुराचारिता से संबंधित अर्थात् हत्या, बलात्संग, डकैती आदि जैसे अपराध नहीं हैं इसलिए अभिकथनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि पक्षकारों ने मामले का स्वयं ही समाधान कर लिया है और उन्होंने शांति और सामंजस्यपूर्वक जीवनयापन करने का विनिश्चय किया है और परिवादी ने स्वयं विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसे ऊपर कथित की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित किए जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित किया जाता है । परस्पर समझौते को ध्यान में रखते हुए इस मामले में दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत अल्प है इसलिए दांडिक कार्यवाहियां जारी रखने से पक्षकारों के प्रति अन्याय होगा क्योंकि पक्षकार दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए उत्सुक नहीं हैं । (पैरा 7 और 8)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] (2014) 6 एस. सी. सी. 466 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1839 = 2014 क्रिमिनल ला जर्नल 2436 (एस. सी.) :
नरेन्द्र सिंह और अन्य बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** । 5

मूल (दांडिक) अधिकारिता : 2019 का दांडिक (प्रकीर्ण) आवेदन सं. 636.

रणबीर दंड संहिता, 1989 (सम्वत् 1989 का 12) विद्वान् उप न्यायाधीश (न्यायिक मजिस्ट्रेट), जम्मू के तारीख 25 अक्तूबर, 2019 के आदेश को, जिसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर करने का निदेश दिया गया है, अभिखंडित करने हेतु जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989 (सम्वत् 1989 का 23) की धारा 561क के अधीन दांडिक प्रक्रीर्ण आवेदन ।

आवेदकों की ओर से श्री अनिल सेठी

प्रत्यर्थियों की ओर से अपर महा अटॉर्नी

न्यायमूर्ति सिंधू शर्मा – याची ने विद्वान् उप न्यायाधीश (न्यायिक मजिस्ट्रेट), जम्मू के तारीख 25 अक्तूबर, 2019 के आदेश और उसके विरुद्ध दर्ज किए गए परिवाद को अभिखंडित करने के लिए जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561क के अधीन इस न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिया है ।

2. इस याचिका के तथ्यों को संक्षेप में नीचे कथित किया गया है और ये तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकों ने प्रत्यर्थियों से एक यान का क्रय करने हेतु करार किया था जिसके लिए अग्रिम संदाय के रूप में 5,00,000/- रुपए की राशि का संदाय किया गया था । प्रत्यर्थियों ने इस संदाय से संबंधित एक पावती भी जारी की है । ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पश्चात् पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हो गया जिसके परिणामस्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए एक आवेदन फाइल किया गया । उक्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् उप न्यायाधीश (न्यायिक मजिस्ट्रेट), जम्मू ने अपने तारीख 25 अक्तूबर, 2019 के आदेश द्वारा पुलिस थाना नौवाबाद के थाना अधिकारी को विधि के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने और इस मामले में अन्वेषण करने का निदेश दिया था । इस निदेश के अनुसरण में पुलिस थाना नौवाबाद में रणबीर दंड संहिता, 1989 की धारा 341/383 के

अधीन वर्ष 2019 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 158 दर्ज की गई है और उसके संबंध में अन्वेषण आरंभ किया गया है ।

3. यह दलील दी गई है कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्वक अपने मामले का समाधान कर लिया है और उन्होंने परस्पर एक समझौता भी किया है और उक्त समझौता विलेख के निबंधनों के अनुसार वे इस मामले में आगे और कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं ।

4. पक्षकार व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और उन्होंने समझौते की अंतर्वस्तु को अभिनिश्चित किया है और इस संबंध में उनके कथनों को भी लेखबद्ध किया गया है । उन्होंने यह कथन किया है कि उन्होंने स्वेच्छा से और बिना किसी बाहरी दबाव या प्रपीड़न के अपने विवाद का सौहार्दपूर्वक समाधान कर लिया है । परिवादी ने यह कथन किया है कि यदि उसके द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को, जिसके अंतर्गत विद्वान् उप न्यायाधीश (न्यायिक मजिस्ट्रेट) जम्मू के न्यायालय के समक्ष 'जगदीश राज **बनाम** मैसर्स प्रदीप मोटर हायर प्रचेज कारपोरेशन और अन्य' शीर्षक वाला मामला लंबित है, और साथ ही उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की पारिणामिक कार्यवाहियों को अभिखंडित कर दिया जाता है तो उसे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है ।

5. इसी प्रकार के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नरेन्द्र सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में विचार किया था और कार्यवाहियों को अपास्त करने हेतु समझौता स्वीकार करने अथवा उस समझौते को स्वीकार करने से इनकार करते हुए दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखने का निदेश दिए जाने से संबंधित दिशा-निर्देश विरचित किए थे । उक्त निर्णय के पैरा सं. 29.3 और 29.4 को नीचे उद्धृत किया गया है :-

> "29.3 ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे अभियोजनों के लिए नहीं किया जा सकता जिनमें कोई जघन्य अपराध, मानसिक दुराचारिता

---

[1] (2014) 6 एस. सी. सी. 466 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1839 = 2014 क्रिमिनल ला जर्नल 2436 (एस. सी.).

के गंभीर अपराध या हत्या, बलात्संग, डकैती आदि जैसे अपराध अंतर्वलित हों । ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं हैं और ऐसे अपराधों का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है । इसी प्रकार विशेष कानूनों जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से किए गए अपराधों या किसी लोक सेवक द्वारा अपने पद की हैसियत में कार्य करते हुए किए गए अपराधों को पीड़ित और अपराध करने वाले व्यक्ति के बीच हुए मात्र समझौते के आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता ।

29.4 दूसरी ओर ऐसे आपराधिक मामले जिनमें अभिकथित अपराध मुख्य रूप से और मूलत: सिविल प्रकृति का है और ऐसे अपराध जो किन्हीं वाणिज्यिक संव्यवहारों से उद्भूत होते हैं या विवाह संबंधी नातेदारी से उद्भूत होते हैं या जो कुटुंब विवादों से संबंधित हैं, में कार्यवाहियों को उस समय अपास्त किया जाना चाहिए जब पक्षकारों ने संपूर्ण विवादों का स्वयं ही समाधान कर लिया हो ।"

6. अत: ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें जघन्य और मानसिक दुराचारिता अंतर्वलित हो जैसे कि हत्या, बलात्संग, डकैती आदि अपराध ।

7. वर्तमान मामले में भी आवेदकों के विरुद्ध आरोपित अपराध जघन्य प्रकृति या मानसिक दुराचारिता से संबंधित अर्थात् हत्या, बलात्संग, डकैती आदि जैसे अपराध नहीं हैं इसलिए अभिकथनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि पक्षकारों ने मामले का स्वयं ही समाधान कर लिया है और उन्होंने शांति और सामंजस्यपूर्वक जीवनयापन करने का विनिश्चय किया है और परिवादी ने स्वयं विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसे ऊपर कथित की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित किए जाने के संबंध में कोई आक्षेप नहीं है, उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित किया जाता है ।

8. परस्पर समझौते को ध्यान में रखते हुए इस मामले में दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत अल्प है इसलिए दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखने से पक्षकारों के प्रति अन्याय होगा क्योंकि पक्षकार दांडिक कार्यवाहियां जारी रखने के लिए उत्सुक नहीं हैं ।

9. पूर्वोक्त चर्चा और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए इस याचिका को मंजूर किया जाता है । तारीख 25 अक्तूबर, 2019 के आदेश और उसके आधार पर दर्ज की गई 2019 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 158 को अभिखंडित किया जाता है ।

10. इस प्रकार इस दांडिक प्रकीर्ण आवेदन का भी निपटारा किया जाता है ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

पु.

(2020) 1 दा. नि. प. 849　　　बम्बई

एक्स

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(2019 की रिट याचिका सं. 12493)

तारीख 10 दिसंबर, 2019

न्यायमूर्ति के. के. ततेड़ और न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) – धारा 5 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और 506] – गर्भ के चिकित्सीय समापन हेतु बलात्संग की आहत अप्राप्तवय कन्या द्वारा रिट याचिका – अनुज्ञा – 20 सप्ताह से अधिक अवधि का गर्भ – गर्भ के बनाए रखने से आहत को शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचने

की आशंका – बलात्संग के परिणामस्वरूप गर्भवती हुई आहत के लिए गर्भ का बना रहना उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकर है अतः भ्रूण को डी. एन. ए. परीक्षण की पुष्टि के लिए परिरक्षित किए जाने की शर्त के साथ गर्भ के चिकित्सीय समापन की अनुज्ञा दी जा सकती है ।

इस मामले में 12 वर्ष की अप्राप्तवय कन्या द्वारा उसके पिता के माध्यम से ससून अस्पताल में गर्भ का चिकित्सीय समापन कराने के लिए अनुज्ञा हेतु रिट याचिका फाइल की गई है । याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि आहत के पिता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और 506 तथा पॉक्सो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6, 8 और 12 के अधीन पुलिस थाना वई में दर्ज कराई है । आहत के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्संग किया गया था जो आहत का नातेदार है और निकट ही रहता है । इस लैंगिक अपराध के परिणामस्वरूप आहत गर्भवती हो गई । आहत द्वारा उसके उदर में पीड़ा होने तथा जी मचलाने की शिकायत किए जाने पर उसके परिजनों ने चिकित्सक से संपर्क किया । उसकी चिकित्सा परीक्षा कराने से यह उपदर्शित हुआ कि उसको साढ़े पांच महीने से अधिक अवधि का गर्भ है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 21 नवंबर, 2019 को दर्ज कराई गई । चूंकि आहत का गर्भ 20 सप्ताह से अधिक अवधि का हो गया था अतः गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "गर्भ अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन गर्भ समापन के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु याची ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के माध्यम से आवेदन किया है । रिट याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – गर्भ अधिनियम की धारा 3(2)(ख) के अधीन गर्भ की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह विहित की गई है । इस धारा के अधीन उन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया गया है जिनके अन्तर्गत गर्भ का समापन किया जा सकता है । धारा 3(2)(ख)(i) में उल्लिखित एक परिस्थिति इस प्रकार है कि गर्भ का समापन केवल तब अनुज्ञात किया जा सकता है जब इसके बनाए रखने में गर्भवती महिला के जीवन का

जोखिम सम्मिलित हो या उसे शारीरिक अथवा मानसिक क्षति पहुंचने की आशंका हो । इस उपधारा के स्पष्टीकरण 1 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि जब बलात्संग द्वारा गर्भ धारण किया जाता है, तब यह माना जाता है कि गर्भवती महिला को गंभीर रूप से मानसिक क्षति कारित होगी । वर्तमान मामले में यह परिस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि गर्भ के बनाए रखने से याची को मानसिक रूप से घोर क्षति कारित होगी । इसके अतिरिक्त, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि आहत की आयु मात्र 12 वर्ष है जिससे उसके जीवन को अंतर्निहित रूप से खतरा है । वर्तमान मामले में मात्र यह दुविधा दिखाई देती है कि गर्भ की वैधानिक अवधि अर्थात् 20 सप्ताह का समय 7 सप्ताह पूर्व ही पूरा हो चुका है । याची के गर्भ की अवधि का 28वां सप्ताह आरंभ हो चुका है, अत: गर्भ अधिनियम के अधीन ऐसे मामले में गर्भ का चिकित्सीय समापन करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती । खंड न्यायपीठ द्वारा रिट याचिका सं. 10835/2018, 9748/2018 और मूल वाद रिट याचिका सं. 3172/2018 में उपरोक्त निर्णयों में उल्लिखित मताभिव्यक्तियों, विनिश्चयाधार, सिद्धांत और निदेशों को दृष्टिगत करते हुए हमारी यह सुविचारित राय है कि याची को चिकित्सीय गर्भ समापन कराने के लिए अनुज्ञात करना ही होगा । समिति की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि गर्भ समापन में उसके असफल होने और अनावश्यक शल्य-चिकित्सा किए जाने जैसा घोर जोखिम है । ये सभी आशंकाएं आहत और उसके परिवार को स्पष्ट कर दी गई हैं और वे इस जोखिम को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं । उपरोक्त चर्चा पर विचार करते हुए आदेश पारित किया जाता है – (i) याची को ससून अस्पताल, पुणे द्वारा तारीख 6 दिसंबर, 2019 को जारी समिति की रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सीय गर्भ समापन के लिए अनुज्ञात किया जाता है, (ii) ससून अस्पताल के डीन यह सुनिश्चित करेंगे कि समापन की यह प्रक्रिया ऐसे स्थान पर की गई है जिससे गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 2003 की सभी अपेक्षाओं का समाधान होता है और यह प्रक्रिया ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा पूरी की जाएगी जो उक्त नियमों के अधीन अधिकथित शर्तों को पूरा करता हो, (iii) भ्रूण के रक्त और ऊतक के नमूनों को डी. एन. ए. और अन्य परीक्षणों सहित

सभी आवश्यक चिकित्सीय परहक्षणों के प्रयोजनार्थ परिरक्षित किया जाएगा । इस मामले का अन्वेषण करने वाले अन्वेषण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सभी नमूने जांच के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं और इन्हें इस अपराध के विचारण के प्रयोजनार्थ परिरक्षित रखा जाएगा, (iv) यदि जीवित बच्चा जन्म लेता है तब वह चिकित्सा व्यवसायी जिसने गर्भ समापन की प्रक्रिया की है, यह सुनिश्चित करेगा कि सभी चिकित्सीय सुविधाएं उस बच्चे के जीवन को बचाने के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, (v) यदि जीवित बच्चा जन्म लेता है और यदि याची और उसके माता-पिता उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के इच्छुक नहीं हैं या वे जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में नहीं हैं तब राज्य और उसके अभिकरण को ऐसे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी, (vi) पूर्वोक्त शब्दों में न्यायादेश आत्यंतिक किया जाता है, (vii) सभी संबद्ध पक्षकारों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर ही कार्यवाही करनी है । विद्वान् अपर सरकारी प्लीडर को यह निदेश दिया जाता है कि वे वर्तमान मामले में के अन्वेषण अधिकारी को इस आदेश की प्रमाणित प्रति भेजें । (पैरा 11, 19, 20 और 22)

रिट अधिकारिता : 2019 की रिट याचिका सं. 12493.

संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

रिट याची की ओर से सर्वश्री एम. के. कोचरेकर, कस्तूरी गदशी, विशाल कोलेकर, प्रंडय्या जोगदंड और रनबीर काले

प्रत्यर्थी की ओर से श्री वाई. एस. कोछरे (अपर सरकारी प्लीडर)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति के. के. ततेड़ ने दिया ।

न्या. ततेड़ – पक्षकारों की सम्मति से तत्काल कार्यवाही हेतु आदेश किया जाता है ।

2. यह याचिका 12 वर्ष की अप्राप्तवय कन्या द्वारा उसके पिता के माध्यम से ससून अस्पताल में गर्भ का चिकित्सीय समापन कराने के लिए अनुज्ञा हेतु फाइल की गई है ।

3. याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि आहत के पिता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और 506 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6, 8 और 12 के अधीन पुलिस थाना वाई में दर्ज कराई है । आहत के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्संग किया गया था जो आहत का नातेदार है और निकट ही रहता है । इस लैंगिक अपराध के परिणामस्वरूप आहत गर्भवती हो गई । आहत द्वारा उसके उदर में पीड़ा होने तथा जी मचलाने की शिकायत किए जाने पर उसके परिजनों ने चिकित्सक से संपर्क किया । उसकी चिकित्सा परीक्षा कराने से यह उपदर्शित हुआ कि उसको साढ़े पांच महीने से अधिक अवधि का गर्भ है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 21 नवंबर, 2019 को दर्ज कराई गई । चूंकि आहत का गर्भ 20 सप्ताह से अधिक अवधि का हो गया था अत:, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1971 का अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) के अधीन गर्भ समापन के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु याची ने इस न्यायालय के समक्ष याचिका फाइल की है ।

4. हमने याची की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री कोचरेकर और प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की ओर से विद्वान् अपर सरकारी प्लीडर श्री कोछरे को सुना है ।

5. याची के विद्वान् काउंसेल ने माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय की कई न्यायपीठों द्वारा पारित किए गए उन निर्णयों का अवलंब लिया है जिनमें गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के अधीन उपबंधित 20 सप्ताह की कानूनी अवधि के पश्चात् गर्भ समापन की मंजूरी जारी करने पर विचार किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि आहत जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रही है उसका कारण उसके साथ हुए बलात्संग के फलस्वरूप उसका गर्भवती होना है और इससे आहत का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है । इसके अतिरिक्त, आहत की नाजुक आयु को देखते हुए आहत के गर्भ का बने रहना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकर है ।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय की विभिन्न खंड न्यायपीठों द्वारा जारी किए गए अनेक निदेशों पर विचार करने पर हमने ससून अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड को आहत के स्वास्थ्य और गर्भ समापन की संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित जोखिम को स्पष्ट करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया था ।

7. आज हमारे समक्ष मुहरबंद लिफाफे में समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । यह लिफाफा न्यायालय में खोला गया है । समिति की रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

> "समिति ने तारीख 6 दिसंबर, 2019 को 2019 की याचिका सं. 12493 में की कन्या (अभियोक्त्री) की परीक्षा कराई और आवश्यक जांच की गई । चिकित्सा परीक्षा तथा जांच से यह उपदर्शित होता है कि तारीख 6 दिसंबर, 2019 को कराई सोनोग्राफी के अनुसार कन्या को 43 सप्ताह और 4 दिन का गर्भ था । यदि यह गर्भ बना रहता है, तब इससे रोगी को मानसिक और शारीरिक हानि हो सकती है । समिति की यह राय है कि माननीय उच्च न्यायालय की अनुज्ञा के साथ इस गर्भ का समापन किया जा सकता है । तथापि, इस प्रक्रम पर गर्भ का समापन करने से बड़ा जोखिम सामने आ सकता है और ऐसा करते समय सिजेरियन शल्य चिकित्सा की आवश्यकता भी पड़ सकती है और अत्यधिक रक्तस्राव भी हो सकता है और ये सभी संभावनाएं कन्या और उसके परिजनों को स्पष्ट की गई हैं और वे जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं ।"

8. प्रसूति विशेषज्ञ डा. रामकेले की यह राय है कि गर्भ की अवधि 23 सप्ताह 4 दिन है जिसमें कोई भी विसंगति नहीं है । बोर्ड के सदस्यों ने यह राय व्यक्त की है कि इस न्यायालय की अनुज्ञा द्वारा गर्भ का समापन किया जा सकता है ।

9. इस पृष्ठभूमि में माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अधिकथित की गई विधि के आलोक में इस विषय से संबंधित अनेक पहलुओं पर विचार किया है । चूंकि यह एक

महत्वपूर्ण और असाधारण मामला है इसलिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होगा ।

10. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम वर्ष 1971 में अधिनियमित किया गया था । इस अधिनियम की धारा 3 निम्न प्रकार है :–

"3. गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है –

(1) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई गर्भ किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समाप्त किया जाए तो वह चिकित्सा व्यवसायी उस संहिता के अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी अपराध का दोषी नहीं होगा ।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि –

(क) जहां गर्भ 12 सप्ताह से अधिक का न हो, वहां यदि ऐसे चिकित्सा-व्यवसायी ने, अथवा

(ख) जहां गर्भ 12 से अधिक का हो किन्तु 20 सप्ताह से अधिक का न हो, वहां यदि दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों ने,

सद्भावपूर्वक यह राय कायम की हो कि –

(i) गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ेगा अथवा उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति की जोखिम होगी ; अथवा

(ii) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गंभीर रूप से विकलांग हो,

तो वह गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण 1 – जहां किसी गर्भ के बारे में गर्भवती स्त्री द्वारा यह अभिकथन किया जाए कि वह बलात्संग द्वारा हुआ तो ऐसे गर्भ के कारण होने वाले मनस्ताप के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति है ।

स्पष्टीकरण 2 – जहां किसी विवाहिता स्त्री या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या सीमित रखने के प्रयोजन से उपयोग में लाई गई किसी प्रयुक्ति या अवस्था की असफलता के फलस्वरूप कोई गर्भ हो जाए वहां ऐसे अवांछित गर्भ के कारण होने वाले मनस्ताप के बारे में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति है ।

(3) इस बात का अवधारण करने में कि गर्भ के बने रहने से उपधारा (2) में यथावर्णित स्वास्थ्य की क्षति की जोखिम होगी या नहीं, गर्भवती स्त्री की वास्तविक या उचित रूप से पूर्वानुमान परिस्थितियों पर विचार किया जा सकेगा ।

(4) (क) किसी ऐसी स्त्री का गर्भ, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अथवा जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हो, उसके संरक्षक की लिखित सम्मति से ही समाप्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(ख) खंड (क) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई गर्भ गर्भवती स्त्री की सम्मति से ही समाप्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।"

11. गर्भ अधिनियम की धारा 3(2)(ख) के अधीन गर्भ की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह विहित की गई है । इस धारा के अधीन

उन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया गया है जिनके अन्तर्गत गर्भ का समापन किया जा सकता है । धारा 3(2)(ख)(i) में उल्लिखित एक परिस्थिति इस प्रकार है कि गर्भ का समापन केवल तब अनुज्ञात किया जा सकता है जब इसके बनाए रखने में गर्भवती महिला के जीवन का जोखिम सम्मिलित हो या उसे शारीरिक अथवा मानसिक क्षति पहुंचने की आशंका हो । इस उपधारा के स्पष्टीकरण 1 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि जब बलात्संग द्वारा गर्भ धारण किया जाता है, तब यह माना जाता है कि गर्भवती महिला को गंभीर रूप से मानसिक क्षति कारित होगी । वर्तमान मामले में यह परिस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि गर्भ के बनाए रखने से याची को मानसिक रूप से घोर क्षति कारित होगी । इसके अतिरिक्त, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि आहत की आयु मात्र 12 वर्ष है जिससे उसके जीवन को अंतर्निहित रूप से खतरा है । वर्तमान मामले में मात्र यह दुविधा दिखाई देती है कि गर्भ की वैधानिक अवधि अर्थात् 20 सप्ताह का समय 7 सप्ताह पूर्व ही पूरा हो चुका है । याची के गर्भ की अवधि का 28वां सप्ताह आरंभ हो चुका है, अतः 1971 के अधिनियम के अधीन ऐसे मामले में गर्भ का चिकित्सीय समापन करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती ।

12. तथापि, 1971 का अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन एक अपवाद का उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

> "**5. धारा 3 और 4 कब लागू न होंगी** – (1) धारा 4 के उपबंध और धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंधों का उतना भाग जितना गर्भ की अवधि और 2 से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों की राय के बारे में है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा गर्भ की उस दशा में समापन को लागू नहीं होगा जब उसने सद्भावपूर्वक यह राय कायम की हो कि उस गर्भ का समापन गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए तुरंत आवश्यक है ।"

13. इस मुद्दे पर इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ (न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति एम. एस. सोनक) रिट याचिका सं.

10835/2018, 9748/2018 और मूल वाद की रिट याचिका सं. 3172/2018, जो तारीख 3 अप्रैल, 2019 को विनिश्चित की गई थीं (ए. आई. आर. ऑनलाइन 2019 बम्बई 242), में विचार किया गया है । खंड न्यायपीठ ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए अनेक निर्णयों पर विचार किया है और अनेक मुद्दों पर चर्चा की है । सर्वप्रथम खंड न्यायपीठ ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 928/2017 में पारित किए गए आदेश को निर्दिष्ट किया है जिसमें यह मत व्यक्त किया गया था कि ऐसे मामले क्षेत्रीय अधिकारिता वाले अपने-अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष फाइल किए जा सकते हैं । निर्णय के पैरा 116 में खंड न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त किया है कि ऐसे मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संस्थित करनी होंगी यदि याची इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन वास करता है और इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन याची का चिकित्सीय गर्भ समापन के लिए अनुज्ञा हेतु वाद-हेतुक केवल तब सृजित होता है जब गर्भवती महिला द्वारा किया गया अभिकथन गर्भ अधिनियम की धारा 3(2)(ख) के खंड (i) और (ii) के अन्तर्गत आता है ।

14. खंड न्यायपीठ ने इस पर भी विचार किया है कि क्या गर्भ समापन अधिनियम की धारा 5 में 'जीवन' अभिव्यक्ति का अर्थ संकुचित रूप में लिया जाना था जैसे कि मृत्यु या भौतिक अस्तित्व का विलोम या सोद्देश्य निर्वचन के सिद्धांत को अपनाते हुए उदारतापूर्वक किया जाना था ।

15. निर्णय के पैरा 79 और 80 में यह मत व्यक्त किया गया है कि जब गर्भ के बने रहने से गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को शारीरिक और मानसिक रूप से घोर क्षति पहुंचने की आशंका हो और वह महिला केवल इस आधार पर उस गर्भ को बनाए रखने के लिए विवश हो कि उसके गर्भ की अवधि 20 सप्ताह से अधिक हो चुकी है, तब ऐसी स्थिति में ऐसी माता की निजता, प्रजनन, शारीरिक अखंडता तथा गरिमा के मूल अधिकार का घोर अतिक्रमण होगा । यह भी मत व्यक्त किया गया

है कि उदार और उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत से 1971 का अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों और सांविधानिक उपबंधों के बीच अनुरूपता बनती है । उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कुछ निर्णयों के आधार पर खंड न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त किया है कि संविधान के अनुच्छेद के अधीन प्रतिष्ठापित जीने के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीवन बिताने का अधिकार सम्मिलित है ।

16. इन पहलुओं पर विचार करते हुए, खंड न्यायपीठ ने अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि जिस महिला का गर्भ 20 सप्ताह से अधिक अवधि का हो जाता है और वह इस आधार पर अपना गर्भपात कराने की ईप्सा करती है कि गर्भ के बने रहने से उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंच सकती है या इस बात की घोर आशंका हो कि यदि बच्चे को जन्म दिया जाएगा तो वह बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त हो सकता है । तब ऐसी स्थिति में उस गर्भवती महिला को उच्च न्यायालय से अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी और जब तक ऐसी अनुज्ञा प्रदान न कर दी जाए तब तक कोई भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे गर्भ का समापन नहीं कर सकता ।

17. यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए 20 सप्ताह से अधिक अवधि के गर्भ के चिकित्सीय समापन को 1971 का अधिनियम की धारा 3(2)(ख) के उपखंड (i) और (ii) में वर्णित आकस्मिकताओं के अधीन अनुज्ञात कर सकता है । खंड न्यायपीठ ने इस प्रयोजन के लिए चिकित्सा बोर्ड गठित किए जाने के निदेश दिए हैं ।

18. खंड न्यायपीठ ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि यदि चिकित्सीय गर्भ समापन अनुज्ञात किया जाता है और इसके बावजूद यदि जीवित बच्चा जन्म लेता है, तब रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी और संबद्ध अस्पताल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लें कि उस बच्चे को ऐसी उत्तम चिकित्सीय सुविधा दी जाएगी जो भी उन परिस्थितियों में उपलब्ध हो और ऐसे मामलों में

यदि ऐसे बच्चे के माता-पिता उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के इच्छुक न हों तब किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसरण में राज्य और उसके अभिकरणों का यह कर्तव्य होगा कि वे उस बच्चे के हित के लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी लें ।

19. खंड न्यायपीठ द्वारा रिट याचिका सं. 10835/2018, 9748/2018 और मूल वाद रिट याचिका सं. 3172/2018 में उपरोक्त निर्णयों में उल्लिखित मताभिव्यक्तियों, विनिश्चयाधार, सिद्धांत और निदेशों को दृष्टिगत करते हुए हमारी यह सुविचारित राय है कि याची को चिकित्सीय गर्भ समापन कराने के लिए अनुज्ञात करना ही होगा ।

20. समिति की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि गर्भ समापन में उसके असफल होने और अनावश्यक शल्य-चिकित्सा किए जाने जैसा घोर जोखिम है । ये सभी आशंकाएं आहत और उसके परिवार को स्पष्ट कर दी गई हैं और वे इस जोखिम को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं ।

21. इस न्यायालय की एक अन्य खंड न्यायपीठ (न्यायमूर्ति आर. एम. बोर्डे और न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार) ने रिट याचिका सं. 6613/2019 में तारीख 13 जून, 2019 को एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया है । उस निर्णय में यह मत व्यक्त किया गया कि उस मामले में शारीरिक दुरुपयोग के परिणामस्वरूप गर्भ धारण हुआ था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और, भ्रूण के ऊतक और रक्त नमूने के परिरक्षण तथा उसके डी. एन. ए. की जांच के लिए निदेश जारी किए गए थे और अन्वेषण अधिकारी को निदेश दिया गया था कि ये सब नमूने जांच के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे जाएं । याची के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि वर्तमान मामले में भी ऐसे ही निदेश जारी किए जाएं ।

22. उपरोक्त चर्चा पर विचार करते हुए निम्न आदेश पारित किया जाता है :–

(i) याची को ससून अस्पताल, पुणे द्वारा तारीख 6 दिसंबर, 2019 को जारी समिति की रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सीय गर्भ समापन के लिए अनुज्ञात किया जाता है ।

(ii) ससून अस्पताल के डीन यह सुनिश्चित करेंगे कि समापन की यह प्रक्रिया ऐसे स्थान पर की गई है जिससे गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 2003 की सभी अपेक्षाओं का समाधान होता है और यह प्रक्रिया ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा पूरी की जाएगी जो उक्त नियमों के अधीन अधिकथित शर्तों को पूरा करता हो ।

(iii) भ्रूण के रक्त और ऊतक के नमूनों को डी. एन. ए. और अन्य परीक्षणों सहित सभी आवश्यक चिकित्सीय परीक्षणों के प्रयोजनार्थ परिरक्षित किया जाएगा । इस मामले का अन्वेषण करने वाले अन्वेषण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सभी नमूने जांच के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं और इन्हें इस अपराध के विचारण के प्रयोजनार्थ परिरक्षित रखा जाएगा ।

(iv) यदि जीवित बच्चा जन्म लेता है तब वह चिकित्सा व्यवसायी जिसने गर्भ समापन की प्रक्रिया की है, यह सुनिश्चित करेगा कि सभी चिकित्सीय सुविधाएं उस बच्चे के जीवन को बचाने के लिए उपलब्ध कराई गई हैं ।

(v) यदि जीवित बच्चा जन्म लेता है और यदि याची और उसके माता-पिता उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के इच्छुक नहीं हैं या वे जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में नहीं हैं तब राज्य और उसके अभिकरण को ऐसे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी ।

(vi) पूर्वोक्त शब्दों में न्यायादेश आत्यंतिक किया जाता है ।

(vii) सभी संबद्ध पक्षकारों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर ही कार्यवाही करनी है । विद्वान् अपर सरकारी प्लीडर को यह निदेश दिया जाता है कि वे वर्तमान मामले में के अन्वेषण अधिकारी को इस आदेश की प्रमाणित प्रति भेजें ।

तद्नुसार याचिका मंजूर की गई ।

अस.

चन्द्र शेखर पुत्र श्री बाबू लाल

बनाम

राजस्थान राज्य

(2016 की दांडिक अपील सं. 401)

तारीख 28 फरवरी, 2020

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अभय चतुर्वेदी

दंड संहिता 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 457 और 380 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 27] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा इत्तिलाकर्ता के सास-श्वसुर की हत्या किए जाने का अभिकथन – मृतकों द्वारा अभियुक्तों को नौकरी से निकाल देने के साक्ष्य का अभाव – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में मृतकों के मोबाइल फोनों के लापता होने का उल्लेख न किया जाना – अवसर होने के बावजूद अभियुक्त द्वारा मृतकों के आभूषणों का चोरी न किया जाना – अपराधजन्य सामग्री की बरामदगी का संदिग्ध पाया जाना – घटनास्थल पर पाए गए अंगुलियों के निशानों की न्यायालयिक जांच न कराना – किसी भी साक्षी का यह कथन नहीं है कि मृतकों ने अभियुक्तों को नौकरी से निकाल दिया था अत: अभियुक्त के मन में मृतकों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और उसने किसी भी मूल्यवान वस्तु की चोरी नहीं की है तथा मृतकों के मोबाइल फोन की कॉल-डिटेल से अभियुक्त के मोबाइल नम्बर की पुष्टि नहीं होती है और अपराध में प्रयोग किए गए आयुधों की बरामदगी भी विलंबित होने के कारण संदिग्ध पाई गई है, अत: अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है और वह दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

डा. आलोक मित्तल (अभि. सा. 6) 12-ए-2, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा का निवासी है जिसने तारीख 3 मार्च, 2011 को अपराह्न 11.55 बजे पुलिस थाना नगर-कोतवाली के थानाध्यक्ष के समक्ष लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-41) दर्ज कराई जिसमें उसने अन्य बातों

के साथ यह कथन किया कि उसकी सास श्रीमती विमला देवी और श्वसुर श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल मकान नं. 1-ए-4 में रहा करते थे जो शिकायतकर्ता के मकान से थोड़ी ही दूरी पर है । शिकायतकर्ता की पत्नी श्रीमती सीमा (अभि. सा. 7) जब अपराह्न 8.45 से अपराह्न 9.00 के बीच अपने माता-पिता से मिलने गई तो उसने यह देखा कि घर का मुख्य द्वार खुला पड़ा था किंतु घर के चैनल-गेट में ताला लगा हुआ था । अभि. सा. 7 ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई और आवाज भी दी किंतु अंदर से कोई उत्तर न मिला । इस साक्षी ने अपने माता-पिता से उनके अपने-अपने मोबाइल फोन पर और कॉल करके संपर्क करने का प्रयास किया किंतु उसके पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया जबकि उसकी माता का फोन केवल एक बार बजा और इसके पश्चात् संपर्क टूट गया । श्रीमती सीमा (अभि. सा. 7) घर वापस आई और उसने इस संबंध में अपीलार्थी को बताया । उन्होंने दोनों मोबाइल फोनों पर पुन: संपर्क करने का प्रयास किया किंतु संपर्क हो न सका । शिकायतकर्ता के नातेदार अर्थात् प्रमोद मोदी और भूपेन्द्र सांघी शिकायतकर्ता के घर पर ठहरे हुए थे क्योंकि उसके ससुराल वाले किसी स्वागत-कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त थे जिसका आयोजन श्री बी. के. अग्रवाल के घर पर किया जाना था । इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने यह सोचा कि उसके ससुराल वाले कहीं किसी सभा में व्यस्त हो सकते हैं और इस प्रकार उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी किंतु वे सफल न हो सके । वह पुन: श्री अग्रवाल के घर वापस आया और उसने खिड़की में से झांकने का प्रयास किया जिस पर उसने देखा कि श्रीमती बिमला देवी विकट स्थिति में फर्श पर पड़ी हुई थी । पुलिस को तत्काल सूचना दी गई जो घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गई । चैनल-गेट का ताला तोड़कर खोला गया । भीतरी दरवाजा ढीला ही लगा हुआ था जिसे धक्का मारकर खोला गया । भीतर की ओर जाने पर श्री भगवती प्रसाद रेफ्रिजरेटर के निकट खून से लथपथ पड़ा हुआ पाया । शिकायतकर्ता को यह संदेह हुआ कि उसकी सास और उसके श्वसुर दोनों की हत्या की गई है । सास-श्वसुर के अतिरिक्त इस मकान में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था और उस समय भी उस मकान में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था । श्री अग्रवाल कुछ दिन पहले पैसे निकालने के लिए बैंक गए थे । गोपाल गुर्जर नाम के एक चालक को 15 दिन पहले ही काम

पर लगाया गया था और वह उनके मकान में पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 8.00 बजे तक रहा करता था । उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि रुपया-पैसा और आभूषण कहां रखे होते हैं और यह कि कब और किसके कहने पर मृतकों ने बैंक से पैसे निकाले थे । जब वे घर गए, तब कार घर में खड़ी हुई थी किंतु कार का चालक मौजूद नहीं था । चंदा सेन नाम की एक नौकरानी उसके सास-श्वसुर के मकान में साफ-सफाई का कार्य करने के लिए प्रातःकाल आया करती थी और बर्तन धोने का काम दोपहर के बाद किया करती थी । इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यह अपराध कारित किया गया है और इस मामले में कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गई है । यह भी उल्लेख किया गया है कि श्रीमती सीमा (अभि. सा. 7) ने अपनी माता विमला देवी के आभूषणों की शनाख्त की है जिनके ब्यौरे वह बाद में दे सकती है । उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सदर कोतवाली, भीलवाड़ा में दंड संहिता की धारा 460 के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 142/2011 (प्रदर्श पी-49) दर्ज की गई और अन्वेषण आरंभ किया गया । अन्वेषण से संबंधित आवश्यक कार्यवाही जैसे पंचनामा तैयार किया गया तथा दोनों शवों की मृत्युसमीक्षा आदि की गई । दोनों शवों को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया और इसके पश्चात् दाह-संस्कार के लिए डा. आलोक मित्तल (अभि. सा. 6) को सुपुर्द कर दिया गया । दोनों शवों तथा घटनास्थल के फोटो खींचे गए । 'मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट' को घटनास्थल पर निरीक्षण के लिए बुलाया गया । घटनास्थल से रक्त के नमूने एकत्र किए गए । अभियुक्त-अपीलार्थी पर संदेह होने के कारण उसे तारीख 16 जून, 2011 को पूर्वाह्न 10.30 बजे गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-92) के अनुसार गिरफ्तार किया गया । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन अभियुक्त द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसरण में अपराध से संबंधित कतिपय वस्तुएं बरामद की गईं । घटनास्थल से रक्तरंजित वस्तुएं अभियुक्त-अपीलार्थी की निशानदेही के आधार पर अभिगृहीत की गई जिन्हें विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया गया । अन्वेषण पूरा होने पर अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध संबद्ध मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 460,

302 और 379 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि यह अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय थे इसलिए यह मामला अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) सं. 1, भीलवाड़ा को विचारण के लिए स्थानांतरित किया गया जहां अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 457, 380 और 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए । उक्त त्वरित न्यायालय के समाप्त होने के पश्चात् यह मामला अपर सेशन न्यायाधीश सं. 3, भीलवाड़ा के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया । अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 30 साक्षियों की परीक्षा कराई और 126 दस्तावेज प्रदर्शित किए तथा 6 तात्विक वस्तुओं को साबित किया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे जाने और उसके विरुद्ध परिस्थितियां प्रस्तुत किए जाने पर उसने सभी परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त-अपीलार्थी को अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किंतु उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । विचारण के दौरान न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसे प्रदर्श पी-126 के रूप में प्रदर्शित किया गया । अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दी गई दलीलों को सुनने और उनका मूल्यांकन करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को आक्षेपित निर्णय के अनुसार उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया और इसी आक्षेपित निर्णय को इस अपील में चुनौती दी गई है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – पहली परिस्थिति जिस पर विचार किया जाना अपेक्षित है वह अभियुक्त द्वारा कारित अपराध के हेतु को साबित करने से संबंधित है । इस संबंध में, हमने प्रथम इत्तिलाकर्ता अर्थात् डा. आलोक मित्तल (अभि. सा. 6) और श्रीमती सीमा (अभि. सा. 7) जो मृतकों के दामाद और पुत्री हैं, के साक्ष्य का परिशीलन किया है । ये दो ऐसे मात्र साक्षी हैं जो अभियुक्त के हेतु को साबित कर सकते थे । इन दोनों साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने यह अभिकथन नहीं किया है कि

अभियुक्त को श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया था या यह कि अभियुक्त के मन में इस आधार पर मृतक के प्रति दुर्भावना थी । हाजिरी-रजिस्टर (प्रदर्श पी-47) से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी चन्द्र शेखर केवल एक मास अर्थात् बहुत थोड़े समय के लिए ही मृतक द्वारा ड्राइवर के रूप में नियोजित किया गया था । इस रजिस्टर से यह भी उपदर्शित होता है कि मृतक को जल्दी-जल्दी ड्राइवर बदलने की आदत थी । इस प्रकार, न्यायालय के इस समाधान के लिए ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं कि अभियुक्त के मन में किसी भी समय मृतक श्री भगवती प्रसाद के प्रति दुर्भावना थी, ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त ने प्रतिशोध की भावना के साथ दोहरी हत्या की है । स्पष्टत: अभियुक्त द्वारा किसी भी मूल्यवान वस्तु अर्थात् आभूषण की लूट कारित नहीं की गई है और इस प्रकार ये हत्याएं निश्चित रूप से लाभ पाने के लिए नहीं की गई हैं । अत: अपराध के हेतु से संबंधित साक्ष्य पूर्णतया अस्वीकार्य और अविश्वसनीय हैं । हमने जिस प्रकार घटनाक्रम का ऊपर उल्लेख किया है, उससे यह पता चलता है कि अन्वेषण अधिकारी ने यह दावा किया है कि मृतकों के मोबाइल फोनों की कॉल-डिटेल प्राप्त करने पर उससे यह पता चला कि मृतकों के एक मोबाइल फोन का प्रयोग कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) द्वारा किया जा रहा था जिससे पुलिस ने संपर्क किया और इस साक्षी ने अन्वेषण अधिकारी को इस मोबाइल फोन के खरीदने से संबंधित विक्रय विलेख (प्रदर्श पी-97) प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अभियुक्त ने अभिकथित रूप से यह मोबाइल फोन साक्षी कमलेश धाकड़ को बेचा था । यह संपूर्ण घटनाक्रम पूर्णतया अस्वाभाविक और अविश्वसनीय है जिसे कायम नहीं रखा जा सकता । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि जब शवों की जांच की गई तब यह पाया गया कि श्रीमती विमला देवी के शव पर आभूषण मौजूद थे । न तो प्रथम इत्तिलाकर्ता डा. आलोक मित्तल (अभि. सा. 6) और न ही श्रीमती सीमा (अभि. सा. 7) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या अपने साक्ष्य में यह दावा किया है कि इस घटना में किसी भी कीमती सामान की चोरी की गई है । विस्तृत लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-41) में न तो दोनों मृतकों के मोबाइल नम्बरों का उल्लेख है और न ही उस रिपोर्ट में यह अभिकथित है कि कोई मोबाइल फोन लापता है । श्रीमती सीमा ने तारीख 25 जून, 2011

को थानाध्यक्ष के समक्ष एक आवेदन (प्रदर्श पी-48) प्रस्तुत किया जिसमें उसने यह अभिकथन किया कि चन्द्र शेखर, ड्राइवर की नौकरी के लिए दिए गए आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, पहचान-पत्र और वेतन-वाउचर को उसके पिता के रजिस्टर से निकाल कर ले गया है । श्रीमती सीमा ने तारीख 18 जून, 2011 को मोबाइल फोन (नोकिया 2720) का बिल भी अन्वेषण अधिकारी को प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में यह अभिकथन किया गया है कि इस फोन का प्रयोग मृतका श्रीमती विमला द्वारा किया गया था । यह बिल अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-44) के अनुसार अभिगृहीत किया गया है । तथापि, इस समय तक ऐसा कोई भी अभिकथन सामने नहीं आया कि श्रीमती विमला का मोबाइल फोन लापता है । यह सत्य है कि प्रथम इत्तिलाकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि दोनों मृतकों के मोबाइल फोन तलाशी के दौरान घर में पाए गए थे । किंतु हमारा यह मत है कि यह लोप बहुत गंभीर है और प्रथम इत्तिलाकर्ता प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख करने से नहीं चूकता । प्रथम इत्तिलाकर्ता डा. आलोक मित्तल (अभि. सा. 6) से उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया जिस पर उसने यह स्वीकार किया कि उसने मोबाइल फोनों के लापता हो जाने वाली बात का उल्लेख लिखित रिपोर्ट में नहीं किया था । मृतकों के मोबाइल फोनों की बरामदगी से संबंधित परिस्थिति, जो अन्वेषण अधिकारी और कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) द्वारा साबित की गई है इतनी अधिक अविश्वसनीय है कि उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता । यह घटना तारीख 3 मार्च, 2011 को घटित हुई है । मोबाइल फोन अभिकथित रूप से अभियुक्त द्वारा कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) को बेचा गया था और इस संबंध में विक्रय विलेख (प्रदर्श पी-97) निष्पादित किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा दो साक्षियों अर्थात् विनोद धाकड़ (अभि. सा. 23) और कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) की परीक्षा मोबाइल फोन के विक्रय से संबंधित तथ्य को साबित करने के लिए कराई गई है । विनोद धाकड़ (अभि. सा. 23) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि फोन तारीख 18 अप्रैल, 2012 को बेचा गया था जबकि कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) ने यह कथन किया है कि उसने तारीख 18 मई, 2011 को मोबाइल फोन चन्द्र शेखर से क्रय किया था । विद्वान् लोक अभियोजक ने इस फर्क को दूर करने के लिए किसी प्रकार का कोई भी

प्रयास नहीं किया है । जैसेकि हमने पहले ही ऊपर चर्चा की है कि अभियुक्त ने हत्या कारित करने के पश्चात् मृतक के आभूषणों की चोरी करने का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया है । आभूषण मोबाइल फोन से कहीं अधिक मूल्यवान हैं । इस प्रकार यह पूर्णतया अविश्वसनीय है कि अभियुक्त मृतक का मोबाइल फोन इस जोखिम के साथ चोरी करके ले जाएगा कि वह उसके कब्जे से बरामद भी किया जा सकता है । विक्रय विलेख (प्रदर्श पी-97) स्पष्ट रूप से अन्वेषण अधिकारी के कहने पर मामले को सुलझाया हुआ दिखाने के लिए गढ़ा गया है । शिकायतकर्ता का यह दावा है कि मोबाइल फोन तलाशी के दौरान लापता पाए गए थे और इसके बावजूद इसके तत्काल पश्चात् पुलिस को कोई भी संसूचना नहीं दी गई ; और मोबाइल फोन का बिल अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने के दो दिन बाद अर्थात् 18 जून, 2011 को प्राप्त किया गया था ; इससे यह संदेह होता है कि यह संपूर्ण कहानी अन्वेषण अधिकारी द्वारा गढ़ी गई है । अन्वेषण अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास अभियुक्त के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया है ताकि बरामद किए गए दस्तावेजों पर पाए गए अभियुक्त के हस्ताक्षरों की पुष्टि हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा की जाती । इस अभिकथन से, कि अभियुक्त ने वेतन वाउचर, पहचानपत्र और अपनी नौकरी के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र को मृतक भगवती प्रसाद अग्रवाल के अभिलेख से निकाल लिए थे, यह दर्शित होता है कि उसने अपराध कारित करते समय अत्यंत चतुराई से काम लिया है । इस पृष्ठभूमि में इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि अभियुक्त मृतक का फोन चोरी करके अपने पास रखे । तथाकथित विक्रय विलेख (प्रदर्श पी-97) ऐसा दस्तावेज है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इस बात का भी कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि मात्र 1,400/- रुपए की कीमत वाले मोबाइल फोन को खरीदने के लिए कोई विक्रय विलेख निष्पादित किया जाए । विक्रय विलेख के सरसरी तौर पर परिशीलन करने से ही यह उपदर्शित होता है कि यह दस्तावेज बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है जिससे न्यायालय के मन में घोर संदेह होता है कि यह दस्तावेज अन्वेषण अधिकारी द्वारा किसी प्रकार यह दर्शाने के लिए तैयार किया गया है कि उसने इस मामले में सही दोषी का पता लगा लिया है । इस पृष्ठभूमि में, हम

अभियोजन पक्ष के इस दावे से कतई सहमत नहीं हैं कि हत्या कारित किए जाने के पश्चात् अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से मृतक के घर से मोबाइल फोन चोरी किया गया है और यह कि उसने इस मोबाइल फोन को कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) को बेचा है और यह कि इस विक्रय को साबित करने के लिए विक्रय विलेख तैयार किया गया है । अभियोजन पक्ष ने कॉल-डिटेल और टावर-डिटेल का भी प्रयोग किया है ताकि ऐसा मामला बनाया जा सके कि घटना के समय पर या उस समय के निकट अभियुक्त की लोकेशन भीलवाड़ा में थी । यह कहना पर्याप्त होगा कि कॉल-डिटेल से संबंधित अन्वेषण अधिकारी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख के अधीन मोबाइल नेटवर्क विभाग कोई भी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे न्यायालय का यह समाधान हो सके कि जिस फोन नम्बर की कॉल-डिटेल प्राप्त की गई है, वह अभियुक्त का है । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण अपराधजन्य परिस्थिति प्रस्तुत की है वह अभियुक्त के घर से, उसके द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दी गई जानकारी के आधार पर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन रक्तरंजित कपड़ों, और रक्तरंजित चाकू की बरामदगी है । इस संबंध में, यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि यह घटना मार्च, 2011 में घटित हुई है । अभियुक्त को काफी विलंब से अर्थात् 16 जून, 2011 को गिरफ्तार किया गया है और इस प्रकार उसके पास रक्तरंजित कपड़ों और रक्तरंजित चाकू को नष्ट करने का पर्याप्त समय और अवसर था और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह इन सब वस्तुओं को लंबे समय तक अपने पास रखेगा ताकि बाद में पुलिस उससे बरामद कर सके । अभियोजन पक्ष की इस कहानी पर विचार करने पर, कि अभियुक्त ने मृतक के घर से उन अपराधजन्य दस्तावेजों की तलाश अत्यंत सूक्ष्मता के साथ की है जिनमें उसका नाम अभिलिखित था और वह उन दस्तावेजों को वहां से निकाल कर ले गया, स्पष्ट रूप से यही संकेत मिलता है कि अभियुक्त ने बड़ी चतुराई से आपराधिक कार्य प्रणाली का प्रयोग किया है । इस प्रकार, यह पूर्णतया अविश्वसनीय है कि इतनी तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति होने के बावजूद अभियुक्त रक्तरंजित वस्तुओं को अपने मकान में रखेगा ताकि अन्वेषण अधिकारी बाद में कभी आकर बरामद कर ले । अतः,

अभियुक्त को अपराध से संबद्ध करने के लिए, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिकथित रूप से की गई रक्तरंजित वस्तुओं की बरामदगी के साक्ष्य की विश्वसनीयता से संतुष्ट नहीं है । अन्वेषण अधिकारी ने आरोप पत्र और अपने साक्ष्य में यह तत्वरहित कथन किया है कि घटनास्थल पर पाए गए अंगुलियों और हथेलियों के चिह्न धुंधले थे और इसलिए वे जांच किए जाने के लिए घटनास्थल से नहीं उठाए गए । प्रथमत: हमारी यह राय है कि अंगुलियों के चिह्न धुंधले थे या नहीं, इसका विनिश्चय केवल फिंगरप्रिंट ब्यूरो द्वारा ही किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त कागज की पर्ची (प्रदर्श पी-73), कंघे के खोल (प्रदर्श पी-80 और प्रदर्श पी-81) तथा दीवार (प्रदर्श पी-83) पर पाई गई अंगुलियों और हथेलियों की छाप के फोटोग्राफ में अंगुलियों के निशानों को खाली आंखों (बिना किसी यंत्र की सहायता के) से देखा जा सकता है, अत: हमारा यह मत है कि अंगुलियों और हथेलियों की छाप पूर्णतया स्पष्ट थी । इस प्रकार अन्वेषण अधिकारी द्वारा इन निशानों को प्राप्त करने और उनकी जांच कराने के प्रयास का लोप करना यह दर्शाता है कि उसने निष्पक्ष रूप से अन्वेषण नहीं किया है । इस प्रकार, हमारी यह दृढ़ राय है कि अभियोजन पक्ष एक भी अपराधजन्य परिस्थिति साबित नहीं कर सका है जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सके । कई विनिश्चयों में यह विधि सुस्थापित की गई है कि केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले हैं । अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्ष्य की सभी कड़ियों को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि ऐसी परिस्थिति की श्रृंखला सृजित हो जाए जिससे अकाट्य रूप से अभियुक्त का दोष साबित हो सके और वह परिस्थिति उसके निर्दोषिता के साथ असंगत हो । वर्तमान मामले में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए जिन परिस्थितियों का अवलंब लिया गया है वे पूर्णतया अविश्वसनीय हैं तथा अनुमान और अटकलों पर आधारित हैं जिन्हें बिल्कुल भी तर्कसम्मत नहीं कहा जा सकता है । हमारी राय में, आक्षेपित निर्णय अनुमान और अटकलों पर ही आधारित है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन और अभियुक्त-अपीलार्थी को उस पर लगाए गए आरोपों का दोषी अभिनिर्धारित करते समय भारी गलती की है । (पैरा 17, 18, 19, 20, 21 और 22)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 401.

2012 के सेशन मामला सं. 5 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश सं. 3, भीलवाड़ा द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2016 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. एस. चुंडावत

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अनिल जोशी (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने दिया ।

न्या. मेहता – इस मामले में अपीलार्थी को 2012 के सेशन मामला सं. 5 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश सं. 3, भीलवाड़ा द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2016 को निम्न रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है :–

भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 2 मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । दंड संहिता की धारा 457 के अधीन 3 वर्ष के साधारण कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । दंड संहिता की धारा 380 के अधीन 5 वर्ष के साधारण कारावास से तथा 1,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 1 मास के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का आदेश किया गया है ।

2. अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन वर्तमान अपील प्रस्तुत की है ।

3. अपील में विनिश्चय किए जाने के लिए सुसंगत और आवश्यक तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

डा. आलोक मित्तल (अभि. सा. 6) 12-ए-2, ओल्ड हाउसिंग बोर्ल्ड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा का निवासी है जिसने तारीख 3 मार्च, 2011 को अपराह्न 11.55 बजे पुलिस थाना नगर-कोतवाली के थानाध्यक्ष के

समक्ष लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-41) दर्ज कराई जिसमें उसने अन्य बातों के साथ यह कथन किया कि उसकी सास श्रीमती विमला देवी और श्वसुर श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल मकान नं. 1-ए-4 में रहा करते थे जो शिकायतकर्ता के मकान से थोड़ी ही दूरी पर है । शिकायतकर्ता की पत्नी श्रीमती सीमा (अभि. सा. 7) जब अपराह्न 8.45 से अपराह्न 9.00 बजे के बीच अपने माता-पिता से मिलने गई तो उसने यह देखा कि घर का मुख्य द्वार खुला पड़ा था किंतु घर के चैनल-गेट में ताला लगा हुआ था । अभि. सा. 7 ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई और आवाज भी दी किंतु अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला । इस साक्षी ने अपने माता-पिता से उनके अपने-अपने मोबाइल फोन पर कॉल करके संपर्क करने का प्रयास किया किंतु उसके पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया जबकि उसकी माता का फोन केवल एक बार बजा और इसके पश्चात् संपर्क टूट गया । श्रीमती सीमा (अभि. सा. 7) घर वापस आई और उसने इस संबंध में अपीलार्थी को बताया । उन्होंने दोनों मोबाइल फोनों पर पुन: संपर्क करने का प्रयास किया किंतु संपर्क हो न सका । शिकायतकर्ता के नातेदार अर्थात् प्रमोद मोदी और भूपेन्द्र सांघी शिकायतकर्ता के घर पर ठहरे हुए थे क्योंकि उसके ससुराल वाले किसी स्वागत-कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त थे जिसका आयोजन श्री बी. के. अग्रवाल के घर पर किया जाना था । इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने यह सोचा कि उसके ससुराल वाले कहीं किसी सभा में व्यस्त हो सकते हैं और इस प्रकार उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी किंतु वे सफल न हो सके । वह पुन: श्री अग्रवाल के घर वापस आया और उसने खिड़की में से झांकने का प्रयास किया जिस पर उसने देखा कि श्रीमती बिमला देवी विकट स्थिति में फर्श पर पड़ी हुई थी । पुलिस को तत्काल सूचना दी गई जो घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गई । चैनल-गेट का ताला तोड़कर खोला गया । भीतरी दरवाजा ढीला ही लगा हुआ था जिसे धक्का मारकर खोला गया । भीतर की ओर जाने पर श्री भगवती प्रसाद रेफ्रिजरेटर के निकट खून से लथपथ पड़ा हुआ पाया । शिकायतकर्ता को यह संदेह हुआ कि उसकी सास और उसके श्वसुर दोनों की हत्या की गई है । सास-श्वसुर के अतिरिक्त इस मकान में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था और उस समय भी उस मकान में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था । श्री अग्रवाल कुछ दिन पहले पैसे निकालने के लिए बैंक गए थे । गोपाल गूजर नाम के एक चालक को 15 दिन पहले ही काम

पर लगाया गया था और वह उनके मकान में पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 8.00 बजे तक रहा करता था । उसे इस बात की पूरी जानकारी थी कि रुपया-पैसा और आभूषण कहां रखे होते हैं और यह कि कब और किसके कहने पर मृतकों ने बैंक से पैसे निकाले थे । जब वे घर गए, तब कार घर में खड़ी हुई थी किंतु कार का चालक मौजूद नहीं था । चंदा सेन नाम की एक नौकरानी उसके सास-श्वसुर के मकान में साफ-सफाई का कार्य करने के लिए प्रात:काल आया करती थी और बर्तन धोने का काम दोपहर के बाद किया करती थी । इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यह अपराध कारित किया गया है और इस मामले में कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गई है । यह भी उल्लेख किया गया है कि श्रीमती सीमा (अभि. सा. 7) ने अपनी माता विमला देवी के आभूषणों की शनाख्त की है जिनके ब्यौरे वह बाद में दे सकती है ।

4. उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सदर कोतवाली, भीलवाड़ा में दंड संहिता की धारा 460 के अधीन अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 142/2011(प्रदर्श पी-49) दर्ज की गई और अन्वेषण आरंभ किया गया । अन्वेषण से संबंधित आवश्यक कार्यवाही जैसे पंचनामा तैयार किया गया तथा दोनों शवों की मृत्युसमीक्षा आदि की गई । दोनों शवों को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया और इसके पश्चात् दाह-संस्कार के लिए डा. आलोक मित्तल (अभि. सा. 6) को सुपुर्द कर दिया गया । दोनों शवों तथा घटनास्थल के फोटो खींचे गए । 'मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट' को घटनास्थल पर निरीक्षण के लिए बुलाया गया । घटनास्थल से रक्त के नमूने एकत्र किए गए । अभियुक्त-अपीलार्थी पर संदेह होने के कारण उसे तारीख 16 जून, 2011 को पूर्वाह्न 10.30 बजे गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-92) के अनुसार गिरफ्तार किया गया । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन अभियुक्त द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसरण में अपराध से संबंधित कतिपय वस्तुएं बरामद की गईं । घटनास्थल से रक्तरंजित वस्तुएं अभियुक्त-अपीलार्थी की निशानदेही के आधार पर अभिगृहीत की गई जिन्हें विश्लेषण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेज दिया गया ।

5. अन्वेषण पूरा होने पर अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध संबद्ध मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 460, 302 और 379 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि यह अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय थे इसलिए यह मामला अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) सं. 1, भीलवाड़ा को विचारण के लिए स्थानांतरित किया गया जहां अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 457, 380 और 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए गए । उक्त त्वरित न्यायालय के समाप्त होने के पश्चात् यह मामला अपर सेशन न्यायाधीश सं. 3, भीलवाड़ा के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया । अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 30 साक्षियों की परीक्षा कराई और 126 दस्तावेज प्रदर्शित किए तथा 6 तात्विक वस्तुओं को साबित किया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे जाने और उसके विरुद्ध परिस्थितियां प्रस्तुत किए जाने पर उसने सभी परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया । अभियुक्त-अपीलार्थी को अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किंतु उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । विचारण के दौरान न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसे प्रदर्श पी-126 के रूप में प्रदर्शित किया गया । अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दी गई दलीलों को सुनने और उनका मूल्यांकन करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को आक्षेपित निर्णय के अनुसार उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया और इसी आक्षेपित निर्णय को इस अपील में चुनौती दी गई है ।

6. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आर. एस. चुंडावत ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन मिथ्या और कूटरचित है । अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी करने में असफल रहा है जिसके कारण अभियुक्त का दोष संदेह के परे साबित नहीं हुआ है । अभियोजन पक्ष

के बहुत से साक्षियों का साक्ष्य तर्कसम्मत नहीं है जिनकी परीक्षा अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अभिकथित परिस्थितियों को साबित करने के लिए विचारण के दौरान कराई गई है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अन्वेषण अधिकारी ने निष्पक्ष रूप से अन्वेषण नहीं किया है और अभियुक्त को अभिलेख पर अपराध से संबद्ध करने वाले किसी भी ठोस साक्ष्य के बिना ही गिरफ्तार किया गया है । यह अज्ञात हत्या का मामला है और अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त को अपनी सुविधानुसार इस मामले में फंसाया है ताकि अन्वेषण अभिकरण किसी प्रकार यह दिखा सके कि उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि संपूर्ण मामला बरामद की गई वस्तुओं पर आधारित है जो कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा नाटकीय रीति में अभियुक्त पर थोपी गई हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त से प्राप्त जानकारी और बरामद की गई वस्तुओं को न्यायालय में अपनी परीक्षा के दौरान विधि द्वारा अपेक्षित रीति में साबित नहीं किया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि घटनास्थल पर अंगुलियों के निशान दृश्यमान होने के बावजूद अन्वेषण अधिकारी ने इतने महत्वपूर्ण साक्ष्य को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया और इसलिए अभियुक्त-अपीलार्थी को अपराध से संबद्ध करने का कोई भी निश्चायक सबूत नहीं है । श्री चुंडावत ने यह भी दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में गोपाल गूजर नाम के ड्राइवर पर संदेह होता है क्योंकि उससे अन्वेषण से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की गई है । यह, क्योंकि श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल द्वारा घटना घटित होने के पूर्व ड्राइवर के रूप में नियोजित किया गया संयोग से अंतिम व्यक्ति था इसलिए इस व्यक्ति के इस अपराध में मात्र इस आधार पर अंतर्वलित होने की संभावना अत्यधिक है । इस आधार पर विद्वान् काउंसेल ने न्यायालय से इस अपील को स्वीकार करने, आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने और अभियुक्त-अपीलार्थी को सभी आरोपों से निर्मुक्त करने का निवेदन किया है ।

7. इसके प्रतिकूल विद्वान् लोक अभियोजक ने अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का दृढ़तापूर्वक खंडन किया है । विद्वान्

लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि अभियुक्त-अपीलार्थी श्री अग्रवाल द्वारा ड्राइवर के रूप में घटना के कुछ दिन पहले ही नियोजित किया गया था । श्री अग्रवाल अत्यवधानी व्यक्ति थे और उन्होंने सभी कर्मचारियों के कार्य से संबंधित रजिस्टर बना रखा था जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि अभियुक्त-अपीलार्थी चन्द्र शेखर को ड्राइवर के रूप में नियोजित किया गया है और उसने जनवरी और फरवरी, 2011 के दौरान कार्य किया है । अपीलार्थी द्वारा नियोजन के लिए किया गया आवेदन, उसकी शनाख्त संबंधी दस्तावेज और वेतन-वाउचर श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल की पुत्री श्रीमती सीमा अर्थात् अभि. सा. 7 को उस समय मिले जब वह घर में तलाशी ले रही थी । इस प्रकार यह बात पूरी तरह सिद्ध हो जाती है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने श्री अग्रवाल के घर में ड्राइवर के रूप में काम किया था । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह भी दलील दी है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने कमलेश धाकड़ नाम के एक व्यक्ति (अभि. सा. 26) को मृतक द्वारा प्रयोग में लाया गया नोकिया मोबाइल फोन बेचा था और अभि. सा. 26 ने अन्वेषण अधिकारी को इस संबंध में तैयार किया गया विक्रय विलेख (प्रदर्श पी-97) प्रस्तुत किया है । यह तथ्य कि अपीलार्थी के पास मृतक का मोबाइल फोन पाया गया, इस संबंध में एक ठोस साक्ष्य बन जाता है कि केवल अपीलार्थी ही हत्यारा है । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह भी दलील दी है कि श्रीमती विमला देवी की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-39) और भगवती प्रसाद अग्रवाल की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-40) से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पर बुरी तरह हमला किया गया है और धारदार आयुध घोंपकर उनकी हत्या की गई है । इस प्रकार, विद्वान् लोक अभियोजक के अनुसार यह तथ्य कि दोनों मृत्यु मानव वध से कारित की गई हैं, निश्चायक रूप से सिद्ध हो गया है । इस प्रकार उन्होंने यह भी दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य की संपूर्ण श्रृंखला साबित की है जो प्राथमिक रूप से बरामदगी और अभियुक्त के दोषी होने की ओर संकेत करने वाले साक्ष्य पर आधारित है । इन सभी आधारों पर विद्वान् काउंसेल ने इस अपील के खारिज किए जाने की ईप्सा की है ।

8. हमने पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक

विचार किया है और आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन और मूल्यांकन किया है ।

9. जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन पूर्णतया पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे किसी भी साक्षी की परीक्षा विचारण के दौरान नहीं कराई गई है जिसने यह दावा किया हो कि उसने अपराध कारित किए जाने के समय अभियुक्त-अपीलार्थी को श्री अग्रवाल के घर में या उसके आस-पास देखा था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह मामला पूर्णतया बरामद की गई वस्तुओं तथा इस तथ्य पर आधारित है कि अभियुक्त-अपीलार्थी मृतक श्री अग्रवाल के यहां ड्राइवर के रूप में नियोजित था । श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल और श्रीमती विमला देवी की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है, इस तथ्य पर अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री चुंडावत द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है और इस प्रकार मृत्युसमीक्षा आदि से संबंधित साक्ष्य अन्यथा भी औपचारिक प्रकृति का है, अत: इसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है ।

10. डा. ज्ञान प्रकाश महेश्वरी (अभि. सा. 4), एम. जी. अस्पताल भीलवाड़ा द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के सदस्य हैं जिन्होंने दोनों शवों का शवपरीक्षण किया है और श्रीमती विमला देवी की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-39) और श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-40) जारी की हैं । दोनों मृतकों को अनेक छिन्न घाव कारित हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव होने से मृत्यु हुई है । इस प्रकार यही निष्कर्ष निकलता है कि दोनों मृतकों की हत्या किसी धारदार आयुध से की गई है ।

11. डा. आलोक मित्तल (अभि. सा. 6) इस मामले में प्रथम इत्तिलाकर्ता है । इस साक्षी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों के अनुरूप साक्ष्य दिया है और रिपोर्ट (प्रदर्श पी-41) तथा अन्वेषण के दौरान तैयार किए गए अन्य दस्तावेज जैसे स्थल नक्शा, घटनास्थल पर पाई गई वस्तुओं से संबंधित अभिग्रहण ज्ञापन, दोनों शवों

का पंचनामा अर्थात् मृत्युसमीक्षा, वस्त्रों से संबंधित अभिग्रहण ज्ञापन आदि साबित किए हैं । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि शवपरीक्षण करने के पश्चात् शवों पर पाए गए आभूषण उसे सौंपे गए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि तलाशी के दौरान दोनों मृतकों के मोबाइल फोन घर में नहीं पाए गए । इस साक्षी ने अपीलार्थी चन्द्र शेखर की शनाख्त करते हुए यह कथन किया है कि वह दोनों मृतकों के यहां ड्राइवर के रूप में काम करता था । इस साक्षी ने मोबाइल बिल (प्रदर्श पी-45) साबित किया है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह गोपाल गूजर और चंदा को जानता था । उसके श्वसुर द्वारा नियोजित किया गया अंतिम ड्राइवर गोपाल गूजर था । उसने तारीख 3 मार्च, 2011 को गोपाल गूजर और चंदा को एक साथ नहीं देखा था । वे तारीख 4 मार्च, 2011 को भी घटनास्थल पर नहीं आए । उसकी पत्नी के मोबाइल नम्बर के अंतिम पांच अंक 78181 श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल थे । यह घटना अपराह्न 8.45 से 9.00 बजे के बीच घटित हुई है । भगवती प्रसाद का मोबाइल नम्बर 9983306054 है । इस साक्षी ने यह इनकार किया है कि उसकी पत्नी ने घटना के दिन पांच सेकेण्ड के लिए अपराह्न 9 बजकर 8 मिनट 22 सेकेण्ड पर श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल से उसके मोबाइल नम्बर पर बात की थी । पुलिस के पहुंचने के पूर्व घर का मुख्य द्वार का ताला तोड़कर खोला गया था । जब वे घर में प्रवेश कर रहे थे तब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची । इस साक्षी ने गोपाल गूजर और चंदा पर संदेह नहीं किया है । उसे यह नहीं मालूम है कि गोपाल गूजर कहां रहता है । चंदा सेन कई वर्षों से उसके श्वसुर के घर में नौकरानी का काम करती थी । पुलिस ने नौकरानी से भी पूछताछ की थी । पुलिस चन्द्र शेखर को 18 जून, 2011 के पहले उसके समक्ष लेकर नहीं आई थी और न ही इसके पूर्व कोई अन्वेषण संबंधी कार्यवाही की गई थी । इस साक्षी ने यह इनकार किया है कि पुलिस ने उसे घटना से 8-10 दिन पूर्व 5 से 7 लड़के दिखाए थे और यह कि अभियुक्त चन्द्र शेखर उनमें से एक था । इस साक्षी ने 18 जून, 2011 के पूर्व पुलिस को मोबाइल बिल (प्रदर्श पी-45) नहीं दिया था । इस साक्षी ने तारीख 15 जून, 2011 को पुलिस को

मोबाइल फोन का आई. एम. ई. आई. नम्बर नहीं दिया था । मोबाइल बिल (प्रदर्श पी-45) के अतिरिक्त उसने पुलिस को कोई भी दस्तावेज नहीं दिया । इस साक्षी ने पुलिस के मांगने पर ही पुलिस को मोबाइल बिल (प्रदर्श पी-45) दिया था । श्रीमती विमला देवी ने जो सोने और चांदी के आभूषण पहने हुए थे वे मृत्यु के समय उसके शव पर पाए गए । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने मोबाइल फोन, जिसका बिल (प्रदर्श पी-45) है, के चोरी हो जाने से संबंधित कोई भी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई ।

12. श्रीमती सीमा मित्तल दोनों मृतकों की पुत्री है जिसकी परीक्षा अभि. सा. 7 के रूप में कराई गई है । इस साक्षी द्वारा दिए गए कथन में महत्वपूर्ण जानकारी केवल यह है कि पुलिस ने अभियुक्त-अपीलार्थी को तारीख 18 जून, 2011 को पकड़ा था और इसके पश्चात् उसने ड्राइवर की हाजिरी से संबंधित रजिस्टर और नोकिया मोबाइल फोन का बिल अन्वेषण अधिकारी को दिया था । इस साक्षी ने श्री भगवती प्रसाद के हस्तलेख की शनाख्त रजिस्टर (प्रदर्श पी-47) में की है । घर में तलाशी के दौरान अभियुक्त चन्द्र शेखर को किए गए भुगतान से संबंधित कोई भी वाउचर न ही उसका कोई पहचान पत्र या ड्राइवर लाइसेंस आदि पाया गया है । इस साक्षी ने चन्द्र शेखर की शनाख्त उसके पिता द्वारा नियोजित किए गए चालक के रूप में की गई है । इस साक्षी ने मोबाइल सैट (तात्विक वस्तु-1) की शनाख्त की है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि तारीख 18 जून, 2011 को पुलिस ने उनसे मोबाइल फोन बरामद किया था और इस फोन से संबंधित कॉल रिकार्ड और बिल, यदि उपलब्ध हो, मांगा था । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने स्वयं कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) को मोबाइल फोन दिया था । इस साक्षी को एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया है कि उसका सिम तारीख 3 मार्च, 2011 से 17 मई, 2011 के बीच सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि तारीख 18 जून, 2011 को रजिस्टर (प्रदर्श पी-47) और मोबाइल बिल (प्रदर्श पी-45) पुलिस को सौंपे गए थे । इस साक्षी ने यह इनकार किया है कि

उसने तारीख 20 जून, 2011 को चन्द्र शेखर के वाउचर और आवेदन पत्र आदि दस्तावेज पुलिस को दिए थे और साथ ही इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि उसे यह दस्तावेज मिले ही नहीं थे । उसने अभियुक्त के गिरफ्तार होने के पश्चात् मोबाइल बिल तलाश किया था जो उसने पुलिस को दे दिया था ।

13. चूंकि यह मामला एकमात्र रूप से बरामदगी जैसे पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है इसलिए अभियोजन साक्षियों में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी कोई और नहीं अपितु अन्वेषण अधिकारी श्री राजाराम (अभि. सा. 20) है जिसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और आगे इस मामले का अन्वेषण राहुल जोशी (अभि. सा. 25) द्वारा किया गया, इस प्रकार इन साक्षियों के साक्ष्य पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए । राहुल जोशी (अभि. सा. 25) के कथन से महत्वपूर्ण तथ्य यह उद्धृत होता है कि अन्वेषण के आरंभ में घटना घटित होने के तत्काल पश्चात् की गई कार्यवाही के दौरान दाएं हाथ की हथेली की छाप प्राप्त की गई और न्यायालयिक दल द्वारा ज्ञापन प्रदर्श पी-114 के अनुसार अभिगृहीत किया गया । इस साक्षी ने अपनी प्रति-परीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने मृतक द्वारा नियोजित किए गए सभी ड्राइवरों और नौकरों से पूछताछ की थी किंतु उनमें से कोई भी व्यक्ति इस अपराध में अन्तर्वलित नहीं पाया गया और इसलिए उसने उनमें से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि न्यायालयिक दल द्वारा प्राप्त की गई हथेली की छाप (प्रदर्श पी-114) किसी भी ड्राइवर से मेल न खा सकी और इस प्रकार इस संबंध आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । अंगुलियों की छाप धुंधली पाई गई थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घटनास्थल से प्राप्त की गई अंगुलियों की छाप से ऐसा कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है जिसके आधार पर इस मामले में अभियुक्त को आलिप्त किया जा सके ।

14. अब हम राजाराम (अभि. सा. 20) के साक्ष्य पर विचार करेंगे जो तारीख 9 अप्रैल, 2011 को पुलिस थाना सटी कोतवाली में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था । श्री राहुल जोशी (अभि. सा. 25) द्वारा इस

मामले का अन्वेषण अभि. सा. 20 को सौंप दिया गया । अभि. सा. 20 ने यह कथन किया है कि उसने श्रीमती विमला देवी और श्री भगवती प्रसाद के मोबाइल फोनों को, जो घटनास्थल से लापता हो गए थे, तलाश करने पर अधिक ध्यान दिया । श्रीमती विमला देवी के मोबाइल फोन के आई. एम. ई. आई. नम्बर को संचारित किया गया और यह पता चला कि इस मोबाइल फोन में जगदीश पुत्र श्री जगन्नाथ धाकड़ निवासी भगवानपुरा का सिम नम्बर 9829969282 काम कर रहा है । इस साक्षी ने इस संबंध में कार्यवाही आरंभ की । जगदीश उसके पुत्र कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) ने इस साक्षी से तारीख 15 जून, 2011 को संपर्क किया । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 20) ने उक्त मोबाइल फोन के बारे में मालूम किया जिस पर कमलेश धाकड़ ने तारीख 18 मई, 2011 का विक्रय विलेख प्रस्तुत किया जिस पर यह लिखा हुआ था कि चन्द्र शेखर शर्मा पुत्र बाबू लाल शर्मा निवासी सीया खेड़ी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ़ ने मोबाइल फोन (आई. एम. ई. आई. सं. 351542047173303) श्री कमलेश धाकड़ पुत्र श्री जगदीश धाकड़ निवासी भगवानपुरा, जिला चित्तौड़गढ़ को 1,400/- रुपए में बेचा है । श्री कमलेश धाकड़ ने वह मोबाइल फोन अन्वेषण अधिकारी को दे दिया । जांच करने पर उक्त मोबाइल फोन का आई. एम. ई. आई. नम्बर वही पाया गया जो मृतका श्रीमती विमला देवी के मोबाइल फोन का था । श्री राजाराम (अभि. सा. 20) ने एक पत्र पुलिस उपाध्यक्ष भीलवाड़ा को लिखा जिसमें उन्होंने श्री भगवती प्रसाद और श्रीमती विमला देवी द्वारा प्रयोग किए गए मोबाइल फोनों की कॉल-डिटेल मांगी जिन्हें अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के दौरान प्राप्त करने के पश्चात् प्रदर्श पी-117 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । अभियुक्त मोबाइल नम्बर 8107154329 का प्रयोग करते हुए पाया गया है । सिम नम्बर 8107154329 से संबंधित कॉल-डिटेल और टावर-लोकेशन प्राप्त की गई जिनके अनुसार वह फोन तारीख 3 मार्च, 2011 को अपराह्न 12.32.37 बजे करुंडा, तहसील छोटी सदवी, जिला चित्तौड़गढ़ में चालू हालत में पाया गया । इसके पश्चात् इस मोबाइल नम्बर की लोकेशन भीलवाड़ा बाईपास, पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ में पाई गई । दोनों लोकेशनों के

दौरान मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ पाया गया । अन्वेषण अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त ने जानबूझकर अपना मोबाइल फोन अपनी स्थिति को छिपाने के लिए ऑफ किया था । इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) द्वारा प्रस्तुत किए गए मोबाइल फोन को अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-98) के अनुसार अभिगृहीत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 और 407 के अधीन अपराध साबित पाए गए और उसे गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-92) के अनुसार तारीख 16 जून, 2011 को गिरफ्तार किया गया । कमलेश धाकड़ का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया गया । तारीख 18 जून, 2011 को श्रीमती सीमा द्वारा मोबाइल फोन (आई. एम. ई. आई. सं. 351542047173303) का बिल प्रस्तुत किया गया और इसे अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-44 के अनुसार अभिगृहीत किया गया । श्रीमती सीमा द्वारा ड्राइवर-हाजिरी रजिस्टर भी प्रस्तुत किया गया जिसे अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-47 द्वारा अभिगृहीत किया गया और इस रजिस्टर में अभियुक्त-अपीलार्थी चन्द्र शेखर की हाजिरी जनवरी और फरवरी, 2011 के कॉलम में लगी हुई थी । तारीख 25 जून, 2011 को श्रीमती सीमा ने ड्राइवरों के वेतन वाउचर (प्रदर्श पी-48) प्रस्तुत करने के लिए आवेदन किया और इन वाउचरों को फाइल में लगा दिया गया । अन्वेषण अधिकारी ने यह दावा किया है कि अभियुक्त चन्द्र शेखर ने उसे घटनास्थल की निशानदेही करने के लिए सूचना दी थी और इसके अनुसरण में अभियुक्त द्वारा घटनास्थल की पुष्टि कराई गई और इस संबंध में ज्ञापन प्रदर्श पी-43 तैयार किया गया । इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि जैसा कि घटनास्थल घटना की तारीख से ही अन्वेषण अधिकारी को घटनास्थल की जानकारी थी, इसलिए कोई भी नई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी और घटनास्थल का अभियुक्त द्वारा पता बताया जाना महत्वपूर्ण नहीं है । अन्वेषण अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि तारीख 16 जून, 2011 को अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् अभियुक्त ने उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा

27 के अधीन सूचना (प्रदर्श पी-120) दी जिसमें उसने यह प्रकट किया कि उसने भगवती प्रसाद का सिम के साथ मोबाइल फोन और चैनल गेट की चाबी तथा जंजीर चार लेन वाली सड़क के किनारे हमीरगढ़ के निकट फेंक दिए थे और वह उस जगह की निशानदेही कर सकता है । अन्वेषण अधिकारी ने इस स्थान का स्थल नक्शा तैयार किया किंतु कोई भी सिम या कोई भी जंजीर आदि वहां से बरामद नहीं हुई और इस प्रकार इस संबंध में अभियुक्त द्‌वारा दी गई जानकारी व्यर्थ साबित हुई । अन्वेषण अधिकारी ने यह भी दावा किया है कि अभियुक्त ने उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन एक अन्य जानकारी और दी थी जिसे तारीख 19 जून, 2011 को ज्ञापन प्रदर्श पी-121 के रूप में अभिलिखित किया गया जिसके द्‌वारा अभियुक्त ने अन्वेषण अधिकारी को अभिकथित रूप से यह बताया कि उसने अपराध में प्रयोग किए गए चाकू को एक छोटे डिब्बे में रखकर छिपा दिया था जो ग्राम सीया खेड़ी, प्रतापगढ़ रोड पर स्थित उसके घर के भीतरी कमरे में पड़ा हुआ है । अन्वेषण अधिकारी ने यह दावा किया है कि उसने इस जानकारी के आधार पर ग्राम सीया खेड़ी में स्थित अभियुक्त के मकान की ओर अभियुक्त के साथ प्रास्थान किया जो अभिकथित रूप से अपने मकान के भीतर गया और उसने मकान के भीतरी कमरे में पड़े हुए छोटे से डिब्बे में से एक रक्तरंजित चाकू निकाल कर दिया । इस चाकू को अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-100 के अनुसार अभिगृहीत किया गया । इसी प्रकार, अन्वेषण अधिकारी को अभियुक्त द्‌वारा दी गई एक अन्य जानकारी (प्रदर्श पी-122) के अनुसार उसके रक्तरंजित कपड़े भी अभिगृहीत किए गए जो घर में रखे हुए लोहे के संदूक में छिपाए हुए थे । इस जानकारी को ज्ञापन प्रदर्श पी-122 के रूप में अभिलिखित किया गया और रक्तरंजित कपड़ों को अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-102 के रूप में अभिगृहीत किया गया । अभियुक्त ने तारीख 25 जून, 2011 को अन्वेषण अधिकारी को एक अन्य जानकारी और दी जिसमें उसने यह बताया कि उसने अपराध कारित करने के पश्चात् वह आवेदन अपने पास संभाल कर रख लिया था जो उसने रोजगार पाने के लिए श्री भगवती प्रसाद को दिया था । इसके साथ उसने अपने ड्राइवर लाइसेंस की फोटो

कॉपी और वेतन वाउचर आदि भी उस फाइल से निकाल लिए थे जो श्री अग्रवाल द्वारा तैयार की गई थी और अभियुक्त-अपीलार्थी ने इन दस्तावेजों को ग्राम सीया खेड़ी में स्थित अपने मकान में छिपा दिए थे । इस जानकारी के अनुसरण में अन्वेषण अधिकारी ने इन दस्तावेजों को ज्ञापन प्रदर्श पी-105 के अनुसार बरामद करने का दावा किया है । अभियुक्त द्वारा अन्वेषण अधिकारी को एक जानकारी (प्रदर्श पी-125) भी दी गई है जिसमें अभियुक्त ने यह बताया है कि उसने अपना मोबाइल फोन छिपा दिया था जिसमें सिम नम्बर 8107154329 काम कर रहा है । तथापि, इस जानकारी के अनुसरण में कोई भी मोबाइल फोन या सिम बरामद नहीं किया गया और अभियुक्त द्वारा केवल घटनास्थल की ही शनाख्त की गई है ।

15. ऊपर उल्लिखित संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन निम्न परिस्थितियों पर आधारित है – (I) इस अभिकथन से हेतु का पता चलता है कि मृतक भगवती प्रसाद अग्रवाल ने अभियुक्त को ड्राइवर की नौकरी से निकाल दिया था और इस प्रकार उसके मन में दुर्भावना पैदा हो गई थी और यह हत्या प्रतिशोध की भावना से की गई है, (II) अपराधजन्य वस्तुओं की बरामदगी इस प्रकार है – (i) मृतका श्रीमती विमला के मोबाइल फोन का सिम कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) द्वारा प्रयोग में पाया गया जिसने इस मोबाइल फोन को खरीदने से संबंधित विक्रय विलेख (प्रदर्श पी-97) प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अभियुक्त ने श्रीमती विमला देवी के मोबाइल फोन को उक्त कमलेश धाकड़ को बेचा था और अभियुक्त ने यह मोबाइल फोन हत्या के समय चोरी किया था ; (ii) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दी गई जानकारी के आधार पर अपराध में प्रयोग किए गए हथियार अर्थात् चाकू की बरामदगी ; (iii) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दी गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त के रक्तरंजित कपड़ों की बरामदगी ; (iv) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दी गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त के नियोजन संबंधी

दस्तावेज और वेतन वाउचरों की बरामदगी, (III) न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-26) से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त के कपड़े रक्तरंजित पाए गए थे जिन पर ए-पॉजिटिव और ओ-पॉजिटिव ग्रुप वाला रक्त लगा हुआ था । अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के आधार पर जो चाकू बरामद किया गया था उस पर ए-पॉजिटिव ग्रुप वाला मानव-रक्त पाया गया और मृतक श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल का रक्त ग्रुप ओ-पॉजिटिव था क्योंकि यही रक्त-ग्रुप मृतक के कपड़ों पर पाया गया और श्रीमती विमला देवी का रक्त-ग्रुप ए-पॉजिटिव था जो कि उसके कपड़ों पर पाए गए रक्त-ग्रुप से मेल खाता है ।

16. अभियोजन पक्ष ने यह दावा किया है कि अपराधजन्य परिस्थितियों को जोड़ने वाली ये ऐसी मजबूत कड़ियां हैं जिनसे एकमत रूप से अभियुक्त के दोषी होने का पता चलता है । अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई परिस्थितियां अभियुक्त के दोषी होने के साथ संगत हैं और वे उसके निर्दोष होने या अन्य किसी व्यक्ति के दोषी होने के साथ पूरी तरह असंगत हैं । इसके प्रतिकूल प्रतिरक्षा पक्ष का यह प्रतिवाद है कि न तो हेतु का अभिकथन किसी भी ठोस साक्ष्य से साबित किया गया है और न ही किसी समुचित साक्ष्य के आधार पर बरामदगी साबित की गई है, इस प्रकार अभियुक्त इस आधार पर दोषसिद्ध किए जाने का हकदार है कि परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला नहीं बनती है और यह संदेह के परे साबित भी नहीं होती है ।

17. पहली परिस्थिति जिस पर विचार किया जाना अपेक्षित है वह अभियुक्त द्वारा कारित अपराध के हेतु को साबित करने से संबंधित है । इस संबंध में, हमने प्रथम इत्तिलाकर्ता अर्थात् डा. आलोक मित्तल (अभि. सा. 6) और श्रीमती सीमा (अभि. सा. 7) जो मृतकों के दामाद और पुत्री हैं, के साक्ष्य का परिशीलन किया है । ये दो ऐसे मात्र साक्षी हैं जो अभियुक्त के हेतु को साबित कर सकते थे । इन दोनों साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने यह अभिकथन नहीं किया है कि अभियुक्त को श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया था या यह कि अभियुक्त के मन में इस आधार पर मृतक के प्रति दुर्भावना थी ।

हाजिरी-रजिस्टर (प्रदर्श पी-47) से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी चन्द्र शेखर केवल एक मास अर्थात् बहुत थोड़े समय के लिए ही मृतक द्वारा ड्राइवर के रूप में नियोजित किया गया था । इस रजिस्टर से यह भी उपदर्शित होता है कि मृतक को जल्दी-जल्दी ड्राइवर बदलने की आदत थी । इस प्रकार, न्यायालय के इस समाधान के लिए ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं कि अभियुक्त के मन में किसी भी समय मृतक श्री भगवती प्रसाद के प्रति दुर्भावना थी, ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त ने प्रतिशोध की भावना के साथ दोहरी हत्या की है । स्पष्टत: अभियुक्त द्वारा किसी भी मूल्यवान वस्तु अर्थात् आभूषण की लूट कारित नहीं की गई है और इस प्रकार ये हत्याएं निश्चित रूप से लाभ पाने के लिए नहीं की गई हैं । अत: अपराध के हेतु से संबंधित साक्ष्य पूर्णतया अस्वीकार्य और अविश्वसनीय है ।

18. हमने जिस प्रकार घटनाक्रम का ऊपर उल्लेख किया है, उससे यह पता चलता है कि अन्वेषण अधिकारी ने यह दावा किया है कि मृतकों के मोबाइल फोनों की कॉल-डिटेल प्राप्त करने पर उससे यह पता चला कि मृतकों के एक मोबाइल फोन का प्रयोग कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) द्वारा किया जा रहा था जिससे पुलिस ने संपर्क किया और इस साक्षी ने अन्वेषण अधिकारी को इस मोबाइल फोन के खरीदने से संबंधित विक्रय विलेख (प्रदर्श पी-97) प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अभियुक्त ने अभिकथित रूप से यह मोबाइल फोन साक्षी कमलेश धाकड़ को बेचा था । यह संपूर्ण घटनाक्रम पूर्णतया अस्वाभाविक और अविश्वसनीय है जिसे कायम नहीं रखा जा सकता । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि जब शवों की जांच की गई तब यह पाया गया कि श्रीमती विमला देवी के शव पर आभूषण मौजूद थे । न तो प्रथम इत्तिलाकर्ता डा. आलोक मित्तल (अभि. सा. 6) और न ही श्रीमती सीमा (अभि. सा. 7) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या अपने साक्ष्य में यह दावा किया है कि इस घटना में किसी भी कीमती सामान की चोरी की गई है । विस्तृत लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-41) में न तो दोनों मृतकों के मोबाइल नम्बरों का उल्लेख है और न ही उस रिपोर्ट में यह अभिकथित है कि

कोई मोबाइल फोन लापता है । श्रीमती सीमा ने तारीख 25 जून, 2011 को थानाध्यक्ष के समक्ष एक आवेदन (प्रदर्श पी-48) प्रस्तुत किया जिसमें उसने यह अभिकथन किया कि चन्द्र शेखर, ड्राइवर की नौकरी के लिए दिए गए आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, पहचान-पत्र और वेतन-वाउचर को उसके पिता के रजिस्टर से निकाल कर ले गया है । श्रीमती सीमा ने तारीख 18 जून, 2011 को मोबाइल फोन (नोकिया 2720) का बिल भी अन्वेषण अधिकारी को प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में यह अभिकथन किया गया है कि इस फोन का प्रयोग मृतका श्रीमती विमला द्वारा किया गया था । यह बिल अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-44) के अनुसार अभिगृहीत किया गया है । तथापि, इस समय तक ऐसा कोई भी अभिकथन सामने नहीं आया कि श्रीमती विमला का मोबाइल फोन लापता है । यह सत्य है कि प्रथम इत्तिलाकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि दोनों मृतकों के मोबाइल फोन तलाशी के दौरान घर में पाए गए थे । किंतु हमारा यह मत है कि यह लोप बहुत गंभीर है और प्रथम इत्तिलाकर्ता प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख करने से नहीं चूकता । प्रथम इत्तिलाकर्ता डा. आलोक मित्तल (अभि. सा. 6) से उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया जिस पर उसने यह स्वीकार किया कि उसने मोबाइल फोनों के लापता हो जाने वाली बात का उल्लेख लिखित रिपोर्ट में नहीं किया था । मृतकों के मोबाइल फोनों की बरामदगी से संबंधित परिस्थिति, जो अन्वेषण अधिकारी और कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) द्वारा साबित की गई है इतनी अधिक अविश्वसनीय है कि उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता । यह घटना तारीख 3 मार्च, 2011 को घटित हुई है । मोबाइल फोन अभिकथित रूप से अभियुक्त द्वारा कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) को बेचा गया था और इस संबंध में विक्रय विलेख (प्रदर्श पी-97) निष्पादित किया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा दो साक्षियों अर्थात् विनोद धाकड़ (अभि. सा. 23) और कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) की परीक्षा मोबाइल फोन के विक्रय से संबंधित तथ्य को साबित करने के लिए कराई गई है । विनोद धाकड़ (अभि. सा. 23) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि

फोन तारीख 18 अप्रैल, 2012 को बेचा गया था जबकि कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) ने यह कथन किया है कि उसने तारीख 18 मई, 2011 को मोबाइल फोन चन्द्र शेखर से क्रय किया था । विद्वान् लोक अभियोजक ने इस फर्क को दूर करने के लिए किसी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया है ।

19. जैसाकि हमने पहले ही ऊपर चर्चा की है कि अभियुक्त ने हत्या कारित करने के पश्चात् मृतक के आभूषणों की चोरी करने का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया है । आभूषण मोबाइल फोन से कहीं अधिक मूल्यवान हैं । इस प्रकार यह पूर्णतया अविश्वसनीय है कि अभियुक्त मृतक का मोबाइल फोन इस जोखिम के साथ चोरी करके ले जाएगा कि वह उसके कब्जे से बरामद भी किया जा सकता है । विक्रय विलेख (प्रदर्श पी-97) स्पष्ट रूप से अन्वेषण अधिकारी के कहने पर मामले को सुलझाया हुआ दिखाने के लिए गढ़ा गया है । शिकायतकर्ता का यह दावा है कि मोबाइल फोन तलाशी के दौरान लापता पाए गए थे और इसके बावजूद इसके तत्काल पश्चात् पुलिस को कोई भी संसूचना नहीं दी गई ; और मोबाइल फोन का बिल अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने के दो दिन बाद अर्थात् 18 जून, 2011 को प्राप्त किया गया था ; इससे यह संदेह होता है कि यह संपूर्ण कहानी अन्वेषण अधिकारी द्वारा गढ़ी गई है । अन्वेषण अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार कोई भी प्रयास अभियुक्त के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया है ताकि बरामद किए गए दस्तावेजों पर पाए गए अभियुक्त के हस्ताक्षरों की पुष्टि हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा की जाती । इस अभिकथन से, कि अभियुक्त ने वेतन वाउचर, पहचान-पत्र और अपनी नौकरी के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र को मृतक भगवती प्रसाद अग्रवाल के अभिलेख से निकाल लिए थे, यह दर्शित होता है कि उसने अपराध कारित करते समय अत्यंत चतुराई से काम लिया है ।

20. इस पृष्ठभूमि में इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि अभियुक्त मृतक का फोन चोरी करके अपने पास रखे । तथाकथित विक्रय विलेख (प्रदर्श पी-97) ऐसा दस्तावेज है जिस पर विश्वास नहीं

किया जा सकता । इस बात का भी कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि मात्र 1,400/- रुपए की कीमत वाले मोबाइल फोन को खरीदने के लिए कोई विक्रय विलेख निष्पादित किया जाए । विक्रय विलेख के सरसरी तौर पर परिशीलन करने से ही यह उपदर्शित होता है कि यह दस्तावेज बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है जिससे न्यायालय के मन में घोर संदेह होता है कि यह दस्तावेज अन्वेषण अधिकारी द्वारा किसी प्रकार यह दर्शाने के लिए तैयार किया गया है कि उसने इस मामले में सही दोषी का पता लगा लिया है । इस पृष्ठभूमि में, हम अभियोजन पक्ष के इस दावे से कतई सहमत नहीं हैं कि हत्या कारित किए जाने के पश्चात् अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से मृतक के घर से मोबाइल फोन चोरी किया गया है और यह कि उसने इस मोबाइल फोन को कमलेश धाकड़ (अभि. सा. 26) को बेचा है और यह कि इस विक्रय को साबित करने के लिए विक्रय विलेख तैयार किया गया है । अभियोजन पक्ष ने कॉल-डिटेल और टावर-डिटेल का भी प्रयोग किया है ताकि ऐसा मामला बनाया जा सके कि घटना के समय पर या उस समय के निकट अभियुक्त की लोकेशन भीलवाड़ा में थी । यह कहना पर्याप्त होगा कि कॉल-डिटेल से संबंधित अन्वेषण अधिकारी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख के अधीन मोबाइल नेटवर्क विभाग कोई भी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे न्यायालय का यह समाधान हो सके कि जिस फोन नम्बर की कॉल-डिटेल प्राप्त की गई है, वह अभियुक्त का है ।

21. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण अपराधजन्य परिस्थिति प्रस्तुत की है वह अभियुक्त के घर से, उसके द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दी गई जानकारी के आधार पर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन रक्तरंजित कपड़ों, और रक्तरंजित चाकू की बरामदगी है । इस संबंध में, यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि यह घटना मार्च, 2011 में घटित हुई है । अभियुक्त को काफी विलंब से अर्थात् 16 जून, 2011 को गिरफ्तार किया गया है और इस प्रकार उसके पास रक्तरंजित कपड़ों और रक्तरंजित चाकू को नष्ट करने का पर्याप्त समय और अवसर था और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह इन सब वस्तुओं को लंबे समय तक अपने पास रखेगा

ताकि बाद में पुलिस उससे बरामद कर सके । अभियोजन पक्ष की इस कहानी पर विचार करने पर, कि अभियुक्त ने मृतक के घर से उन अपराधजन्य दस्तावेजों की तलाश अत्यंत सूक्ष्मता के साथ की है जिनमें उसका नाम अभिलिखित था और वह उन दस्तावेजों को वहां से निकाल कर ले गया, स्पष्ट रूप से यही संकेत मिलता है कि अभियुक्त ने बड़ी चतुराई से अपराधी कार्य प्रणाली का प्रयोग किया है । इस प्रकार, यह पूर्णतया अविश्वसनीय है कि इतनी तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति होने के बावजूद अभियुक्त रक्तरंजित वस्तुओं को अपने मकान में रखेगा ताकि अन्वेषण अधिकारी बाद में कभी आकर बरामद कर ले । अतः, अभियुक्त को अपराध से संबद्ध करने के लिए, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिकथित रूप से की गई रक्तरंजित वस्तुओं की बरामदगी के साक्ष्य की विश्वसनीयता से संतुष्ट नहीं है । अन्वेषण अधिकारी ने आरोप पत्र और अपने साक्ष्य में यह तत्वरहित कथन किया है कि घटनास्थल पर पाए गए अंगुलियों और हथेलियों के चिह्न धुंधले थे और इसलिए वे जांच किए जाने के लिए घटनास्थल से नहीं उठाए गए । प्रथमतः हमारी यह राय है कि अंगुलियों के चिह्न धुंधले थे या नहीं, इसका विनिश्चय केवल फिंगरप्रिंट ब्यूरो द्वारा ही किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त कागज की पर्ची (प्रदर्श पी-73), कंघे के खोल (प्रदर्श पी-80 और प्रदर्श पी-81) तथा दीवार (प्रदर्श पी-83) पर पाई गई अंगुलियों और हथेलियों की छाप के फोटोग्राफ में अंगुलियों के निशानों को खाली आंखों (बिना किसी यंत्र की सहायता के) से देखा जा सकता है, अतः हमारा यह मत है कि अंगुलियों और हथेलियों की छाप पूर्णतया स्पष्ट थी । इस प्रकार अन्वेषण अधिकारी द्वारा इन निशानों को प्राप्त करने और उनकी जांच कराने के प्रयास का लोप करना यह दर्शाता है कि उसने निष्पक्ष रूप से अन्वेषण नहीं किया है । इस प्रकार, हमारी यह दृढ़ राय है कि अभियोजन पक्ष एक भी अपराधजन्य परिस्थिति साबित नहीं कर सका है जिसके आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सके ।

22. कई विनिश्चयों में यह विधि सुस्थापित की गई है कि केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले हैं । अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्ष्य की सभी कड़ियों को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि ऐसी परिस्थिति की श्रृंखला सृजित हो जाए जिससे

अकाट्य रूप से अभियुक्त का दोष साबित हो सके और वह परिस्थिति उसके निर्दोषिता के साथ असंगत हो । वर्तमान मामले में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए जिन परिस्थितियों का अवलंब लिया गया है वे पूर्णतया अविश्वसनीय हैं तथा अनुमान और अटकलों पर आधारित हैं जिन्हें बिल्कुल भी तर्कसम्मत नहीं कहा जा सकता है । हमारी राय में, आक्षेपित निर्णय अनुमान और अटकलों पर ही आधारित है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन और अभियुक्त-अपीलार्थी को उस पर लगाए गए आरोपों का दोषी अभिनिर्धारित करते समय भारी गलती की है ।

23. ऊपर की गई चर्चा के आधार पर यह अपील मंजूर किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा अनुज्ञात की जाती है । सेशन मामला सं. 05/2012 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश सं. 3, भीलवाड़ा द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2016 को पारित आक्षेपित निर्णय एतद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । वह जेल में है और यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल छोड़ा जाए ।

24. तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437क के अधीन उपबंधों को दृष्टिगत करते हुए अभियुक्त को विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष 15,000/- रुपए की राशि का स्वीय बंध-पत्र और इतनी ही राशि का प्रतिभूति बंध-पत्र निष्पादित करे जो 6 मास की अवधि तक इस आशय से प्रभावी रहेगा कि यदि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध कोई विशेष इजाजत याचिका फाइल की जाती है तब नोटिस की प्राप्ति पर अपीलार्थी उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश होगा । मामले का अभिलेख विचारण न्यायालय को तत्काल वापस भेजा जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

गतांक से आगे........

अनुसूची

(धारा 27 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति :

1. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, साधारणतया शिक्षा और विशिष्टतया कृषि विज्ञान में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से, बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

परंतु यदि कुलाध्यक्ष ऐसे सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता है तो वह बोर्ड से नई सिफारिशें मंगा सकेगा ।

(2) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुन: नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु कुलाधिपति, आपवादिक परिस्थितियों में अपने पद पर तब तक बना रह सकेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

कुलपति :

2. (1) कुलपति की नियुक्ति, खंड (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(i) सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार – अध्यक्ष ;

(ii) सदस्य के रूप में कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती जो संयोजक भी होगा ;

(iii) केन्द्रीय सरकार का एक नामनिर्देशिती ।

(3) कुलपति विश्वविद्‌यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पांच वर्ष की और अवधि के लिए या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, पुन: नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु कुलपति आपवादिक परिस्थितियों में, एक वर्ष से अनधिक अवधि तक या जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, अपने पद पर बना रह सकेगा ।

(5) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :-

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्‌वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के रख-रखाव की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा ;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो बोर्ड द्‌वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से समय-समय पर नियत किए जाएं :

परंतु जहां विश्वविद्‌यालय या उसके द्‌वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्‌यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्‌यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्‌यालय द्‌वारा चलाए जाने वाले या उससे संबद्ध किसी संस्था का कर्मचारी कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य-निधि में जिसका वह सदस्य है अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्‌यालय उस भविष्य-निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिस दर से व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था :

परंतु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा ;

(iii) कुलपति, भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के समतुल्य अधिकारियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर के अनुसार यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा । इसके अतिरिक्त वह पद ग्रहण करने तथा छोड़ने पर भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के समतुल्य अधिकारियों को यथा अनुज्ञेय स्थानांतरण यात्रा भत्ता और अन्य भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ;

(iv) कुलपति किसी कलैंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी को प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा :

परंतु यदि कुलपति आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पद ग्रहण करता है या छोड़ता है तो छुट्टी को अनुपातत: सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए ढाई दिन की दर से जमा किया जाएगा ;

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्धवेतन छुट्टी का भी हकदार होगा । इस अर्धवेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा । यदि परिवर्तित छुट्टी उपलब्ध है तो अर्धवेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा देय अर्धवेतन छुट्टी के प्रति विकलित की जाएगी ;

(vi) कुलपति, भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत और गृह यात्रा रियायत के लिए हकदार होगा ;

(vii) कुलपति, पद छोड़ने के समय भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी नकदीकरण के फायदे का हकदार होगा ।

(6) यदि मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा कुलपति का पद रिक्त हो जाता है अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो, यथास्थिति, ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष या निदेशक, कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता या कुलपति अपने पद के कर्तव्य नहीं संभाल लेता ।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य :

3. (1) कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त समिति, अनुसंधान परिषद् और विस्तारी शिक्षा परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकरण का सदस्य न हो ।

(3) कुलपति का यह देखना कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण करेगा और वह विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ।

(5) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसी किसी भी शक्ति का, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(6) कुलपति को बोर्ड, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद्, विस्तारी शिक्षा परिषद् और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी ।

महाविद्यालयों और संकायों के संकायाध्यक्ष :

4. (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो संबद्ध महाविद्यालय का प्रमुख भी होगा । यदि किसी संकाय में एक से अधिक महाविद्यालय हैं तो, कुलपति संकायाध्यक्षों में से किसी एक को संकाय का संकायाध्यक्ष नामनिर्देशित कर सकेगा ।

(2) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, परिनियम 18 के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(3) संकायाध्यक्ष, निःशुल्क किराया और असुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा ।

(4) संकायाध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु संकायाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उस हैसियत से पदधारण नहीं करेगा ।

(5) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो पद के कर्तव्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जा सकेंगे जिन्हें कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(6) संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय और संकाय में अध्यापन के मानकों के संचालन और अनुरक्षण के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(7) संकायाध्यक्ष, संकाय के अध्ययन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद् और विस्तारी शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य होगा ।

शिक्षा निदेशक :

5. (1) शिक्षा निदेशक, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति

की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) शिक्षा निदेशक, निःशुल्क किराया और असुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा ।

(3) शिक्षा निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस हैसियत से पद धारण नहीं करेगा ।

(4) शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में सभी शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा ।

अनुसंधान निदेशक :

6. (1) अनुसंधान निदेशक, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) अनुसंधान निदेशक, निःशुल्क किराया और असुसज्जित निवास स्थान का हकदार होगा ।

(3) अनुसंधान निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु अनुसंधान निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस हैसियत से पद धारण नहीं करेगा ।

(4) अनुसंधान निदेशक विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(5) अनुसंधान निदेशक विश्वविद्यालय की अनुसंधान-परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

विस्तारी शिक्षा निदेशक :

7. (1) विस्तारी शिक्षा निदेशक, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) विस्तारी शिक्षा निदेशक, नि:शुल्क किराया और असुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा ।

(3) विस्तारी शिक्षा निदेशक, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु विस्तारी शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस हैसियत से पद धारण नहीं करेगा ।

(4) विस्तारी शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के सभी विस्तारी शिक्षा कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा तथा अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(5) विस्तारी शिक्षा निदेशक, विश्वविद्यालय की विस्तारी शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

कुलसचिव :

8. (1) कुलसचिव की नियुक्ति परिनियम 18 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा । वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(2) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) वह पांच वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकेगा ।

(4) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(5) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हुए व्यक्ति की दशा में उसकी अवधि, उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन प्रतिनियुक्ति के निबंधनों के अनुसार होंगे ।

(6) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(7) (क) कुलसचिव को, ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध जिनके अंतर्गत शिक्षक नहीं हैं और जो बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी तथा उसे, ऐसी जांच के लंबित रहने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील, कुलपति को होगी ।

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट होता हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव जांच के पूरा होने पर कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा :

परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड को होगी ।

(8) कुलसचिव, बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा,

किंतु वह इन प्राधिकारणों में से किसी भी प्राधिकरण का सदस्य नहीं समझा जाएगा ।

(9) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो बोर्ड उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे ;

(ख) बोर्ड, विद्या-परिषद् के और उन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं जारी करे ;

(ग) बोर्ड, विद्या-परिषद् के और उन प्राधिकरणों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखें ;

(घ) बोर्ड और विद्या-परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे ;

(ङ) अध्यादेशों या अधिसूचनाओं द्वारा विहित रीति के अनुसार, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की, व्यवस्था करे ;

(च) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के अधिवेशनों की कार्यसूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, और ऐसे अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे और अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे ; और

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए ।

नियंत्रक :

9. (1) नियंत्रक, परिनियम 18 के अधीन गठित चयन समिति की

सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) नियंत्रक पांच वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकेगा ।

(4) नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं । किसी व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने की दशा में, उसकी पदावधि, उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन, प्रतिनियुक्ति के मानक के अनुसार होंगे :

परंतु नियंत्रक साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(5) जब नियंत्रक का पद रिक्त है या जब नियंत्रक, रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(6) नियंत्रक, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किंतु ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा ।

(7) नियंत्रक –

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा ; और

(ख) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों, अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जिनकी समय-समय पर बोर्ड या कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए ।

(8) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, नियंत्रक –

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके

अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उसका प्रबंध करेगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है ;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा ;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा ;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यालयों, विशेषित प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं के उपस्कर तथा उपयोज्य अन्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए ;

(छ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा ; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(9) नियंत्रक या बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत

व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद ; उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

विभागाध्यक्ष :

10. (1) कुलपति द्वारा नियुक्त प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो सह-आचार्य की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा तथा जिसके कर्तव्य तथा नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी ।

(2) वह अध्यापन के लिए संकायाध्यक्ष, अनुसंधान के लिए अनुसंधान निदेशक, विस्तारी शिक्षा कार्य के लिए विस्तारी शिक्षा निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा । तथापि, संकायाध्यक्ष संबद्ध महाविद्यालयों में विभागाध्यक्षों का प्रशासनिक नियंत्रक अधिकारी होगा :

परंतु यदि किसी विभाग में एक से अधिक आचार्य हैं तो विभागाध्यक्ष, कुलपति द्वारा आचार्यों में से नियुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे विभाग की दशा में, जहां केवल एक आचार्य है, कुलपति के पास यह विकल्प होगा कि या तो आचार्य को या सह-आचार्य को, विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करे :

परंतु यह और भी कि किसी ऐसे विभाग में जहां कोई आचार्य या सह-आचार्य नहीं है, वहां महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा या कुलपति के अनुमोदन से महाविद्यालय के किसी अन्य विभागाध्यक्ष को कर्तव्य सौंपेगा ।

(3) आचार्य या सह-आचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी ।

(4) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया आचार्य या सह-आचार्य उस रूप में तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुन: नियुक्ति का पात्र होगा ।

(5) विभागाध्यक्ष, अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा ।

(6) विभागाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(7) विभागाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा ।

पुस्तकालयाध्यक्ष :

11. (1) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति परिनियम 18 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं ।

प्रबन्ध बोर्ड का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य :

12. (1) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(i) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(ii) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि और पशुपालन, मत्स्य उद्योग और उद्यान कृषि विभागों के भारसाधक सचिवों में से चार सचिव चक्रानुक्रम से कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे :

परंतु किसी विशिष्ट समय पर किसी राज्य से दो से अधिक सचिव नहीं होंगे ;

(iii) दो ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(iv) कृषि आधारित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति या कृषि विकास में विशेष ज्ञान रखने वाला विनिर्माता जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला उप महानिदेशक (शिक्षा) ;

(vi) महाविद्यालय का एक संकायाध्यक्ष और एक निदेशक जो चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(vii) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में, कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले बुंदेलखंड में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति जिनके अंतर्गत कम से कम एक महिला भी होगी :

परंतु किसी विशिष्ट समय में बोर्ड में किसी राज्य से दो से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे ;

(viii) एक सलाहकार (कृषि), योजना आयोग ;

(ix) प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण प्रबंध में एक विशिष्टता-प्राप्त प्राधिकारी जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(x) संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के दो व्यक्ति जो क्रमश: कृषि और पशुपालन से संबंधित भारत सरकार के विभागों से हों ; जिन्हें भारत सरकार के संबद्ध सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(xi) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिव का नामनिर्देशिती ; और

(xii) विश्वविद्यालय का कुलसचिव – सचिव ।

(2) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(3) बोर्ड को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंध और प्रशासन करने तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक मामलों का, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन करने की शक्ति होगी ।

(4) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(i) अध्यापन और शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी उपलब्धियां अवधारित करना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिभाषित करना ;

(ii) ऐसे शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द को, जो आवश्यक हों, विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों और अन्य संस्थाओं के निदेशक और अध्यक्षों को इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना ;

(iii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्तियां करना ;

(iv) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना ;

(v) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना जो वह ठीक समझे ;

(vi) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना ;

(vii) विश्वविद्यालय के धन को, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में समय-समय पर विनिहित करना जिसके अंतर्गत ऐसे विनिधानों में समय-समय पर उसी प्रकार परिवर्तन करने की शक्ति है ;

(viii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना ;

(ix) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना ;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रद्द करना ;

(xi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना ;

(xii) परीक्षकों या विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं, सलाहकारों और विशेष कर्तव्यारूढ़ अन्य अधिकारियों की फीस, मानदेय, उपलब्धियां और यात्रा भत्ते नियत करना ;

(xiii) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना ;

(xiv) ऐसे विशेष इंतजाम करना जो छात्राओं के निवास और उनमें अनुशासन के लिए आवश्यक हों ;

(xv) अपनी शक्तियों में से कोई शक्ति जो वह ठीक समझे, कुलपति, संकायाध्यक्ष, निदेशक, कुलसचिव या नियंत्रक को या विश्वविद्यालय के अन्य ऐसे कर्मचारी या प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, प्रत्यायोजित करना ;

(xvi) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना ;

(xvii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विशेष कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों और विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना ; और

(xviii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उस अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएं ।

बोर्ड के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति :

13. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके छह सदस्यों से होगी ।

विद्या परिषद् का गठन और शक्तियां :

14. (1) विद्या परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) कुलपति, पदेन अध्यक्ष ;

(ii) विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष ;

(iii) विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक ;

(iv) विश्वविद्यालय का विस्तारी शिक्षा निदेशक ;

(v) शिक्षा निदेशक ;

(vi) चक्रानुक्रम आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(vii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से सहयोजित दो विख्यात वैज्ञानिक ;

(viii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सात विभागाध्यक्ष, जिसमें कम से कम एक प्रत्येक संकाय से हो ;

(ix) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, पदेन सचिव ।

(2) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

(3) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण की पद्धतियों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में सहकारी अध्यापन मूल्यांकन और शैक्षणिक स्तरों में सुधारों के बारे में निदेश देना ;

(ख) महाविद्यालयों के बीच समन्वय करना और शैक्षणिक मामलों पर समिति की स्थापना या नियुक्ति करना ;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी महाविद्यालय या बोर्ड द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना ; और

(घ) परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों के दिए जाने, फीस, रियायतों, सामुदायिक जीवन और हाजिर के संबंध में हों ।

विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति :

15. विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों से होगी ।

अध्ययन बोर्ड :

16. (1) प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड होगा ।

(2) प्रत्येक संकाय का अध्ययन बोर्ड निम्नलिखित रूप से गठित होगा :-

(i) संकायाध्यक्ष – अध्यक्ष ;

(ii) अनुसंधान निदेशक – सदस्य ;

(iii) विस्तारी शिक्षा निदेशक – सदस्य ;

(iv) संकाय के विभागों के सभी अध्यक्ष जो सह-आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे – सदस्य ;

(v) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विद्या परिषद् का एक प्रतिनिधि जो विशिष्ट संकाय से नहीं होगा ;

(vi) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कृषि शिक्षा प्रणाली से दो विख्यात वैज्ञानिक जो विश्वविद्यालय से नहीं होंगे ;

(vii) उच्चतम समग्र श्रेणी बिन्दु औसत (ओजीपीए) धारक एक अंतिम वर्ष का स्नातकोत्तर छात्र विद्यार्थी – सदस्य ;

(viii) संकाय का सहायक कुलसचिव (विद्या) – सदस्य ; और

(ix) शिक्षा निदेशक – सदस्य ।

(3) अध्ययन बोर्ड के कृत्य, विद्या परिषद् को संबद्ध संकायों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न उपाधियों के लिए विहित की जाने वाली पाठ्यचर्या की सिफारिशें करना और विहित अनुमोदित पाठ्यक्रमों के शिक्षण के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के लिए, जिनमें अनुसंधान उपाधियां नहीं हैं, परीक्षकों की नियुक्ति ;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय ।

वित्त समिति :

17. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का वित्तीय सलाहकार या उसका नामनिर्देशिती जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा ;

(iii) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति जिनमें कम से कम एक व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होगा ;

(iv) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति ; और

(v) विश्वविद्यालय का नियंत्रक – सदस्य-सचिव ।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके तीन सदस्यों से होगी ।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा ।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार होगा ।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, बोर्ड द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी ।

(7) नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होंगी (जिनके अंतर्गत, उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे) ।

चयन समिति :

18. (1) शिक्षकों, नियंत्रक, कुलसचिव, पुस्तकालयाध्यक्षों, महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों, निदेशकों तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही अन्य संस्थाओं के अध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिशें करने के लिए एक चयन समिति होगी ।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे ।

सारणी

1	2	3
क.	निदेशक/संकाय अध्यक्ष	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष । (ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती – सदस्य । (iii) तीन विख्यात वैज्ञानिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे जो कुलपति या समतुल्य (सेवारत या सेवानिवृत्त) पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे – सदस्य ।
ख.	आचार्य/समतुल्य	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष । (ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती – सदस्य । (iii) संबद्ध संकाय का संकायाध्यक्ष – सदस्य । (iv) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित अनुसंधान निदेशक या विस्तारी शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक – सदस्य । (v) तीन विख्यात विषय विशेषज्ञ जो विभागाध्यक्ष या समतुल्य (सेवारत या सेवानिवृत्त) से भिन्न पंक्ति के न हों और जिन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ।

1	2	3
ग.	सह-आचार्य/सहायक आचार्य/समतुल्य	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष । (ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती – सदस्य । (iii) संबद्ध संकाय का संकायाध्यक्ष – सदस्य । (iv) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षा निदेशक या अनुसंधान निदेशक या विस्तारी शिक्षा निदेशक – सदस्य । (v) संबद्ध विभाग का प्रमुख जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा – सदस्य । (vi) दो विख्यात शिक्षक या वैज्ञानिक जो आचार्य या समतुल्य (सेवारत या सेवानिवृत्त) की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे – सदस्य ।
घ.	कुलसचिव/नियंत्रक/ पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष । (ii) कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती – सदस्य । (iii) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक निदेशक/संकायाध्यक्ष – सदस्य । (iv) संबद्ध विषय के दो विशेषज्ञ जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे – सदस्य ।

(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में, उसका नामनिर्देशिती, चयन समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु चयन समिति के अधिवेशन कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशितियों के पूर्व परामर्श के पश्चात् नियत किए जाएंगे :

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य नहीं होंगी, जब तक कि कम से कम दो सदस्य, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, अधिवेशन में उपस्थिति न हों ।

(4) चयन समिति का अधिवेशन कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में उसके नामनिर्देशिती द्वारा बुलाया जाएगा ।

(5) चयन समिति द्वारा सिफारिश करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया साक्षात्कार से पूर्व समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी ।

(6) यदि बोर्ड चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेशों के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी ।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति से की जाएंगी –

(i) कुलपति को किसी व्यक्ति की अस्थायी आधार पर छह मास की अवधि के लिए नियुक्ति का प्राधिकार होगा जिसे बोर्ड के अनुमोदन से छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परंतु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि कार्य के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति द्वारा केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक अवधि के लिए की जा सकेगी ;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें संबद्ध महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा :

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे :

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से अध्यापन पदों में हुई अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा ;

(iii) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में उसका चयन नहीं कर लिया जाता ।

(8) अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए चयन समिति के गठन का ढंग, परिनियमों में विहित न होकर, अध्यादेशों द्वारा विहित होगा ।

नियुक्ति का विशेष ढंग :

19. (1) परिनियम 18 में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, आचार्य या सह-आचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगा ।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति :

20. बोर्ड, परिनियम 18 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, एक नियत अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

निदेशक, संकायाध्यक्ष, आचार्य आदि की अर्हताएं :

21. (1) विभिन्न्न संकायों के निदेशक, संकायाध्यक्ष, आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य और अनुसंधान तथा विस्तारी शिक्षा में उसके समतुल्यों की अर्हताएं अध्यादेशों द्वारा विहित होंगी ।

(2) अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद की अर्हताएं अध्यादेशों द्वारा विहित होंगी ।

समितियां :

22. (1) विश्वविद्यालय का प्राधिकरण, धारा 16 में विनिर्दिष्ट उतनी स्थायी या विशेष समितियां स्थापित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं ।

(2) उपखंड (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा पुष्टि के अध्यधीन किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए ।

शिक्षकों आदि की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता :

23. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसकी शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित होंगी ।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी ।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता :

24. विश्वविद्यालय के सभी अशैक्षणिक कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में समय-समय पर बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे ।

ज्येष्ठता सूची :

25. (1) जब कभी परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसकी श्रेणी में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो बोर्ड समय-समय पर, विहित करे ।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे ।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट श्रेणी में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से वह मामला बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला बोर्ड को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाया जाना :

26. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्त करने के लिए

सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और बोर्ड को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था :

परंतु यदि बोर्ड की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में बोर्ड और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी ।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय कर दिया गया हो, अन्यथा नहीं ।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है :

परंतु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था ।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी, –

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा ;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा :

परंतु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से ही प्रभावी होगा, जिसको, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है ।

मानद उपाधि :

27. (1) बोर्ड, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से सम्मानित उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगा :

परंतु आपातस्थिति की दशा में, बोर्ड स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानित उपाधि को वापस ले सकेगा ।

उपाधियों आदि का वापस लिया जाना :

28. बोर्ड, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा, किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि

या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगा :

परंतु ऐसा कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना न दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए और जब तक बोर्ड द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है ।

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना :

29. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी ।

(2) कुलपति सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह ठीक समझे, ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(3) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग में किसी पाठ्य़क्रम या पाठ्य़क्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे ऐसी रकम के जुर्माने से दण्डित किया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए ।

(4) महाविद्यालयों, संस्थाओं के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय

के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्‌यालयों, संस्थाओं और विश्वविद्‌यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन महाविद्‌यालयों, संस्थाओं और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों ।

(5) कुलपति, खंड (4) में विनिर्दिष्ट संकायाध्यक्षों और अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्‌यालय द्‌वारा बनाए जाएंगे । महाविद्‌यालयों, संस्थाओं के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्‌यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे जो वे उसमें पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझें ।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्‌यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है ।

महाविद्‌यालयों आदि के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना :

30. ऐसे महाविद्‌यालय या संस्था के बारे में, जो विश्वविद्‌यालय द्‌वारा चलाई जाती है, छात्रों से संबंधित अनुशासन तथा अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां, अध्यादेशों द्‌वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, महाविद्‌यालय या संस्था के संकायाध्यक्ष में निहित होंगी ।

दीक्षांत समारोह :

31. उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्‌यालय के दीक्षांत समारोह ऐसी रीति से आयोजित किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्‌वारा विहित की जाएं ।

कार्यकारी अध्यक्ष :

32. जहां किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिसके लिए इस प्रकार

अध्यक्ष का उपबंध किया गया है वह अनुपस्थित है, या कुलपति ने लिखित में कोई व्यवस्था नहीं की है, वहां उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे ।

त्यागपत्र :

33. बोर्ड, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा ।

निरर्हताएं :

34.(1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकरण में से किसी का सदस्य चुने जाने और होने के लिए निरर्हित होगा यदि –

(i) वह विकृतचित्त है ;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं होंगी ।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्त :

35. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा ।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता :

36. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय के सदस्य की अपनी हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, केवल तब तक ऐसा पद या सदस्यता धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है ।

पूर्व छात्र संगम :

37. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र संगम होगा ।

(2) पूर्व छात्र संगम का सदस्यता अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा ।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई भी सदस्य मतदान करने या निर्वाचन के लिए खड़े होने का तभी हकदार होगा जब वह निर्वाचन की तारीख से पहले कम से कम एक वर्ष तक उक्त संगम का सदस्य रहा है और विश्वविद्यालय का कम से कम पांच वर्ष की कालावधि का डिग्रीधारक है :

परंतु एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने संबंधी शर्त प्रथम निर्वाचन की दशा में लागू नहीं होगी ।

छात्र परिषद् :

38. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय में छात्र कल्याण से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की बाबत, जिनके अंतर्गत क्रीड़ा, खेलकूद, नाटयकला, वाद-विवाद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आदि भी हैं, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों को सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद् होगी, और ऐसी परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :–

(i) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष – अध्यक्ष ;

(ii) सभी छात्रावासों के वार्डन ;

(iii) परिसर सम्पदा अधिकारी ;

(iv) संकायाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच विभागाध्यक्ष ;

(v) छात्रावास प्रीफेक्ट ;

(vi) प्रत्येक कक्षा या वर्ष से एक छात्र जिसने पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र में उच्चतम समग्र श्रेणी बिन्दु औसत (ओजीपीए) प्राप्त किया हो ;

(viii) छात्र कल्याण अधिकारी – सदस्य-सचिव ।

(2) छात्र परिषद् प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम एक बार अपना अधिवेशन करेगी ।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे :

39. (1) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे ।

(2) धारा (27) में प्रगणित मामलों के बारे में बोर्ड द्वारा उसकी उपधारा (1) के खण्ड (ढ) में प्रगणित अध्यादेशों से भिन्न कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाए जाएंगे जब तक ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो ।

(3) बोर्ड को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किंतु वह प्रस्तावना को नामंजूर कर सकेगा या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित जिनका सुझाव बोर्ड दे, वापस भेज सकेगा ।

(4) जहां बोर्ड ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप विद्या परिषद् के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक

बहुमत से पुनः अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप बोर्ड को वापस भेजा जा सकेगा या जो तो उसे अंगीकृत कर लेगा या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा ।

(6) बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा । कुलाध्यक्ष को, अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह ऐसे किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे और वह यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित अध्यादेश पर अपने आक्षेपों के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा । कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर देगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

विनियम :

40. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात् :–

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना ।

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जिनका विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अपेक्षित है ।

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो ऐसे प्राधिकरणों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हों और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण उस प्राधिकरण के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की

सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा ।

(3) बोर्ड इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन :

41. अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी शक्ति, अपने या इसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित बना रहेगा ।

अन्य संस्था और संगठनों के साथ सहयोग :

42. विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय की अधिस्नातक और पी. एच. डी. उपाधियां प्रदान करने के लिए आंशिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु सहयोगात्मक स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करने के लिए किसी अनुसंधान और/या उच्चतर विद्या की शैक्षणिक संस्था के साथ परस्पर समझ ज्ञापन के माध्यम से कोई करार करने का प्राधिकार होगा ।

अनुसंधान परिषद् का गठन और कृत्य :

43. (1) कृषि और सहबद्ध विद्या शाखाओं के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीतियों तथा कार्यक्रमों पर साधारण पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय की एक अनुसंधान परिषद् होगी । अनुसंधान परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(i) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ii) विस्तारी शिक्षा निदेशक – सदस्य ;

(iii) शिक्षा निदेशक – सदस्य ;

(iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष – सदस्य ;

(v) राज्य सरकार का नामनिर्देशिती जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न होगा – सदस्य ;

(vi) विश्वविद्यालय की अनुसंधान टीमों के सभी समन्वयक – सदस्य ;

(vii) कुलपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट दो विख्यात कृषि वैज्ञानिक – सदस्य ;

(viii) अनुसंधान निदेशक-सदस्य – सचिव ।

(2) अनुसंधान परिषद् का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक होगा ।

(3) अनुसंधान परिषद् के अधिवेशन की गणपूर्ति अनुसंधान परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से होगी ।

(4) यदि त्यागपत्र के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होती है तो उसे शेष अवधि के लिए भरा जाएगा ।

विस्तारी शिक्षा परिषद् का गठन और कृत्य :

44. (1) कृषि और सहबद्ध विद्या शाखाओं के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की विस्तारी शिक्षा नीति और कार्यक्रमों का साधारण पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय की एक विस्तारी शिक्षा परिषद् होगी । विस्तारी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :-

(i) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ii) अनुसंधान निदेशक – सदस्य ;

(iii) शिक्षा निदेशक – सदस्य ;

(iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष – सदस्य ;

(v) राज्य सरकार का नामनिर्देशिती जो निदेशक की पंक्ति से

नीचे का न होगा – सदस्य ;

(vi) कुलपति द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट बुन्देलखण्ड से किसानों के प्रतिनिधि और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता – सदस्य ;

(vii) कुलपति द्वारा दो वर्षों के लिए नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय से बाहर के दो विख्यात वैज्ञानिक – सदस्य ; और

(viii) विस्तारी शिक्षा निदेशक – सदस्य-सचिव ।

(2) विस्तारी शिक्षा परिषद् का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक होगा ।

(3) विस्तारी शिक्षा परिषद् के अधिवेशन की गणपूर्ति विस्तारी शिक्षा परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से होगी ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का लागू होना :

45. (1) विश्वविद्यालय के सभी नियमित कर्मचारी पेंशन और उपदान तथा साधारण भविष्य-निधि प्रदान करने के संबंध में, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और साधारण भविष्य-निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों से शासित होंगे ।

(2) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और साधारण भविष्य-निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में किया गया कोई संशोधन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी लागू होगा ।

(3) पेंशन से संराशीकरण के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंध लागू होंगे ।

(4) कुलपति पेंशन मंजूरी प्राधिकारी और पेंशन प्राधिकार के प्राधिकारी होंगे ।

(5) पेंशन का संदाय नियंत्रक के कार्यालय द्वारा केन्द्रीयकृत और नियंत्रित होगा ।

Callan-1??

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in

Email : am.vsp-molj@gov.in

Cover-IV

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in